रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269140
CG-DL-E-07012026-269140

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड III
PART 1—Section III

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947
No. 03] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

रक्षा मंत्रालय

(सैन्य कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

नियम

क्रम सं. बी/59111/सीडीएसई (I) 2026/आरटीजी सीडीएसई/16(2)/2025-डीएमए(एजी-II):—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **12 अप्रैल 2026** को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 आयोजित की जाएगी।

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की अनुमानित संख्या (नोट-iii देखें)
(क) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में जनवरी 2027 को प्रारंभ होने वाला 162 वां (डीई) कोर्स	100 {एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं}
(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमला-जनवरी 2027 में आंरभ होने वाला कार्यपालक शाखा (सामान्य सेवा) /हाइड्रो कोर्स	26 {एनसीसी 'सी' (नौसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 06 रिक्तियों तथा हाइड्रो पाठ्यक्रम हेतु 01 रिक्तियों सहित}

(ग) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद- जनवरी 2027 से प्रारंभ होने वाला (उड़ान पूर्व) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात 221 वां एफ (पी) कोर्स	32 {एनसीसी 'सी' (वायुसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित 03 रिक्तियों सहित (एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से)}
(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में अप्रैल 2027 में आंरभ होने वाला– 125 वाँ एसएससी (पुरुष) (एनटी) (यूपीएससी) पाठ्यक्रम।	275
(च) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में अप्रैल 2027 में आंरभ होने वाला-125वाँ एसएससी महिला (एनटी) (यूपीएससी) कोर्स	18

नोट (i) भारतीय सेना मौजूदा और भविष्य के परिदृश्यों में सेना की परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रविष्टियों के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रिक्तियों को प्रकाशित करती है। हालांकि, एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रमों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के लिए रिक्तियों को एक समान अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक समान लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है, तथादि एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिला अलग-अलग प्रविष्टियाँ हैं और इन दोनों श्रेणियों के लिए चयन अलग-अलग लेकिन **लिंग के आधार पर अधिसूचित** रिक्तियों के अनुसार किया जाता है। **एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिला श्रेणियों के लिए लिखित परिणाम और अंतिम योग्यताक्रम सूचियां भी अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार अलग-अलग तैयार की जाएंगी।**

टिप्पणी: (ii) परीक्षा के आयोजन की उपर्युक्त तिथि में यदि आवश्यक हो तो, आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
टिप्पणी: (iii) रिक्तियों की उपरोक्त संख्या अनंतिम है तथा संगठन की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार सेवा मुख्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

ध्यान दें: (I) (क) उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल के संबंधित कॉलम में उन सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करे जिन सेवाओं के संबंध में वह अपने वरीयता क्रम के अनुसार विचार किए जाने के इच्छुक हैं। पुरुष उम्मीदवार को यह परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार अपनी इच्छानुसार सभी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

(ख) (i) यदि कोई पुरूष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) को अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरूष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए

अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) महिला उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) के लिए ही पात्र हैं। उन्हें ओटीए को ही अपनी एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, वायु सेना अकादमी (एएफए) को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएं, क्योंकि केंद्रीय संस्थापना/विमानन चिकित्सा संस्थान में उनके लिए कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवार यह नोट करें कि नीचे टिप्पणी (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त, केवल उन पाठ्यक्रमों में नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए नहीं। सेवा आवंटन हेतु विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार द्वारा कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(ड.) किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं में जोड़ने/परिवर्तन करने के बारे में किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो, तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य सभी वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष सभी उम्मीदवारों, जिन्हें रिक्तियों की कमी के कारण उक्त पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा सका था, पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एसएससी (एनटी) के लिए विचार किया जाएगा, भले ही उन्होंने इस पाठ्यक्रम के लिए अपना विकल्प प्रदान न किया हो:-

(i) एसएससी (एनटी) के लिए आवेदन करने वाले तथा अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद यदि रिक्तियां उपलब्ध हों,

(ii) अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष उम्मीदवार, एसएससी (एनटी) ज्वाइन करने के इच्छुक हों।

(iii) अंतिम रूप से अर्हक एवं इच्छुक ऐसे उम्मीदवारों को एसएससी (एनटी) का चयन करने वाले अंतिम उम्मीदवार के बाद उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अध्यधीन योग्यताक्रम में रखा जाएगा। तदनुसार, ऐसे शेष उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा।

टिप्पणी - (1) एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] धारक उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं चूंकि उनके

लिए इस पाठ्यक्रम में कोई आरक्षण नहीं है अत: इस पाठ्यक्रम में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही माना जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए अन्यथा पात्र हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए), सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एंट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक – III, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को 13 नवम्बर, 2026 तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में सीनियर डिवीजन सेना स्कंध/वायु सेना/नौसेना स्कंध में न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष की सेवा की हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को भारतीय सैन्य अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए 24 माह से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी – (2): भारतीय सैन्य अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी कोर्स/भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम में एनसीसी (सेना स्कंध/वरिष्ठ प्रभाग (सीनियर डिवीजन)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यक्रम के विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (ग) भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमश: परिशिष्ट - I, II और III, में विस्तार से दिए गए हैं।

2. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार निम्नानुसार होना चाहिए:-

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जायरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

बशर्ते उपर्युक्त श्रेणी (ii) और (iii) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारत सरकार ने पात्रता

प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

लेकिन यह पात्रता प्रमाण-पत्र नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(i) भारतीय सैन्य अकादमी के लिए : ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 2003 से पहले तथा 1 जनवरी, 2008 के बाद न हुआ हो।

(ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जनवरी 2003 से पहले तथा 01 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो।

(iii) वायु सेना अकादमी के लिए :

आयु: केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो 01 जनवरी 2027 को 20 से 24 वर्ष के हैं अर्थात उनका जन्म 02 जनवरी 2003 से पहले और 01 जनवरी 2007 के बाद न हुआ हो। डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 26 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2001 से पहले और 01 जनवरी 2007 के बाद न हुआ हो।

नोट: 25 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। 25 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स): केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं, जिनका जन्म 02 जनवरी 2002 से पहले तथा 01 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो।

(v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स): अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। उनका जन्म 02 जनवरी 2002 से पहले तथा 01 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए/ओटीए, चेन्नई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और तदनुसार वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख उल्लिखित नहीं होती या आयु के केवल पूरे किए गए वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए गए होते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसके जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण के कॉलम में अपनी जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद के किसी चरण में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से अलग पाई जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) भारतीय सैन्य अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(iii) वायु सेना अकादमी के लिए: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक ।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो भारतीय सैन्य अकादमी/एसएससी को प्रथम विकल्प के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) मुख्यालय, सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक – III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए। ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी:-

(i) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जनवरी 2027 को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जनवरी 2027 को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 नवंबर, 2026 को या उससे पहले।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अप्रैल 2027 तक या उससे पहले। जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी I: जिन उम्मीदवारों को अभी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी शेष हो, उन्हें पात्र तभी माना जाएगा जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त करना शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशेष छूट मात्र है। उनके लिए डिग्री परीक्षा पास किए जाने का प्रमाण निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित किए जाने; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब होने; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी एक प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी -II: यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) तथा परीक्षा विशिष्ट खंड:
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑन-लाइन आवेदन करना होगा तथा यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) और चौथे मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क और केंद्र इत्यादि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों से के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहयोगी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन प्रपत्र भरने के विस्तृत अनुदेशों के लिए सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 के नोटिस का सन्दर्भ लें। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी - III : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से विवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, यदि प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी - IV : उड़ान (फ्लाइंग) सीखने में असफल होने के कारण वायु सेना के उन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किए जाने पर भारतीय वायु सेना की नेविगेशन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (I), 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।

3. शुल्क:

उम्मीदवारों (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट मिली हुई है को छोड़कर) को आयोग के परीक्षा नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. सभी उम्मीदवारों, जिनमें सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों सहित पहले से सरकारी सेवा में रत अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवार शामिल हैं को अपने आवेदन आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियमित या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा

सकती है।

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का फैसला अंतिम होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा के लिए प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों का परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। यदि परीक्षा के किसी भी चरण से पहले या बाद में सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होने जिसकी मई 2026 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, के शीघ्र बाद, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें :

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र ।

(2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण-पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के लिए पात्र हैं।

प्रथमत: सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वह उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/ संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके/रहें हैं। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाणपत्र साथ नहीं लाते हैं उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके अपने खर्च पर वापिस भेज दिया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसे परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

7. (1) यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात्: -

(i) अवैध परितोषण की पेशकश; या

(ii) दबाव डालना; या

(iii) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करने की धमकी देना; या

(ख) प्रतिरूपण(इमपर्सोनेशन); या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाया जाना; या

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है; या

(ड) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो / हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) ऐसे विवरण देना जो गलत या झूठ हैं अथवा महत्वपूर्ण सूचना को छिपा रहे हैं; या

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना: -

(i) अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पता लगाना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को रखना या उनका उपयोग करना; या

(झ) स्क्रिप्ट में अश्लील बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना या अप्रासंगिक बातें लिखना; या

(ञ) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने, अव्यवस्था फैलाने और इस प्रकार की हरकतें करने के लिए उकसाना; या

(त) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना; या

(थ) परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सहायक उपकरण (चाहे चालू हो या स्विच ऑफ मोड में) को अपने पास रखना या उसका उपयोग करना; या

(द) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना; या

(ध) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उन्हें करने के लिए प्रेरित करना,

ऐसे उम्मीदवार पर आपराधिक मामला (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा नियमों के अन्तर्गत उस परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा और यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) इस प्रयोजनार्थ अनुमत समय में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (द) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ध) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णत: अनंतिम होगा। यह पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

9. सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. आवेदन आईडी
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो) ।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और स्पष्ट अक्षरों में) ।
5. टेलीफोन नंबर यदि कोई हो, सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।
6. मान्य तथा सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर

कृपया ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में ऊपर उल्लिखित ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

कृपया ध्यान दें: (ii) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कृपया ध्यान दें: (iii) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने यदि परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक – 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों का आबंटन, एसएसबी साक्षात्कार की तारीख, योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें और आईएमए या ओटीए को वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार नौसेना, डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर लिखें।

उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने का अनुरोध है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल वास्तविक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना कॉल लेटर नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या officer@navy.gov.in पर ई मेल भेज सकते हैं।

कृपया ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैन्य अकादमी हेतु जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु अक्तूबर, 2026 के दूसरे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय/भर्ती सीडीएसई एंट्री/एसएससी महिला एंट्री अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक – III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार की पूछताछ के मामले में नौसेना

मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है (अगस्त 2026 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)।

10. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा चयन बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। **लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, जिन्होंने वरीयता क्रम में सेना (भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई) को प्रथम विकल्प दर्शाया है, उन्हें भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करना होगा ताकि उन्हें एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र प्राप्त हो सके। वे उम्मीदवार जो पहले से भर्ती निदेशालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कर चुके है, उन्हें पुनः पंजीकरण न करने की सलाह दी जाती है।** भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए मान्य होंगे अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम, हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रम जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो। सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले चरण का परीक्षण दिया जाएगा। पहले चरण का परीक्षण पास करने वाले उम्मीदवारों को ही द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला चरण पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को (i) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमेस्टरों के अंक पत्रकों सहित स्नातक डिग्री/अनंतिम डिग्री की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे और अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षण में शामिल होंगे और यदि सेवा चयन बोर्ड में उनके परीक्षण के दौरान या उसके फलस्वरूप यदि उनको कोई चोट पहुंचती है तो वह उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमश: आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपने विवेकानुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा का परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किया जाए इस का निर्णय आयोग अपने विवेक से करेगा तथा आयोग परिणाम से संबंधित कोई पत्राचार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, जैसी स्थिति हो, में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक फिटनेस और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी - I : वायु सेना तथा नौसेना एवियेशन के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है । अत:, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा । भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा नियमित रूप से चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं ।

ऐसे उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन किया हो उनके लिए वायु सेना चयन बोर्ड में परीक्षा/ साक्षात्कार एफ(पी) पाठ्यक्रममें तीन प्रकार की प्रवेश प्रक्रियाएं हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/ एएफकैट। कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में जो उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं होंगे उनके नामों पर वरीयता दी गई अन्य सेवाओं के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जबकि उन्होंने सीडीएस परीक्षा के माध्यम से ही आवेदन किया हो। ऐसे उम्मीदवार जो आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम एवं/ या नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम एवं/ या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों भले ही उन्होंने एसएससी पाठ्यक्रमउत्तीर्ण किया हो या नहीं किया हो, उन्हें अगस्त-सितम्बर 2026 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी एवं ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने केवल एसएससी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो उन्हें अक्टूबर –दिसम्बर 2026 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

10.1 अंकों का पूर्णांकन तथा टाई ब्रेंकिंग सिद्धान्त:

अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई के मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) **<u>अंकों का पूर्णांकन :</u>**

परीक्षा के सभी चरणों में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

<u>(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:</u>

(i) <u>आईएमए/आईएनए/एएफए के लिए:</u> यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा ("पेपर-I: अंग्रेजी, पेपर- II: सामान्य ज्ञान और पेपर - III: प्रारंभिक गणित" एक साथ) के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

ओटीए के लिए: यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा ("पेपर-I: अंग्रेजी और पेपर-II: सामान्य ज्ञान" एक साथ) के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-II: सामान्य ज्ञान" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात् भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उस स्थिति का समाधान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

11. **प्रशिक्षण पाठ्यक्रममें प्रवेश के लिए निरर्हताएं:**

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी में अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को 'अधिकारी में अपेक्षित गुणों' के अभाव में पहले भारतीय सैनिक अकादमी से हटा दिया गया हो, उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में अधिकारी में अपेक्षित गुणों के अभाव में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना प्रतिष्ठानों से हटा दिया गया हो वे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को अधिकारी में अपेक्षित गुणों के अभाव में भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रमसे हटा दिया हो, उनको थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को अधिकारी में अपेक्षित गुणों के अभाव में एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले हटा दिया गया हो, उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. **भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :**

भारतीय सैन्य अकादमी पाठ्यक्रम या भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों को यह परिवचन देना होगा कि जब तक उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख

के बाद विवाह कर लेते हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण के दौरान विवाह कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह परिवचन देना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा होने तक विवाह नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करने की तारीख के बाद विवाह कर लेता है तो वह प्रशिक्षण का पात्र नहीं होगा, भले ही वह लिखित परीक्षा अथवा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार अथवा चिकित्सा परीक्षा में सफल रहा हो। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय की गई समस्त राशि लौटानी होगी।

13. भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध:

भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उन्हें और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मेजर जनरल जी.एस.चौधरी, संयुक्त सचिव (सेना एवं टी ए)

परिशिष्ट -I

परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

(क) नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई लिखित परीक्षा

(ख) बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए उन उम्मीदवारों का साक्षात्कार जिन्हें किसी भी सेवा चयन केंद्र में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए:

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आबंटित अधिकतम अंक प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमश: 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप से तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीट्रिक पद्धति से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर स्वयं लिखने चाहिए। किसी भी स्थिति में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर निर्भर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अत: वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा। अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्यक्रम

अंग्रेजी (कोड सं. 11)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के सहज बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 12)

समसामयिक घटनाओं सहित सामान्य ज्ञान और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने में सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 13)

अंकगणित

संख्या पद्धति : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रिया, जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमलव भिन्न। ऐकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता का परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/ महत्तम समापवर्त्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि। आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं, साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्त्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल। प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या

असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब 00 ≤ X ≤ 900 कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि X 00, 300, 450, 600 और 900

सरल त्रिकोणमितीय सारणियां।

सरल त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग।

ऊंचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रश्न।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति, निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिल संयक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हे (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता हैं। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृतीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि । केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं – चरण-I तथा चरण-II । चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर

परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में संयुक्त रूप में से उनके कार्य निष्पादन के आधार पर लघु सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल है। ये परीक्षण 4 दिनों में आयोजित किए जाते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन अलग-अलग आकलनकर्ताओं, यथा साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार करने के पश्चात् ही अंकों का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आवंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्य-निष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/न होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट–II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

भारतीय सेना

भारतीय सेना में अधिकारी पदों पर प्रविष्टियों के लिए चिकित्सा मानक और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया

1. उद्देश्य

इस दस्तावेज का उद्देश्य जनसाधारण को विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियों के माध्यम से सेना में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विहित चिकित्सा मानकों से परिचित करवाना है। यह दस्तावेज आर टी आई अधिनियम - 2005 के तहत सूचना आयोग की नीति के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध करवाने का काम भी करता है।

2. परिचय

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। इस उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार समुद्र एवं वायु सहित दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधाओं के बिना भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिएं जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को

झेल सकें। किसी रोग/दिव्यांगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में **'चिकित्सीय रूप से फिट** कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना चिकित्सा सर्विस का होता है।

(ग) हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय अपनी पेशेवर विशिष्टता, यूनिट में सौपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर मूलभूत स्तर की **'मेडिकल फिटनेस'** होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी मूलभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टतायें जो शारीरिक रूप से और अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना चिकित्सा सर्विस के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये चिकित्सा अधिकारी सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों से भली-भांति परिचित होते हैं। चिकित्सा अधिकारी बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों को अंतिम रूप दिया जाता है। **चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/दिव्यांगता/चोट/आनुवंशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ राज्य को दिया जाएगा।**

<u>चिकित्सा मानक</u>

3. निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित असीम ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीतिपत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

4. **'चिकित्सीय रूप से फिट' करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/दिव्यांगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बिना उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक न हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।**

(क) तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।

(ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फनोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायत न हो।

(ग) त्वचा पर हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी /लक्षण/अक्षमता न हो।

(घ) शरीर पर कहीं भी हर्निया की शिकायत न हो।

(ङ) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या अक्षमता उत्पन्न करते हों।

(च) शरीर में/पर कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।

(छ) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न होना, अस्थि भंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव के कारण विकृतियां; अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैं, न हों।

(ज) रंगो की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टि बाधिता न हो।

(झ) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों की प्रकोष्ठ-कर्णा वर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।

(ञ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

(ट) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थिति में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू, नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा क्रोनिक टॉन्सिलइटिस की शिकायत न हो।

(ठ) गले, तालू टॉन्सिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के सामान्य काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।

(ड) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।

(ढ) पलमोनरी तपेदिक अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियां, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्कयूलो-स्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।

(ण) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य यकृत तथा यकृत रोग तथा अग्न्याशय की अंतस्त्रवी, जन्मजात, आनुवाशिक बीमरियां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।

(त) एंडोक्राइन प्रणाली तथा रेटिक्युलो एंडोथीलियल प्रणाली संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमता न हो।

(थ) जेनिटो-यूरीनरी प्रणाली संबंधी कोई रोग/लक्षण /अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की दिव्यांगता, एट्रॉफी/हाइपरट्रॉफी शामिल हैं, न हो।

(द) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन-रोग न हो।

(ध) किसी प्रकार के मानसिक रोग, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता अथवा उसका पुराना मामला न हो।

(न) मस्क्युलो स्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।

(प) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण/दिव्यांगता न हो।

5. एसएसबी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी लेकिन चिकित्सा जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सामान्यतः चिकित्सा परिस्थितियाँ जिनसे उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है:-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल दिव्यांगता जैसे, स्कोलियॉसिस, टॉरटीकॉलिस, कायफॉसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य दिव्यांगताएं, विकृत अंग, उंगलियों, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।

(ख) अंगों की दिव्यांगता विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड जैसे कि क्यूबिटसवलगस, क्युबिटसवॅरस, नॉकनीज, बोलेग, हाइपर मोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की कटी उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।

(ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिसम, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, भैंगापन एवं टॉसिस।

(घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्यकर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्से में चोट, नाक का सेप्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू में विसंगति, पेरी-ऑरिक्युलर साइनस तथा गर्दन की लिम्फेंडिनाइटिस/एडीनोपैथी। दानों कानों के लिए बातचीत तथा तेज फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ङ) <u>दांतों की स्थिति</u> :

(i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है, की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(iii) रोग सूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ क्लिकिंग एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ का अपने स्थान से हटना।

(iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।

(v) मुंह खोलने की सीमा के साथ तथा उसके बिना सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।

(vi) पूरी तरह फैले कैलक्यूलस दंत संरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो।

(vii) दांत ढीले होना, दो से अधिक दाँत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।

(viiii) कॉस्मेटिक अथवा पोस्ट-ट्रामेटिक मैक्सिलो फैशियल सर्जरी/ट्रॉमा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए अनफिट ठहराया जाएगा।

(ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्त्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(च) छाती: तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव होना।

(छ) पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली: हर्निया, अन-डिसेंडेडटेस्टीस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटरीकिडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरो जिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा साइनस एवं लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।

(ज) तंत्रिकातंत्र: झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।

(झ) त्वचा: विटिलिगो, हीमैंजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपर हाइड्रॉसिस होना।

7. **कद एवं वजन:** प्रवेश (एंट्री) की स्ट्रीम के अनुसार कद की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन कद के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में बताया गया है:-

आयु (वर्षों में)	सभी आयु वर्ग के लिए न्यूनतम वजन	आयुः 17 वर्ष से 20 वर्ष	आयुः 20 वर्ष+01 दिन - 30 वर्ष	आयुः 30 वर्ष+01 दिन - 40 वर्ष	आयुः 40 वर्ष से ऊपर कद (सेमी)
कद (सेमी)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5

154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5

187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) सभी वर्गों के कार्मिकों का कद के अनुसार वजन का चार्ट उपर्युक्त दिया गया है। यह चार्ट शरीर द्रव्यमान सूचकांक के आधार पर तैयार किया गया है। यह चार्ट उम्मीदवारों के विशिष्ट कद के अनुरूप न्यूनतम स्वीकार्य वजन को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में न्यूनतम दर्शाए वजन से कम वजन स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकतम स्वीकार्य वजन आयु वर्ग एवं कद के अनुसार दर्शाया गया है। स्वीकार्य सीमा से अधिक वजन उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा यदि उम्मीदवार के पास बॉडी विल्डिंग कुश्ती और मुक्केबाजी के राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मापदंड पूरे किए जाने चाहिए:-

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index) 25 से कम होना चाहिए।

(ii) कमर का घेराव (Waist Circumference) पुरूषों के लिए 90 सेमी से कम और महिलाओं के लिए 80 सेमी से कम होना चाहिए।

(iii) सभी जैवरासायनिक मेटाबॉलिक (Biochemical Metabolic) मापदंड सामान्य सीमा में होने चाहिए।

(ख) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कद 157 सेमी या संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा यथा निर्धारित है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को कद 152 सेमी के साथ स्वीकार किया जाएगा।

(ग) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कद 152 सेमी है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को न्यूनतम 148 सेमी कद के साथ स्वीकार किया जाएगा।

8. सभी अधिकारी स्तर की प्रविष्टियाँ और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच जाएंगी परंतु चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड यदि चाहे या ठीक समझे तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई जांच भी कर सकते हैं।

(क) संपूर्ण हीमोग्राम

(ख) यूरिन आर ई

(ग) चेस्ट एक्स-रे

(घ) अल्ट्रासाउन्ड (यूएसजी) पेट एवं पेडू

9. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं :-

मानदण्ड	**स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एनडीए ए(सेना), टीईएस एवं समकक्ष**	**स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश सीडीएसई, आईएमए, ओटीए, यूईएस, एनसीसी, टीजीसी एवं समकक्ष**	**स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश: जेएजी, एईसी, एपीएस, आरवीसीटीए, एएमसी, एडीसी, एसएल एवं समकक्ष**
अनुपचारित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बीसीवीए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	<-2.5 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)	<-3.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)	<-5.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)
हाइपर मेट्रोपिया	<+2.5 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)	<+3.50 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)	<+3.50 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <+/- 2.0 डी सीवीईएल)
लौसिक/समकक्ष सर्जरी	अनुमति नही है	अनुमति*	अनुमति*
रंग अवधारणा	सी पी - II	सी पी - II	सी पी - II

***लेसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रैक्टिव प्रक्रिया**

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया की तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां सर्जरी की गई है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ को "स्पष्ट दृष्टि हेतु सुधारात्मक प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण अनफिट" के विशिष्ट पृष्ठांकन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करना होगा।

(ख) इस संबंध में 'फिट' करार देने के लिए अधोलिखित का ध्यान रखा जाएगा:-

(i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।

(ii) लासिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।

(iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450μ के बराबर या उससे अधिक हो।

(iv) आईओएल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।

(v) +/-1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।

(vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।

(vii)अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की टोपोग्राफी और एक्टेशिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल केराटोटॉमी करवाई है, वे स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

10. चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त होने वाला फॉर्म एएफएमएसएफ-2 ए है।

11. चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही: अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एसएसबी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन चिकित्सा बोर्ड को 'विशेष मेडिकल बोर्ड' (एसएमबी) कहा जाता है। एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टॉफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान करके उसे एएफएमएसएफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्ररोग, ईएनटी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री-रोग विशेषज्ञों द्वारा भी महिला उम्मीदवारों की जांच की जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा करेगा। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एसएमबी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (एएमबी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एसएमबी द्वारा किया जाएगा।

12. <u>विविध पहलू</u> :

(क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीके डीजीएएफएमएस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

(ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरूष डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी।

(ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना:

सर्जरी के बाद उम्मीदवारों को फिट घोषित किया जा सकता है। परंतु, सर्जरी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव अच्छी तरह से भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो। उम्मीदवारों को हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉल सिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। उम्मीदवार को चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए अनफिट घोषित किया जाएगा।

नौसेना

नौसेना में अफसरों के प्रवेश के लिए चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया

चिकित्सा बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया

1. सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सा जांच (विशेष मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिट घोषित उम्मीदवारों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि, चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए उम्मीदवारों को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिन के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में पूरा करना होगा।

2. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (एएमबी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी के अध्यक्ष एएमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए डीजीएएफएमएस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही मंजूरी प्रदान की जाएगी और इसे उम्मीदवार का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि उम्मीदवार आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डीएमपीआर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को अपना अनुरोध भेजना होगा एवं उसकी एक प्रति एएमबी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डीजीएएफएमएस का कार्यालय उम्मीदवार को आरएमबी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पुणे) के विषय में जानकारी प्रदान करेगा।

3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जांच की जाएंगी। तथापि, उम्मीदवार की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने के लिए कह सकते हैं:-

(क) कम्प्लीट हीमोग्राम

(ख) यूरिन आरई/एमई

(ग) एक्स-रे चेस्ट पीएव्यू

(घ) यूएसजी एब्डोमन और पेल्विस

(च) लीवर फंक्शन टेस्ट्स

(छ) रीनल फंक्शन टेस्ट्स

(ज) एक्स रे लंबोसैक्रल स्पाइन, एंटीरियर-पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यूज़

(झं) एलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)

एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड

4. उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए:-

(क) उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तटवर्ती और समुद्री ड्यूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य-निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

(ख) उम्मीदवार में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोषों अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिएं। उम्मीदवार को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. **वजन**

कद-वजन तालिका: नौसेना

कद मीटर में	17 वर्ष तक		17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष से ऊपर	
	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.50	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61

1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

टिप्पणियाँ:

(क) सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले उम्मीदवारों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष उम्मीदवार आपवादिक स्थितियों में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नानुसार मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:-

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स) 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) कमर: कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।

(iii)ब्लड शुगर फास्टिन्ग और पोस्ट प्रांडियल,ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य स्तर(रेंज) में हों।

(ग) फिटनेस केवल चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

(घ) न्यूनतम स्वीकार्य कद 157 सेमी है। तथापि, ऐसे **उम्मीदवारों** को जो नीचे वर्णित क्षेत्रों के स्थाई निवासी हों, तथा प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी उम्मीदवारों को कद में छूट दी जाएगी:

क्रम संख्या	श्रेणी	पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद
(i)	लद्दाख क्षेत्र से आदिवासी	155 से॰मी॰
(ii)	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप	155 से॰मी॰
(iii)	गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और उत्तराखंड	152 से॰मी॰
(iv)	भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र	152 से॰मी॰
(v)	अति प्रतिभाशाली खिलाड़ी उम्मीदवार	155 से॰मी॰

6. उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच के दौरान, निम्निलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगाः-

(क) उम्मीदवार पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो।

(ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।

(ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, साफ हों और भेंगापन अथवा असामान्यता रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।

(घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।

(च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।

(छ) छाती सुगठित हो और उनके हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।

(ज) उम्मीदवारों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।

(झ) किसी भी प्रकार या किसी भी स्तर पर हर्निया के लक्षण न हों।

(ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।

(ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।

(ङ) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा खराबी न हो।

(ढ) पिछली किसी भी प्रकार की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।

(त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।

(थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

7. उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

(क) -कमजोर शारीरिक संरचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय (मसक्यूलर वेस्टिंग)।

नोट: मांसपेशीय विकृति को पूर्ण रूप से, कार्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से आंका जाना चाहिए।

(ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रेक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।

(ग) स्कोलिओसिस का निर्धारण - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डोर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक का इडियोपैथिक स्कोलियोसिस स्वीकार्य होगा बशर्ते कि-

(i) उम्मीदवार लक्ष्णहीन हो।

(ii) स्पाइन में ट्रॉमा का कोई इतिहास न हो।

(iii) छाती में कोई विषमता /कंधों में असंतुलन अथवा लंबर स्पाइन (lumber spine) में पेल्विक ऑब्लिक्विटी (pelvic obliquity) न हो।

(iv) तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) संबंधी कोई कमी न हो।

(v) रीढ की हड्डी (स्पाइन) में जन्मजात विकृति न हो।

(vi) सिनड्रॉमिक लक्षण नहीं हो।

(vii) ईसीजी सामान्य हो।

(viii)रीढ की हड्डी के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति नहीं हो।

(ix) चलने की रेंज में कोई बाधा नहीं हो।

(x) संरचनात्मक असामान्यता का कारण बनने वाली कोई मूलभूत कमी न हो।

(घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि-पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोटः- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हों, स्वीकार्य है।

(च) धड़ एवं अंगों की विषमता, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमान्यता।

(छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

(i) **हाइपर एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स -** हाइपर-एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स के लिए सभी उम्मीदवारों की भली-भांति जांच की जाएगी। 90 डिग्री के परे पीछे की तरफ झुकी उँगलियों का बढ़ाव

हाइपर एक्स्टेंसिबल माना जाएगा और अनफ़िट समझा जाएगा। हाइपर लैकसिटी/ हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ और अंगूठे की भी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। मुमकिन है कि व्यक्ति के दूसरे जोड़ों में हाइपर लैकसिटी के लक्षण ना दिखें, लेकिन उँगलियों के जोड़ों की हाइपर एक्स्टेंसिबिलिटी के अलग से दिखने को भी अनफ़िट समझा जाएगा क्योंकि यदि उम्मीदवार को उपर्युक्त कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुज़रना पड़े तो बाद में विभिन्न प्रकार की परेशानी उभर सकती हैं।

(ii) **मालेट फिंगर -** डिस्टल इंटर-फेलेंजीयल ज्वाइंट पर एक्सटेंसर मेकेनिज़्म ना हो पाने से मालेट फिंगर होता है। क्रोनिक मालेट डीफॉर्मिटी (PIP) और एमसीपी (MCP) ज्वाइंट में सेकंडरी परिवर्तनों की वजह बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप हाथ से कार्य करने में कठिनाई हो सकती है। फ्लेक्सन और एक्स्टेंसन दोनों में डीआईपी (DIP) जोड़ों में मूवमेंट की सामान्य रेंज 0-80 डिग्री है और पीआईपी (PIP) ज्वाइंट में 0-90 डिग्री है। मालेट फिंगर में, उम्मीदवार उँगलियों के डिस्टल फलंक्स (distal phalanx) को पूरी तरह फैलाने/ सीधा करने में असमर्थ रहता है।

(कक) हल्के लक्षणों वाले उम्मीदवार जैसे- बिना किसी ट्रॉमा, प्रेशर सिमटम्स और फंक्शनल डेफ़िसिट के जिनका एक्सटेंशन लैग 10 डिग्री से कम है, को फिट घोषित किया जाना चाहिए।

(कख) उँगलियों की स्थायी विकृति वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(iii) **पॉलीडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स –रे) नहीं हो, घाव अच्छी तरह से भर गया हो, निशान हल्का पड़ने लगा हो और न्यूरोमा या चिकित्सा जांच का कोई प्रमाण न हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(iv) **सिंपल सिंडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स –रे) नहीं है, घाव अच्छी तरह से भर गया हो और निशान हल्का पड़ने लगा हो और वेबस्पेस संतोषजनक हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(v) **जटिल सिंडैक्टिली** - अनफिट ।

(vi) **पोलीमेजिया** - उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के उपरांत फिट माना जाएगा यदि ऑपरेशन के बाद कोई कठिनाई न हो और सर्जरी के घाव अच्छी तरह से भर गए हो तथा कोई अन्य रोग नहीं हो।

(vii) **हाइपरोसटोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना**. कोई अन्य मेटाबोलिक असामान्यता ना होने की स्थिति में फिट माना जाएगा।

(viii) **ठीक हुए फ्रेक्चर**-

(कक) सभी इंट्रा-आर्टिक्युलर फ्रेक्चर विशेषतः मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कूल्हा, घुटना और टखना) सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बगैर, प्रत्यारोपण के साथ अथवा उसके बगैर, अनफ़िट माने जाएंगे।

(कख) पोस्ट ऑपरेटिव इंप्लांट के साथ सभी अतिरिक्त आर्टिकुलर फ्रेक्चर को अनफ़िट माना जाएगा और इंप्लांट हटाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के बाद फ़िटनेस देने के लिए विचार किया जाएगा।

(कग) सभी लंबी हड्डियों (ऊपरी और निचले दोनों लिंब्स) की आर्टिकुलर चोटों जिनका उपचार पारंपरिक ढंग से किया गया हो, के बाद मूल्यांकन की न्यूनतम अवधि नौ (09) माह होगी। उम्मीदवार को तभी फिट माना जाएगा यदि :

(i) माल-एलाइमेंट/माल-यूनियन का कोई प्रमाण न हो।

(ii) कोई न्यूरो वैस्कूलर दोष न हो।

(iii) मुलायम उत्तक की कोई क्षति न हो।

(iv) गतिविधियों में कोई कमी न हो।

(v) ऑस्टियोमेलिटिस/सीक्वेस्ट्रा फारमेशन का कोई लक्षण न हो।

(ix) **क्यूबिटस रेकरवेटम** >10 डिग्री अनफ़िट है।

(x) **<u>क्यूबिटस वेलगस</u>**

(कक) **<u>केरियिंग एंगल मापना</u>** - बांह और कलाई के सरफ़ेस मार्जिन से एक्सिस को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर गोनियोमीटर (protractor goniometer) का प्रयोग करते हुए कोहनी को पूरा फैलाकर कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) का पारंपरिक तरीके से निर्धारण किया जाता है। यद्यपि, बांह और कलाई में मुलायम ऊतकों के विकास में विविधताओं के कारण मापे गए परिणामों में असंगति आ जाती है। अभी तक कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की कोई एकसमान विधि नहीं है। यद्यपि एक्रोमियन (acromion), ह्यूमेरस (humerus) के मीडियल (medial) और लेटरल एपीकोनडयल्स (lateral epicondyles) पर बोनी लैंडमार्क्स (bony landmarks) की पहचान डिस्टल रेडियल (distal radial) और अलनर स्टिलोय्ड (ulnar styloid) प्रक्रिया के माध्यम से कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की संस्तुति की जाती है। बॉह और कलाई के दो ड्रॉयिंग एक्सस (drawing axes) के साथ केरियिंग एंगल (carrying angle) को एक मैनुअल गोनियोमीटर (manual goniometer) द्वारा मापा जाता है। बॉह का एक्सिस एक्रियोमन (axisacromion) के क्रेनियल सर्फेस (cranial surface) के लेटरल बॉर्डर (lateral border) के ह्यूमेरस (humerus) के लेटरल (lateral) और मीडियल एपीकोनडयल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु तक निर्धारित है। कलाई का एक्सिसह्यूमेरस (axishumerus) के लेटरल (lateral) और मीडियल एपिकोनडयल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु से डिस्टल रेडियल (distal radial) और अल्नर स्टायलॉयड (ulnar styloid) प्रक्रियाओं के मध्यबिंदु द्वारा निर्धारित होता है।

(कख) क्यूबिटस वेलगस मुख्य रूप से चिकित्सकीय निदान होना चाहिए। रेडियोग्राफिक जांच करने के लिए सुझाए गए निर्देशों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) ट्रॉमा का पिछला इतिहास

(ii) कोहनी के आसपास निशान

(iii) कोणों की असमानता

(iv) डिस्टल न्यूरोवसक्यूलर डेफ़िसिट

(v) हिलने-डुलने की सीमित सीमा (रेंज)

(vi) यदि ओर्थोपीडिक सर्जन द्वारा ज़रूरी समझा जाता है

(xi) **<u>कोहनी के जोड़ पर हायपरएक्स्टेशन</u>** - किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से हाइपरएक्स्टेंडेड कोहनी हो सकती है। यह कोई चिकित्सा समस्या नहीं है, लेकिन सैन्य जन समुदाय जिस तरह की तनावपूर्ण और थकाने वाली परिस्थितियों का सामना करता है उसमें यह फ्रेक्चर अथवा लंबे समय तक रहने वाले दर्द की वजह बन सकती है। कोहनी को न्यूट्रल पोजिशन के 10 डिग्री के भीतर वापस लाने में असमर्थता भी रोज़मर्रा के कार्यकलापों में बाधा बन सकती है।

(कक) मापन मापदंड (Measurement modality)। गोनियोमीटर (Goniometer) के प्रयोग द्वारा मापा जाता है।

(कख) सामान्य कोहनी प्रसार 0 डिग्री है। यदि मरीज का जोड़ों के ट्रामा का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक हाइपरएक्सटेंशन सामान्य सीमा के भीतर है। यदि किसी को 10 डिग्री से ज़्यादा का हाइपरएक्सटेंशन है तो उसे अनफ़िट माना जाएगा।

8. ***आंख***

(क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।

(ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखने वाला भेंगापन।

(ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी जटिलता या रोगोत्तर लक्षण।

(घ) निर्धारित मानकों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

<u>टिप्पणियाँ:-</u>

1. एनडीए/एनए अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानक निम्नानुसार हैं:-

मानदंड	**सीडीएसई**
अनुपचारित दृष्टि	6/12 6/12
उपचारित दृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (myopia)संबंधी सीमाएं	-1.0D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+2.0 D Sph
अबिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि से सीमाओं के भीतर)	±1.0 D Cyl
दोनों आंखों की दृष्टि	III
रंगों की समझ	सीपी पास*

*रंग अवधारणा संबंधी दोष का मूल्यांकन एसएमबी के दौरान इशिहारा और एनोमेलोस्कोप/एमएलटी परीक्षण दोनों के संयोजन द्वारा किया जाएगा। एएमबी के दौरान इशिहारा और एनोमेलोस्कोप (एमएलटी यदि उपलब्ध हो) का प्रयोग किया जाएगा। पुष्टि के लिए आरएमबी के दौरान इशिहारा तथा एनोमेलोस्कोप और एमएलटी, जो भी लागू हो, का प्रयोग किया जाएगा।

2. **कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी-** अघोषित रिफ्रेक्टो-करेक्टीव प्रक्रिया जैसे कि पीआरके/लैसिक/स्माइल इत्यादि का पता लगाने के लिए एसएमबी के दौरान उम्मीदवारों के लिए केराटोमेट्री की जाएगी। इसके मान एसएसबी में दर्ज किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की रिफ्रैक्टिरी सर्जरी (पीआरके, लैसिक, स्माइल) करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जा सकता है (सबमरीन, डाइविंग और मार्को काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई सर्जरी न हुई हो।

(ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुई अनकंप्लीकेटेड सर्जरी। (उम्मीदवार भर्ती चिकित्सा परीक्षा के समय एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें रिफ्रेक्टिव सर्जरी के प्रकार, सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्व संबंधित नेत्र में रिफ्रैक्टिव दोष का उल्लेख किया गया हो।)

पोस्ट लैसिक स्टैंडर्ड्स. उम्मीदवार को फिट तब माना जाएगा जब आईओएल मास्टर या ए स्कैन द्वारा मापित एक्सियल लेंग्थ 26mm के बराबर अथवा उससे कम हो या पेकीमीटर (Pachymeter) द्वारा मापित सेंट्रल कॉर्नियल थिक्नेस 450 माइक्रोन्स के बराबर या उससे अधिक हो।

(ग) रेजिडुअल रिफ्रैक्शन ±1.0 डी स्फैरिकल या सिलिंड्रिकिल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (केटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुमत सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑबजर्वर एंट्री के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।

(घ) प्री-ऑपरेटिव रिफ्रेक्टिव एरर+/-6.0 डी से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ड़) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. ***सबमरीन, डाइविंग एवं एमएआरसीओ जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए कैराटो रिफ्रैक्ट्री सर्जरी (पीआरके (PRK), लैसिक (LASIK), स्माइल (SMILE)) स्वीकार्य नहीं है। रेडियल केराटोटॉमी कराने वाले उम्मीदवार सभी शाखाओं के लिए स्थायी रूप से अनफिट हैं।***

(i) **टॉसिस (Ptosis)-**उम्मीदवार को सर्जरी के बाद फिट माना जाएगा यदि सर्जरी के एक वर्ष बाद कोई पुनरावृति न हो, सामान्य दृश्य क्षेत्र (visual field) के साथ दृश्य एक्सिस (visual axis) स्पष्ट हो और ऊपरी पलक सुपीरियर लिम्बस के 02 mm नीचे हो। जो उम्मीदवार इसके लिए सर्जरी से नहीं गुजरे हैं, उन्हें फिट माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित मानदंडो में से किसी एक पर खरा उतरते हैं:-

(कक) माइल्ड टॉसिस (Mild ptosis)

(कख) स्पष्ट दृश्य धुरी (Clear visual axis)

(कग) सामान्य दृश्य क्षेत्र (Normal visual field)

(कघ) असामान्य अध:पतन/हेड टिल्ट के कोई लक्षण नहीं हों

(ii) **एक्सोट्रोपिया (Exotropia)-** अनफ़िट।

(iii) **एनिसोकोरिया (Anisocoria)-** यदि पुतलियों के बीच आकार का अंतर >01mm हो, तो उम्मीदवार को अनफिट समझा जाएगा।

(iv) **हेटिरोक्रोमिया इरिडम (Heterochromia Iridum)**.-अनफ़िट।

(v) **स्फिन्कटर टीयर्स (Sphincter Tears) -** यदि पुतलियों के बीच आकार में <01mm का अंतर हो, कॉर्निया, लेंस और रेटीना में बिना किसी ज्ञात रोग के प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेज तेज़ हों तो फिट माना जाएगा।

(vi) **स्यूडोफाकिया (Pseudophakia)**- अनफ़िट।

(vii) **लेंटिकुलर ओपासिटीस (Lenticular Opacities)**- लेंटिकुलर ओपेसिटीस की वजह से कोई दृष्टिगत ह्रास, अथवा विजुवल एक्सिस में उसका होना अथवा पुतलियों के आसपास 07mm तक हो, जो ग्लेयर फिनॉमिना (glare Phenomenon) का कारण बन सकती है, को अनफ़िट माना जाना चाहिए। फिटनेस का निर्णय करते हुये आंखें फूलने की प्रवृति (opacities) जो संख्या अथवा आकार में न बढ़े, को भी ध्यान में रखना चाहिए। किनारों में स्मॉल स्टेशनरी लेंटिक्युलर ओपेसिटीज़ (small stationary lenticular opacities) जैसे जन्मजात ब्लू डॉट कैटेरेक्ट (congenital blue dot cataract) जिससे विजुवल एक्सिस/विजुवल फील्ड (visual axis/visual field) प्रभावित न होता हो, पर स्पेशलिस्ट द्वारा विचार किया जा सकता है (संख्या में 10 से कम होना चाहिए और 04mm का सेंट्रल एरिया सुस्पष्ट होना चाहिए)।

(viii) **ऑप्टिक नर्व ड्रुसेन (Optic Nerve Drusen)**- अनफ़िट।

(ix) **हाई कप डिस्क अनुपात (High Cup Disc Ratio)** - उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी भी अवस्था के पाये जाने पर अनफिट घोषित किया जाएगा:-

(कक) कप डिस्क अनुपात में आंतरिक नेत्र समरूपता >0.2 है।

(कख) ओसीटी पर आरएनएफएल विश्लेषण द्वारा रेटिनल तंत्रिका फाइबर परत दोष देखा गया।

(कग) दृष्टि क्षेत्र विश्लेषण द्वारा दृश्य क्षेत्र दोष।

(x) **केराटोकोनस (Keratoconus)** –अनफ़िट।

(xi) **लेटिस (Lattice)**-

(कक) निम्नलिखित लेटिस डिजनरेशन (lattice degenerations) होने पर उम्मीदवार को अनफ़िट समझा जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से अधिक तक रहने वाले सिंगल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Single cirumferential lattice)।

(ii) किसी एक या दोनों आंखों में टू सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices) जिनमें से प्रत्येक का विस्तार एक क्लॉक आवर से अधिक होता है।

(iii) रेडियल लैटिस।

(iv) एट्रोफीक होल/फ्लैप टियर्स (अनलेजर्ड) के साथ कोई लेटिस।

(v) पोस्टीरियर (Posterior) से इक्वेटर (equator) तक लेटिस डिजनरेशन (Lattice degeneration)।

(कख) निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत लेटिस डिजनरेशन (lattice degeneration) के साथ उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना सिंगल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Single circumferential lattice)।

(ii) एक या दोनों आंखों में एक क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना दो सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices)।

(iii) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर से कम, होल्स/फ्लैप टीयर के बिना पोस्ट लेजर डिलीमिटेशन सिंग्ल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस।

(iv) लेजर डीलिमिटेशन के बाद टू सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices), छेद/फ्लैप टियर के बिना, जिनमें से प्रत्येक एक या दोनों आँखों में एक क्लॉक आवर से कम का विस्तार हो।

9. ***<u>कान, नाक तथा गला</u>***

(क) **<u>कान</u>**- बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई पुराना इतिहास हो, टिनीटस या चक्कर आना, श्रवण बाधित, बाहरी छिद्र की बीमारी जिसमें एट्रेसिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज़्म शामिल हैं जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिमपेनिक झिल्ली का ठीक न हुआ छिद्र, कान का बहना, या अक्यूट या क्रोनिक सुपप्यूरेटिव ओटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या संशोधित रेडिकल मास्टॉयड ऑपरेशन का प्रमाण।

<u>टिप्पणियाँ:-</u>

1. उम्मीदवार दोनों कानों से अलग-अलग 610 सेमी की दूरी से तेज फुसफुसाहट सुन पाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।

2. ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media): किसी भी प्रकार का मौजूदा ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media) अस्वीकृति का कारण बनेगा। टिंपैनिक मेंब्रेन के 50% से कम पार्स टेंसा (pars tensa) को प्रभावित करने वाले टिम्पेनिक मेंब्रेन के रूप में ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिसिस मीडिया के प्रमाण का ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और अगर प्योर टोन ऑडियोमेट्री (पीटीए) और

टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो यह स्वीकार्य होगा। **क्रोनिक ओटिटिस मीडिया के लिए टिम्पेनोप्लास्टी और मायरिंगोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी मामलों में स्थायी अस्वीकृति होगी।**

(i) निम्नलिखित परिस्थितियां उम्मीदवार के अनफ़िट होने का कारण बन सकती हैं:-

(कक) रेसिडुअल परफोरेशन।

(कख) फ्री फील्ड हियरिंग (free field Hearing) और/अथवा पीटीए पर रेसीडूअल हियरिंग लॉस Residual hearing loss।

(कग) किसी अन्य प्रकार की टिमनोप्लास्टी (टाइप 1 टिमनोप्लास्टी के अलावा) या कान के मध्यवर्ती भाग की सर्जरी (जिसमें ऑसिकुलोप्लास्टी, स्टेपेडोटॉमी, कैनाल वॉल डाउन मास्टोइडेक्टोमी, एटिकोटॉमी, एटिको-एंट्रोस्टॉमी आदि शामिल हैं।)।

(कघ) इंप्लांट किया गया हियरिंग डिवाइस (जैसे कोहिलर इंप्लेंट, बोन कंडक्शन इंप्लांट, मिडिल इयर इंप्लांट आदि)।

(ख) **<u>बाहरी श्रवण नलिका की हड्डी का बढ़ना</u>** कोई भी उम्मीदवार जिसके एक्सोस्टोसिस, ऑस्टियोमा, फाइब्रस डिसप्लासिया (exostosis, osteoma, fibrous dysplasia) आदि जैसे बाहरी श्रवण नलिका में नैदानिक रूप से प्रत्यक्ष बोनी ग्रोथ पाया जाता है तो उसे अनफ़िट घोषित किया जाएगा। ओपरेशन किए गए मामलों का मूल्यांकन कम से कम 4 हफ्तों की अवधि के बाद किया जाता है। पोस्ट सर्जरी हिस्टोपैथोलॉजी (histopathology) रिपोर्ट और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन (HRCT Temporal bone) अनिवार्य होगी। यदि हिस्टॉपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में नियोप्लासिया दर्शाया गया है या एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में आंशिक रिमुवल या गहरे विस्तार का संकेत मिलता है तो ऐसे उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) **<u>नाक</u>** नाक की हड्डियों या उपास्थियों का रोग, मार्क्ड नेजल एलर्जी, नेजल पोलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिक्स।

सेप्टल परफोरेशन: नेज़ल सेप्टल परफोरेशन, एनटीरियर कारटिलेजिनस या पोस्टिरर बोनी परफोरेशन (Nasal septal perforation, anterior cartilaginous या posterior bony perforation) हो सकता है। कोई भी सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जिसका सबसे बड़ा आयाम (ग्रेटेस्ट डायमेंशन) 01 सेमी से अधिक है, अस्वीकृति का कारण है। एक सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जो चाहे किसी भी आकार का हो, नेज़ल डिफॉरमिटी, नेज़ल क्रस्टिंग एपिसटैक्सिस (nasal deformity, nasal crusting epistaxis) और ग्रेनुलेशन (granulation) से संबंधित हो, अस्वीकृति का कारण है।

<u>नेसल पोलिपोसिस (Nasal polyposis)</u> - इसे क्रोनिक राइनोसिनसाइटिस के साथ पॉलीपोसिस (CRSWNP) के नाम से भी जाना जाता है। नेज़ल पोलिपोसिस ज़्यादातर एलर्जी, अस्थमा एनएसएआईडी (NSAID) के प्रति संवेदनशीलता और संक्रमण अर्थात् बैक्टीरियल और फंगल से संबद्ध है। इनमें से अधिकांश रोगियों में रोग के दुबारा होने की संभावना अधिक होती है और नेज़ल/ऑरल सेटेरॉयड के साथ दीर्घकालिक प्रबंधन की आश्यकता होती है और प्रतिकूल मौसम और तापमान वाली परिस्थितियों

के लिए ये अनफ़िट हैं। किसी भी व्यक्ति में जांच के दौरान यदि नेज़ल पोलिपोसिस पाया जाता है या कभी भी नेज़ल पोलिपोसिस (nasal polyposis) के लिए उनकी सर्जरी हुई हो तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

(घ) ***गला*** - थ्रोट पैलेट, जीभ, टॉन्सिल, मसूड़े के रोग तथा जबड़े के जोड़ों के सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाला रोग या चोट।

नोट:- टोंसिलाइटिस के दौरों से जुड़ी पुरानी समस्याओं के बिना टॉन्सिल का सामान्य रूप से बढ़ना (Hypertrophy) स्वीकार्य है।

(ङ) ***लैरिंग्स के रोग तथा बोलने में कठिनाई*** - आवाज समान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. ***दांतों की स्थिति:-*** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठीक ढंग से चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक और स्वस्थ दांत मौजूद हों।

(क) एक उम्मीदवार के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिएं ताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंटस अस्वीकृति का कारण हैं। दूसरे जबड़े में तदनुरूपी दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट निम्नानुसार हैं:-

(i) सेंट्रल इनसीजर (incisor), लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर के साथ अल्प विकसित (under developed) तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए 1 प्वाइंट ।

(ii) प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो कुल 22 या 20 प्वाइंट होंगे जो इस बात पर निर्भर होगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले निम्नलिखित दांत होने चाहिएं:-

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4।

(ii) 10 पोस्टेरियर में कोई 6।

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि दंत चिकित्सा अधिकारी की राय में पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा। मेडिकल/डेंटल अधिकारी प्रभावित दांत के संबंध में चिकित्सकीय दस्तावेज़ में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. ***गर्दन-***

(क) बढ़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन अथवा शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

टिप्पणी:- ट्यूबरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए निशानों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों में कोई सक्रिय रोग न हो तथा छाती नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के अनुसार दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

12. **छाती** - अस्वीकृति के मानदंड निम्नलिखित हैः-

(क) छाती की विकृति, जन्मजात या जन्म के बाद।

(ख) 5 सेंमी से कम विस्तार।

(ग) पुरुषों में सुस्पष्ट रूप से बायलेटरल/यूनिलेटरल गाइनेकोमास्टिया (bilateral/unilateral gynaecomastia)। उम्मीदवारों को 12 हफ्तों के पश्चात् ऑपरेशन के बाद फिट माना जाएगा, यदि:

(क) सर्जिकल घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है और कोई अन्य बीमारी नहीं है।

(ख) सर्जरी के बाद कोई समस्या नहीं है।

(ग) सर्जिकल निशान पूरी तरह से ठीक होने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या पैदा होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

(घ) सामान्य शारीरिक जांच सामान्य है।

(ड़) एंड्रोकाइन वर्कअप सामान्य है।

13. ***त्वचा तथा यौन संचारित संक्रमण (एस टी आई)***

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) ऐसे निशान जो अपने आकार या अपनी सीमा के कारण दिव्यांगता/ या चिह्नित विकृति का कारण बनते हैं या होने की संभावना रखते हैं।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस- पामर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted disease)।

नोटः- ऊसन्धि (ग्रोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग पर पुराने ठीक हो चुके निशान जो पिछले एसटीआई का संकेत देते हैं, होने की स्थिति में गुप्त यौन संचारित रोग का पता लगाने के लिए एसटीआई (एचआईवी सहित) के लिए रक्त की जांच की जाएगी।

14. ***श्वसन तंत्र***

(क) पुरानी खांसी या ब्रोन्कियल अस्थमा संबंधी पुराने मामले।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफ्फुस आवरणों (Pleurae) जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

नोट:- छाती की एक्स-रे जांच निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:-

(i) सेवा में एक कैडेट के रूप में प्रवेश या सीधे प्रवेश पर।

(ii) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के मामले में स्थायी कमीशन प्रदान करते समय।

15. ***हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (कार्डियो-वस्कुलर सिस्टम)***

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (ओसकल्टेशन) में सरसराहट (murmurs) या क्लिक की उपस्थिति।

(ख)**क्षिपहृदयता (Tachycardia)** (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदनाड़ी (bradycardia) (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 40 प्रति मिनट से कम रहना), परिधीय नाड़ी की कोई भी असामान्यता।

(ग) **रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)**- उम्मीदवार जिनका रक्त दाब लगातार 140/90mm Hg से अधिक होता है, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन (White coat hypertension) और परसिसटेंट हाइपरटेंशन (persistent hypertension) के बीच के अंतर को देखने हेतु 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) (24h ABPM) से होकर गुजरना होता है। जहां भी संभव हो, उम्मीदवारों को एएमबी में एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का 24h ABPM सामान्य है और कोई टार्गेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, को हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के बाद फिट माना जा सकता है।

(घ) **इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)**- एसएमबी में देखी गई कोई ईसीजी असामान्यता अस्वीकृति का आधार होगी। ऐसे उम्मीदवारों की जांच एएमबी के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक असामान्यता होने पर इकोकार्डियोग्राफी की मदद से की जाएगी और आवश्यक होने पर स्ट्रैस (तनाव) टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अपूर्ण RBBB, इंफीरियर लीड्स में T वेव इंवर्शन, V1-V3 में T इंवर्शन (पर्सिस्टेंट जुवेनाइल पैटर्न), वोल्टेज़ क्राइटेरिया (थिन चेस्ट बॉल के कारण) द्वारा LVH जैसी हल्की ईसीजी असामान्यता बिना किसी संरचनात्मक रोग के विद्यमान हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि छिपे हुए संरचनात्मक हृदय रोग की संभावना को खारिज किया जा सके तथा सीनियर एडवाइज़र (मेडिसन)/कार्डियोलोजिस्ट की सलाह ली जानी चाहिए। यदि

इकोकार्डियोग्राफी तथा स्ट्रैस टेस्ट (यदि डॉक्टर द्वारा निदेशित हो) सामान्य हैं तो उम्मीदवार को फिट घोषित कर दिया जाएगा।

16. *उदर (एब्डोमन)*

(क) गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, लिवर, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, पेट को छूने पर अहजता या दर्द, पेप्टिक अल्सर का पूर्व विवरण/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। अधिकारी स्तर पर प्रवेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा पेलविक अंगों की अल्ट्रासाउंड जांच करवानी होगी।

(ख) किसी भी प्रकृति के हाइपरबिलिरूबिनमिया के कारण अनफिट माना जाएगा, सिवाय असंयुग्मित हाइपर बिलिरूबिनमिया के, जहां आनुवंशिक अध्ययन गिल्बर्ट सिंड्रोम को एटीऑलॉजिकल कारक के रूप में पुष्टि करते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है :-

(i) कुल सीरम बिलीरुबिन < 3mg/dl, सामान्य ट्रांसएमिनेस, PT/INR और एल्ब्यूमिन के साथ असंयुग्मित हाइपरबिलिरुबिनेमिया।
(ii) एचबीएस एजी और एंटी एचसीए नेगेटिव होना चाहिए।
(iii) पीबीएस, रेटिकुलोसाइट गणना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज स्तर, (एलडीएच), विट बी 12 और एचबी एलेक्टोफ़ोरोसिस पर कोई असामान्यता नहीं होनी चाहिए।
(iv) यकृत की सामान्य अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइब्रोस्कैन।
(v) UGT1A1 जीन के आनुवंशिक विश्लेषण द्वारा गिल्बर्ट सिंड्रोम का निदान।

(ग) <u>ऑपरेशन पश्चात् मूल्यांकन</u>- सामान्य परिस्थितियों में फिटनेस के मूल्यांकन के लिए ऑपरेशन के बाद की अवधि :-

(i) **<u>हर्निया</u>**- जिनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है (बशर्ते):-

(कक) एनटेरियर एब्डौमिनल वॉल हर्निया के ऑपरेशन के 24 सप्ताह गुजर चुके हों। उम्मीदवार को इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(कख) पेट की मासपेशियों (एब्डौमिनल मसक्यूलेचर) का सामान्य टोन उत्तम होनी चाहिए।

(कग) हर्निया की कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन से जुड़ी कोई जटिलता नहीं हुई हो।

(ii) **<u>अन्य दशाएं-</u>** जिनका निम्नलिखित कारणों से ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है, बशर्ते-

(कक) ओपन कॉलिसिसटेक्टॉमी 24 सप्ताह (इनसीजिनल हर्निया न होने के मामले में)।

(कख) लैप्रोस्क्रोपिक कॉलिसिसटेक्टॉमी 08 सप्ताह (सामान्य एलएफटी), सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी)।

(कग) अपेंडिसेक्टोमी (Appendicectomy)।

(ii) **लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन न्यूनतम 04 सप्ताह की अवधि के बाद पोस्ट ओपरेटिव फ़िटनेस के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) ऑपरेशन के बाद निशान अच्छे से ठीक हो गए हैं।

(कख) निशान भर गए हैं।

(कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।

(कघ) यूएसजी द्वारा पोर्ट साइट इंसीजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि।

(iii) **न्यूनतम 12 सप्ताह की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए मसल्स स्प्लिट अप्रोच के साथ ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) घाव अच्छे से ठीक हो गया है।

(कख) निशान भर गए हैं और दर्द/असहजता नहीं है।

(कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।

(कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(iv) **न्यूनतम 06 महीने की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए मसल्स कट अप्रोच के साथ ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है।

(कख) निशान भर गए और दर्दरहित। एपेंडिसाइटिस मौजूद है।

(कग) एक्यूट की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।

(कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(कघ) पायलोनीडल साइनस (Pilonidal sinus) 12 सप्ताह

(कच) फिस्ट्यूला-इन-एनो, गुदा विदर तथा ग्रेड-IV बवासीर। संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी के साथ ऑपरेशन के बाद 12 सप्ताह।

(कछ) हाईड्रोसील तथा वैरीकोसील ऑपरेशन के 8 सप्ताह के बाद संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी सहित।

(कज) यूराकल सिस्ट: संतोषजनक उपचार और किसी भी अंतिमांश की अनुपस्थिति सहित 08 सप्ताह पश्चात्।

(कझ) गुदा में भगन्दर (फिस्ट्यूला), गुदा विदर (फिशर) और बवासीर (हैमरॉयड), जब तक कि संतोषजनक उपचार न किया गया हो।

(घ) **यकृत (हेपैटिक) कैल्सीफिकेशन**..

(i) फिट:-

(कक) एकल कैल्शिफिकेशन ≤ 3 सेमी या एकाधिक पिन पॉइंट या छोटे कैल्शिफिकेशन, जिनकी संख्या 5 तक हो और जिनमें यकृत के 2 से अधिक सन्निहित

खण्ड शामिल न हों। जिसका क्लस्टर और कुल व्यास 3 सेमी से अधिक न हो, जिसमें कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन में कमी) न हो।

(कख) टीबी, परजीवी संक्रमण या दीर्घकालिक यकृत रोग का कोई पिछला मामला /लक्षण न हो।

(कग) कोई अन्य अंग शामिल न हो (अर्थात, फेफड़े/प्लीहा का कैल्सीफिकेशन)।

(कघ) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।

(कड़) सामान्य सीरम कैल्शियम, एएफपी, सीरम कैल्शियम, आईजीआरए और हाइड्रेटेड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफ़िट:-

(कक) एकल आकार > 3 सेमी.।

(कख) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 3 सेमी.।

(कग) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

(कघ) वॉल /डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइडैटिड सीरोलॉजी सहित)।

(कड़) संबंधित निष्कर्षों (जैसे, यकृत फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।

(कच) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण (जैसे, फेफड़े/तिल्ली कैल्सीफिकेशन + लक्षण)।

(कछ) असामान्य सीरम कैल्शियम स्तर।

(कज) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(ङ) **<u>हेपेटिक हेमेंगीओमा</u>**

(i) फिट :-

(कक) यकृत में एकल हेमेंगीओमा, आकार में ≤ 2.5 सेमी तक, साथ ही यकृत का सामान्य इकोटेक्सचर और पीटी/आईएनआर, प्लेटलेट्स, अल्फा फीटो प्रोटीन और चुनिंदा मामलों में पीआईवीकेए या डीसीपी के सामान्य मान।

(ii) अनफ़िट :-

(कक) 2.5 सेमी से अधिक हेमेंगीओमा ।

(कख) एकाधिक हेमेंगीओमा ।

(कग) किसी भी आकार का असामान्य हेमेंगीओमा (सीटी स्कैन पर रेडियोलॉजिकल निदान)।

(कघ) किसी भी आकार या संख्या का सबकैप्सुलर हेमेंगीओमा ।

(कड) स्प्लीन (प्लीहा) में किसी भी आकार या संख्या का हेमेंगीओमा ।

(च) <u>**प्लीहा (स्प्लेनिक) कैल्सीफिकेशन और एसओएल**</u>

(i) फिट:-

(कक) एकल कैल्सीफिकेशन ≤ 2 सेमी या एकाधिक, कुल आकार 2 सेमी से अधिक न हो और कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन घटना) न हो।

(कख) टीबी, परजीवी संक्रमण, या पुरानी यकृत रोग का कोई पिछला मामला/लक्षण न हो।

(कग) कोई अन्य अंग प्रभावित न हो (जैसे, फेफड़े/ स्प्लीन (तिल्ली) कैल्सीफिकेशन)।

(कघ) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।

(कड) सामान्य आईजीआरए, एचबी इलेक्ट्रोफोरिसिस, वास्कुलिटिक परीक्षण और हाइडैटिड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफ़िट:-

(कक) एकल आकार > 2 सेमी.।

(कख) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 2 सेमी.।

(कग) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

(कघ) वॉल/ डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइडैटिड सीरोलॉजी सहित)।

(कड) संबंधित निष्कर्ष (जैसे, स्प्लेनिक (प्लीहा) फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।

(कच) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण।

(कछ) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(छ) <u>गॉल ब्लैडर की एजेनेसिस</u> - बाइलेरी ट्रैक्ट की अन्य किसी असामान्यता की अनुपस्थिति में उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों के लिए एमआरसीपी की जाएगी।

17. ***मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)***

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अंडीसेंडेड टेस्टीस),एकपक्षीय अनवातीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडड टेसटिस), वृषण का वंक्षण नली में (इनग्वनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अब्डोमिनल) वलय में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही न किया जाए।

नोटः- एक वृषण (टेस्टिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेस्टिस) को निकाल न दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति उम्मीदवार के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच में एल्बुमिनुरिया या ग्लाइकोसुरिया सहित कोई असामान्यता।

(छ) अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

(कक) रीनल कैलकूली। आकार, संख्या, अवरोधक या गैर अवरोधक होने पर ध्यान दिए बिना। रीनल कैलकुली का पुराना मामला (पुराना मामला अथवा रेडियोलोजिकल लक्षण) होने पर उम्मीदवार को अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा।

(कख) कैलीएक्डेसिस

(कग) ब्लैडर डायवर्टीकुलम

(कघ) सामान्य रीनल सिस्ट > 1.5 सेमी

18. ***केन्द्रीय स्नायु तंत्र***

(क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।

(ख) स्पंदन (Tremors)

(ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले उम्मीदवार स्वीकार्य नहीं होंगे।

19. ***मानसिक विकार*** - उम्मीदवार अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिका संबंधी अस्थिरता (नरवस इनस्टेबिलिटी) का पुराना इतिहास या प्रमाण।

20. ब्लॉक कशेरुक (बर्टिब्रा)

(क) फिट:-

(i) डोर्सल स्पाइन के सिंगल लेवल कंप्लीट ब्लॉक बर्टिब्रा को चिकित्सीय रूप से फिट माना जाएगा।

(ii) किसी भी न्यूरो-डेफिशिएंसी/एनोमली की अनुपस्थिति में फिट।

(ख) फिट:-

(i) पूर्ण/अपूर्ण अवरुद्ध ग्रीवा कशेरुक।

(ii) एक से अधिक लेवार पर डोर्सल वर्टिब्रा का ब्लॉक होना।

<u>लैब जांच (हेमेटॉलॉजी)</u>

(क) **<u>पॉलीसिथेमिया-</u>** पुरुषों में 16.5 g/dl से अधिक तथा महिलाओं में 16 g/dl से अधिक हीमोग्लोबिन रहने पर पॉलीसिथेमिया माना जाएगा तथा अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) **<u>मोनोसाइटोसिस-</u>** 1000/cu mm से अधिक ऐबसोल्यूट मोनोसाइट काउंट्स या कुल डबल्यूबीसी काउंट 10% से अधिक या बराबर रहने पर उम्मीदवार को अनफ़िट मान लिया जाएगा।

(ग) **<u>इओसिनोफिलिया-</u>** 500/cu mm से अधिक या बराबर ऐबसोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स रहने पर उम्मीदवार को अनफ़िट माना जाएगा।

21. **<u>प्रवेश (एंट्री) पर स्वीकार्य दोष</u> -** नौसेना के लिए निम्नलिखित मामूली दोषों के साथ उम्मीदवारों को स्वीकार किया जा सकता है। तथापि प्रवेश के दौरान इन दोषों को चिकित्सकीय फॉर्म में नोट किया जाना चाहिए।

(क) आंतरिक मैलेओली (Malleoli) में 5 सेंमी से कम विच्छेद वाले नॉक नीज (knock knees)।

(ख) पैरों की हल्की वक्रता जो चलने या दौड़ने को प्रभावित नहीं करती है, इंटरकॉन्डाइलर दूरी 7 सेंमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) हल्का हकलाना जो अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करता हो।

(घ) वैरिकोसिल (varicocele) की हल्की डिग्री।

(च) वैरिकोज़ नसों (varicose veins) की हल्की डिग्री।

नोट:- जहां कहीं भी आवश्यक हो उपचारात्मक ऑपरेशन प्रवेश (एंट्री) से पहले करवा लिए जाए। अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के संबंध में निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है और एक उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एक ऑपरेशन वांछनीय है या अनिवार्य इसका निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार द्वारा किया जाना है। ऑपरेशन के परिणाम अथवा किए गए किसी भी खर्च के संबंध में सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

(ज) इसके अतिरिक्त कोई अन्य मामूली दोष जो कोई कार्यात्मक दिव्यांगता पैदा नहीं करता है और जो चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड की राय में एक अधिकारी के रूप में उम्मीदवार की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

<u>वायु सेना</u>

<u>वायु सेना में अधिकारी प्रवेश हेतु चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया</u>

<u>सामान्य अनुदेश</u>

1. इस खंड में, सीडीएसई के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उड़ान (फ्लाइंग) और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन प्रदान किए जाने के लिए उम्मीदवारों का शारीरिक मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन एक समान शारीरिक मानकों को निर्धारित करना और यह

सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार स्वास्थ्य संबंधी वैसी स्थितियों से मुक्त हैं जो संबंधित शाखा में उनके कार्य-निष्पादन को बाधित या सीमित कर सकते हैं। इस खण्ड में वर्णित दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षण के मानक तौर-तरीकों के साथ लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

2. सभी उम्मीदवारों को अपने प्रवेश के दौरान बुनियादी शारीरिक फिटनेस मानक स्तर पूरे करने चाहिए जो उन्हें योग्यता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और बाद में अलग-अलग तरह की जलवायु परिस्थितियों और कार्य परिवेशों में सेवा करने में समर्थ बनाएगा। एक उम्मीदवार तब तक शारीरिक रूप से फिट मूल्यांकित नहीं किया जाएगा/जाएगी जब तक कि संपूर्ण परीक्षण यह नहीं दिखाता कि वह लंबी अवधि तक कठोर शीरीरिक और मानसिक दबाव सहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम है। चिकित्सा फिटनेस की अपेक्षाएं अनिवार्य रूप से सभी शाखाओं के लिए समान हैं, सिवाय उन वायुकर्मीदलों के जिनके लिए पैनी नज़र एंथ्रोपोमीट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक स्तर के पैरामीटर और अधिक सख्त हैं।

3. उल्लिखित चिकित्सा मानक प्रारंभिक प्रवेश चिकित्सा मानकों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा फिटनेस की निरंतरता का मूल्यांकन कमीशनिंग से पहले एनडीए/एएफए में आयोजित चिकित्सा परीक्षाओं की अवधि के दौरान किया जाएगा। बीमारियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को देखते हुए वे संपूर्ण नहीं हैं। ये मानक वैज्ञानिक ज्ञान में उन्नति और सशस्त्र बलों की कार्य स्थितियों में बदलाव के साथ परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

4. **विशेष चिकित्सा बोर्ड के लिए प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच**

(क) **हेमेटॉलॉजी:** पूर्ण हिमोग्राम (ह्यूमोग्लोबिन आकलन, डिफ्रेन्शियल ल्यूकोसाइट काउंट के साथ कुल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट)।

(ख) कमीशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा ताकि हीमोग्लोबिनोपैथी वाले उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके।

(ग) **जैव-रसायन:** लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), रीनल फंक्शन टेस्ट (आरएफटी), रक्त ग्लूकोज आकलन (फास्टिंग तथा 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज/ 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट लोडिंग के दो घंटे बाद), लिपिड प्रोफाइल।

(घ) यूरीन रुटीन एग्जामिनेशन (आरई) और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन (एमई)।

(च) ईसीजी

(छ) रेडियोलॉजी:-

(i) सभी उम्मीदवारों में रेडियोग्राफ़ चेस्ट पीए व्यू।

(ii) रेडियोग्राफ लिम्बोसैक्रल स्पाइन: सभी उम्मीदवारों में एपी और लेटरल व्यू।

(iii) उपरोक्त रेडियोग्राफ के अतिरिक्त, **उड़ान (फ्लाइंग) ड्यूटी** के लिए मूल्यांकन किए जा रहे सभी उम्मीदवारों में ग्रीवा रीढ़ (सर्वाइकल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view), पृष्ठीय रीढ़ (डोर्सल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view) भी किए जाएंगे।

(iv) पेट (Abdomen) और पेडू (Pelvis) का यूएसजी।

(v) यदि कोई अन्य अतिरिक्त जांच आवश्यक समझी जाएगी तो वह अपील चरण के दौरान की जाएगी।

सामान्य शारीरिक मूल्यांकन

5. वायु सेना के लिए फिट होने हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को अगले पैराग्राफ में निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड स्वीकार्य सीमा के भीतर और समानुपातिक होने चाहिए।

6. पुराने फ्रैक्चरों/चोटों के बाद के असर का मूल्यांकन किया जाएगा कि वे कार्य-निष्पादन को किसी प्रकार बाधित तो नहीं करता। यदि कार्य-निष्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता तो उम्मीदवार को फिट मूल्यांकित किया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए:-

(क) **रीढ़ की चोट** - रीढ़ के पुराने फ्रैक्चर वाले उम्मीदवार अनफिट हैं। रीढ़ में आई कोई विकृति अथवा किसी कशेरूका (वर्टेब्रा) का दबा होना उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का एक कारण होगा।

(ख) **नस की चोट** - अधिक बड़ी नसों के स्कंध में आई चोट जिससे कार्य-निष्पादन में कमी आती हो अथवा न्यूरोमा (गांठ) बनना जिससे दर्द, अधिक भनभनाहट होती हो, उड़ान ड्यूटी में नियोजित किए जाने के लिए अनुपयुक्त होने के कारण होंगे।

(ग) **केलॉइड** - बड़े या एक से अधिक केलॉइड होने का मामला उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

(घ) **शल्य क्रिया के निशान** मामूली और अच्छी तरह भर चुके निशान जैसे कि किसी सतही शल्य क्रिया से बने निशान नियोजन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नहीं हैं। हाथ-पैर या धड़ पर घाव के बहुत बड़े निशान जिससे कार्य-निष्पादन में बाधा आ सकती हो अथवा जो भद्दे दिखते हों वे अनफिट माने जाने का कारण होंगे।

(च) **जन्मजात निशान** हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में असामान्य पिगमेंटेशन (झाइयां) स्वीकार्य नहीं है। तथापि, स्थानिक जन्मजात तिल/नेवस स्वीकार्य है बशर्ते इसका आकार 10 से.मी. से छोटा हो। जन्मजात एकाधिक तिल (नेवस) या वाहिकीय रसौली (वैस्कुलर ट्यूमर) जिससे काम-काज में बाधा आती हो या जिसमें लगातार जलन होती हो, स्वीकार्य नहीं है।

(छ) **त्वचा के नीचे सूजन** लिपोमा को तब तक फिट माना जाएगा जब तक कि लिपोमा आकार/अवस्थिति के कारण कोई बड़ी विकृति /कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न न कर रही हो। न्यूरोफाइब्रोमा, यदि एक हो, तो उसे फिट माना जाएगा। बड़े कैफ़े–ऑ-ले धब्बों (*Caf'e-au-lait* spots) (1.5 से.मी. आकार से बड़े या संख्या में एक से ज्यादा) से जुड़े एकाधिक न्यूरोफ्राइब्रोमा के मामले में अनफिट माना जाएगा।

(ज) **सर्वाइकल रिब** किसी न्यूरो-वैस्कुलर समस्या से रहित सर्वाइकल रिब स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में कोई न्यूरो-वैस्कुलर समस्या की आशंका दूर करने के लिए बारीकी से नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए।

(झ) **क्रानियो-फेशियल विकृति -** चेहरे और सिर की विषमता या खोपड़ी, चेहरे या जबड़े की ठीक न कराई गई विकृतियां, जिनसे ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट या सैन्य हेडगियर सही तरीके से पहन पाने में समस्या होगी, अनफिट होने का कारण मानी जाएंगी। ठीक करने के लिए कराई शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी रह गई गंभीर विकृतियों को अनफिट होने का कारण माना जाएगा।

(ट) **ऑपरेशनों से संबंधित पूर्व विवरण** ऐसा उम्मीदवार, जिसके उदर (पेट) का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें बड़ी शल्य-क्रिया (सर्जरी) की गई हो अथवा कोई अंग अंशतः/ पूरा निकाल दिया गया हो, नियमतः, सेवा के लिए अनफिट है। खोपड़ी (क्रानियल वॉल्ट) से जुड़ा ऑपरेशन, जिससे हड्डी का कोई दोष रह गया हो, अनफिट होने का कारण होगा। छाती के बड़े ऑपरेशन हुए होने पर उम्मीदवार अनफिट होगा।

माप और शारीरिक गठन

7. **छाती का आकार और परिमाप**- छाती भली-भांति विकसित और समानुपातिक होनी चाहिए। छाती की कोई भी विकृति, जिससे प्रशिक्षण और सैन्य ड्यूटी के निष्पादन के दौरान शारीरिक परिश्रम में दिक्कत आने की आशंका हो अथवा जो सैन्य प्रभाव धारण करने में प्रतिकूल असर डालती हो अथवा किसी कार्डियो-पल्मोनरी या मस्कुलोस्केलेटल विसंगति से जुड़ी हो, अनफिट होने का कारण मानी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए छाती की परिधि का अनुशंसित न्यूनतम परिमाप 77 से.मी. है। सभी उम्मीदवारों के लिए छाती फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 05 से.मी. होना चाहिए। अभिलेख में दर्ज करने के प्रयोजनार्थ 0.5 से.मी. से कम कोई भी दशमलव अंश अनदेखा किया जाएगा, 0.5 से.मी. को उसी रूप में दर्ज किया जाएगा और 0.6 से.मी. तथा इससे अधिक को 01 से.मी. के रूप में दर्ज किया जाएगा।

8. **कद**

(क) **ग्राउंड ड्यूटी शाखा-** ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद इस प्रकार है-

(i) पुरूष - 157 सें.मी.

(ii) महिलाएं – 152 सें.मी.

नोट 1– लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य कद 2 से.मी. घटाया जा सकता है (पुरूषों के लिए 155 से. मी. और महिलाओं के लिए 150 से. मी.)। गोरखाओं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य कद 5 से.मी. कम (पुरूषों के लिए 152 से. मी. और महिलाओं के लिए 147 से. मी) होगा।

नोट 2– पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों में, गोरखा, कुमाउंनी, गढ़वाली, असमिया तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं।

(ख) **उड़ान (फ्लाइंग) ड्यूटी शाखाएं**- उड़ान ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद (पुरूष एवं महिला दोनों के लिए) निम्नानुसार होगा:-

(i) पायलट, उड़ान परीक्षण इंजीनियर (एफटीई) तथा एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यू एस ओ के लिए–**162 सें.मी**.

(ii) एफ (पी), एफटीई ड्यूटी और एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यूएसओ को छोड़कर ऐसे अफसर और एयरमेन जो वायुकर्मीदल (एयरक्रू) ड्यूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, के लिए-**157 से.मी**।

9. **बैठे होने पर लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई**- ऐसे वायुकर्मीदल (एयरक्रू) के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठे होने पर स्वीकार्य माप के अनुसार लंबाई निम्नानुसार होगी :-

(क) **बैठे होने पर लंबाई**	न्यूनतम - 81.5 से.मी.
	अधिकतम - 96.0 से.मी.
(ख) **टांग की लंबाई**	न्यूनतम - 99.0 से.मी.
	अधिकतम - 120.0 से.मी.
(ग) **जांघ की लंबाई**	अधिकतम - 64.0 से.मी.

10. **शरीर के वजन के मानक**

(क) उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन सीमा इस अध्याय के परिशिष्ट 'क' (पुरूष उम्मीदवारों हेतु) में उल्लिखित है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु तथा कद, दी गई वजन सीमा के बाहर है उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 'क'

(पैरा 8 एवं 10 देखें)

कद के अनुसार वजन संबंधी चार्ट : पुरूषों के लिए (प्रवेश के समय)

कद (से.मीटर)	न्यूनतम वजन (कि.ग्रा.)	अधिकतम वजन (कि.ग्रा.)		
		पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 वर्ष से कम है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 से 25 वर्ष है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 25 से अधिक है
152	40	53	55	58
153	40	54	56	59

154	40	55	57	59
155	41	55	58	60
156	41	56	58	61
157	42	57	59	62
158	42	57	60	62
159	43	58	61	63
160	44	59	61	64
161	44	60	62	65
162	45	60	63	66
163	45	61	64	66
164	46	62	65	67
165	46	63	65	68
166	47	63	66	69
167	47	64	67	70
168	48	65	68	71
169	49	66	69	71
170	49	66	69	72
171	50	67	70	73
172	50	68	71	74
173	51	69	72	75
174	51	70	73	76
175	52	70	74	77
176	53	71	74	77
177	53	72	75	78
178	54	73	76	79
179	54	74	77	80
180	55	75	78	81
181	56	75	79	82
182	56	76	79	83
183	57	77	80	84
184	58	78	81	85
185	58	79	82	86
186	59	80	83	86

187	59	80	84	87
188	60	81	85	88
189	61	82	86	89
190	61	83	87	90
191	62	84	88	91
192	63	85	88	92
193	63	86	89	93
194	64	87	90	94
195	65	87	91	95
196	65	88	92	96
197	66	89	93	97
198	67	90	94	98
199	67	91	95	99
200	68	92	96	100

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम

11. **पल्स**- निरंतर रहने वाले साइनस टैकिकॉर्डिया (>100बीपीएम) तथा निरंतर रहने होने वाले साइनस ब्रेडिकार्डिया (<60 बीपीएम) को अनफ़िट माना जाएगा। यदि ब्रेडिकार्डिया शरीर क्रिया से संबंधित मानी जाती है तो उम्मीदवार को चिकित्सा विशेषज्ञ/हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरांत फिट घोषित किया जा सकता है।

12. **रक्त चाप** - कोई व्यक्ति जिसका सिस्टोलिक रक्तचाप 140 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है और/या जिसका डायस्टोलिक रक्तचाप 90 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है उसे अस्वीकृत किया जाएगा।

13. **कार्डियक मर्मर-** ऑर्गेनिक कार्डियोवस्कुलर रोग के लक्षण मिलना अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डायस्टोलिक मर्मर अपरिवर्तनीय रूप से जैविक है। इजेक्शन सिस्टोलिक प्रकृति के छोटे सिस्टोलिक मर्मर जो थ्रिल से नहीं जुड़े हैं और जो खड़े होने पर कम हो जाते हैं, विशेषकर यदि वह सामान्य ईसीजी और छाती के रेडियोग्राफ से जुड़े हो, अधिकतर प्रकार्यात्मक होते हैं।

14. **ईसीजी** - एसएमबी/ भर्ती चिकित्सा परीक्षा में ईसीजी में पाई गई कोई भी अनियमितता अस्वीकृति का आधार होगी। सामान्य ईसीजी अनियमितताएं जैसे अपूर्ण आरबीबीबी निम्न लीड में टी वेव इनवर्जन (प्रतिलोमन), वी 1 से वी 3 में टी इनवर्जन (जूवनाइल पैटर्न), वोल्टेज मानक द्वारा एल वी एच (पतली चेस्ट वॉल के कारण), किसी भी संरचनागत ह्रदय रोग के बिना उपस्थित हो सकती है। ऐसे सभी मामलों में किसी अंतर्हित

संरचनागत हृदय रोग की आशंका को मिटाने के लिए इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए और वरिष्ठ परामर्शदाता (मेडिसिन) या हृदयरोग विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए।

15. **हृदय संबंधी जन्मजात विसंगतियां** - हृदय संबंधी सभी जन्मजात विसंगतियों में अनफिट घोषित किया जाएगा।

16. **हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़** - पूर्व में की गई हृदय की सर्जरी/पूर्व-उपचार वाले उम्मीदवार को अनफ़िट माना जाएगा।

श्वसन तंत्र (रेस्पीरेटरी सिस्टम)

17. **पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस**- चेस्ट रेडियोग्राम में किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में दिए गए साक्ष्य, पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई भी अवशिष्ट स्कारिंग अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट असामान्यता न हो उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले पूरा किया जा चुका हो।

18. **एफ्यूज़न सहित प्लूरिसी**- प्लीयूरल स्थूलता का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण बनेगा। अपील के समय इन मामलों को पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

19. **ब्रांकाइटिस**- खांसी /सांस लेने में घरघराहट/ ब्रोंकाइटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास श्वसन पथ के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अन्य क्रोनिक पैथोलॉजी का लक्षण हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा तथा पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अपील के समय उचित जांच के साथ उनका विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

20. **ब्रोंकियल अस्थमा**- ब्रोंकियल अस्थमा /सांस लेने में घरघराहट /एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास अस्वीकृति का कारण होगा।

21. **चेस्ट का रेडियोग्राफ करना**- फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल लक्षण उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का मापदंड होंगे।

22. **थोरासिक सर्जरी-** यदि पूर्व में उम्मीदवार की थोरेक्स की मेजर सर्जरी हुई हो तो वह अनफिट माना जाएगा।

पाचन तंत्र (Gastrointestinal System)

23. **सिर से पांव तक की जांच** -लिवर कोशिका की खराबी के किसी लक्षण की मौजूदगी (अर्थात बालों का झड़ना, पैरोटिडोमेगली, स्पाइडर नैवी, गाइनोकोमास्टिया, टेस्टीकुलर एट्राफी, फ्लैपिंग ट्रेमर आदि) तथा

मालएब्सॉर्पशन का कोई भी लक्षण (पैलर, नाखून तथा त्वचा में बदलाव, एंगुलर चेलिटीस, पेडल एडेमा) अस्वीकार करने का आधार होगा।

24. **गैस्ट्रो डुओडेनल दिव्यांगता**- पहले हो चुकी सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/ पित्ताशय के अतिरिक्त) को आंशिक रूप से या पूरा निकाला गया हो, अस्वीकृति का आधार होगी।

25. **यकृत (लीवर) के रोग** - यदि पूर्व में पीलिया (जॉण्डिस) होने का पता चलता है या यकृत (लीवर) के काम करने में किसी प्रकार की असामान्यता का संदेह होता है, तो मूल्यांकन के लिए पूरी जांच करना अपेक्षित है। वायरल यकृत-शोथ (हेपाटाइटिस) या पीलिया के किसी अन्य रूप से ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को 06 माह की न्यूनतम अवधि बीत जाने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी नैदानिक रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) पूरी हो गई हो,एचबीवी और एचसीवी – दोनों स्थिति निगेटिव हो और यकृत (लिवर) सामान्य रूप से काम कर रहा हो। बार-बार पीलिया होने पर और किसी भी प्रकार का हाइपरबिलिरूबिनेमिया होने पर उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

26. **प्लीहा (स्प्लीन) का रोग** - जिन उम्मीदवारों का आंशिक/पूर्ण प्लीहोच्छदन (स्प्लीनेक्टोमी) हुआ हो, वे अनफिट होंगे चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी रहा हो।

27. **फीमरल हर्निया सहित एनटीरियर एब्डोमिनल वॉल हर्निया**

(i) फिट। सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों

(ii) अनफिट।

(क) इनसीजनल हर्निया के सभी मौजूदा या ऑपरेशन किए गए मामले (ख) मौजूदा एनटीरीयर एबडोमिनल वॉल हर्निया के सभी मामले।

इंग्विनल हर्निया। (i)फिट। हर्निया को ठीक करने संबंधी सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों (ii) **अनफिट**। वर्तमान इंग्विनल हर्निया के सभी मामले।

28. **एब्डोमिनल सर्जरी** - परंपरागत एब्डोमिनल सर्जरी (दाहिने इलियेक फॉसा इन्सीज़न को छोड़कर पैरा 36.2 देखें) के बाद इसके घाव के निशान जिस उम्मीदवार में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे 24 सप्ताह के बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते किसी छुपी हुई विकृति के दोबारा उभरने की आशंका न हो, हर्निया में कोई चीरा लगने का प्रमाण न हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

29. **<u>गुद-मलाशय (एनोरेक्टल) स्थितियां</u>** - जांच करने वाले को डिजिटल रेक्टल से जांच करनी चाहिए और बवासीर, बाहरी बवासीर, गुदा के त्वचा टैग, विदर, विवर, नालव्रण, भ्रंश, मलाशय पुंज या पॉलिप के न होने की बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

(क) **<u>फिट</u>**

(i) पॉलिप, बवासीर, विदर, नालप्रवण या व्रण (अल्सर) के लिए मलाशय की शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद बशर्ते बीमारी बची न होने/दोबारा न होने का प्रमाण हो।

(कक) गुदा संबंधी फिशर, बवासीर : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद।

(कख) पाइलोनिडल साइनस : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद।

(ख) <u>अनफिट</u>

(i) सुधार के लिए सर्जरी के बाद भी मलाशय भ्रंश।

(ii) सक्रिय गुदा संबंधी फिशर/बाहरी त्वचा संबंधी पट्टी।

(iii) बवासीर (बाहरी या भीतरी)।

(iv) गुदा संबंधी फिशटुला फिस्ट्यूला।

(v) गुदा या मलाशय का पॉलिप।

(vi) गुदा का निकुंचन।

(vii) मल असंयति।

30. एब्डोमन (पेट) की अल्ट्रासोनोग्राफी

(क) <u>यकृत (लिवर)</u>

<u>फिट</u>

(i) यकृत (लीवर), सीबीडी, आईएचबीआर, पोर्टल तथा शिराओं की सामान्य ईको-एनाटोमी के साथ मध्य-जत्रुकी रेखा (क्लैविक्युलर लाइन) में यकृत का विस्तार 15 सेमी से अधिक न हो।

(ii) 2.5 सेमी व्यास तक की एक साधारण रसौली (पतली भित्ति, ऐनईकोइक) बशर्ते एल एफ टी सामान्य और हाइडेटिड सीरम परीक्षण नेगेटिव हो।

(iii) यकृति कैल्सीकरण को फिट माना जाएगा यदि एक ही हो तथा 1 सेमी से कम आकार का हो और संगत नैदानिक परीक्षणों तथा उपयुक्त जांच के आधार पर तपेदिक, सार्काइडोसिस, हाईडेटिड रोग या यकृत में फोड़े के सक्रिय न होने का प्रमाण हो।

<u>अनफिट</u>

(i) मध्य- जत्रुकी रेखा (मिड-क्लैविक्युलर लाइन) में 15 सेमी से बड़ी यकृति वृद्धि।

(ii) वसीय यकृत (फैटी लिवर)।

(कक) असामान्य एल एफ टी के साथ ग्रेड 1 वसीय यकृत (फैटी लीवर)

(कख) ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वसीय यकृत (फैटी लीवर)।

(iii) एक अकेली रसौली > 2.5 सेमी।

(iv) मोटी भित्ति, पटभवन (सेप्टेशन), अंकुरक प्रक्षेप (पैपीलरी प्रोजेक्शन), कैल्सीफिकेशन और डैबरीज के साथ किसी भी आकार की एक रसौली।

(v) एकाधिक यकृति (लीवर) कैल्सीफिकेशन या गुच्छ जो 1 सेमी से अधिक हो।

(vi) किसी भी आकार की एकाधिक यकृति (लीवर) रसौली।

(vii) किसी भी आकार और अवस्थिति का कोई भी हीमेंगियोमा (रक्तवाहिकाबुर्द)।

(viii) प्रवेशद्वार पर शिरा घनास्रता (पोर्टल वेन थ्रैम्बोसिस)।

(ix) पोर्टल हाइपरटेंशन (पोर्टल नली >13 मीमी, कोलैटरल्स एसाइट्स) का प्रमाण।

31. **पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) :-**

(क) **फिट**

(i) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की सामान्य ईको-एनाटोमी।

(ii) **पोस्ट लैप्रोस्कोपिक कोलेकसिस्टेक्टॉमी-** आठ सप्ताह पश्चात बशर्ते एलएफटी एवं हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य सीमा में हो।

(iii) **पोस्ट ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी**- 24 सप्ताह के बाद, बशर्ते एलएफटी और हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य स्थिति में हों और अल्ट्रासाउंड द्वारा उदर (एब्डोमन) में इनसिजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई हो।

(ख) **अनफिट**

(i) कोलिलिथिएसिस या बिलिअरी स्लज।

(ii) कोलिडोकोलिथिएसिस ।

(iii) किसी भी आकार एवं संख्या का पॉलिप।

(iv) कोलिडोकल सिस्ट।

(v) गॉल ब्लैडर मास।

(iv) गॉल ब्लैडर वॉल की मोटाई >05 मिमी।

(vii) सेप्टेट गॉल ब्लैडर।

(viii) दोबारा यूएसजी होने पर लगातार सिकुड़ता हुआ गॉल ब्लैडर।

(ix) अपूर्ण कोलिसिस्टेक्टॉमी।

(ग) **अल्ट्रासाउंड में न दिखने वाला पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)** - इसे अनफिट माना जाएगा। पित्त संबंधी ट्रैक्ट की किसी अन्य असामान्यता की मौजूदगी में अगर गॉल ब्लैडर के निकास की मैग्नेटिक रेसोनैन्स

कॉलेनगिओ-पैनक्रिअटोग्राफी (एमआरसीपी) में पुष्टि होती है तो अपील के दौरान उन्हें फिट माना जाएगा ।

32. <u>प्लीहा (स्प्लीन)</u>

(क) <u>अनफिट</u>

(i) अक्षांशीय धुरी (लांगिट्यूडिनल एक्सिस) में प्लीहा (स्पलीन) 13 सेमी से अधिक हो (अथवा यदि चिकित्सीय रूप से सुस्पष्ट हो).

(ii) प्लीहा (**स्प्लीन**) में स्थान घेरने वाली कोई विक्षति।

(iii) एस्प्लेनिया।

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिनकी आंशिक/पूर्ण स्प्लेक्टॉमी हुई है, चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो, अनफिट माने जाएंगे।

33. <u>अग्न्याशय (पैंक्रियाज़)</u>

(क) <u>अनफिट</u>

(i) कोई भी संरचनात्मक असामान्यता।

(ii) कोई भी जगह घेरने वाला घाव/बड़े पैमाने पर घाव।

(iii) क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की विशेषताएं (कैल्सीफिकेशन, डक्टल असामान्यता, एट्रोफी)।

34. <u>उदर आवरण गुहिका (पेरीटोनियल कैविटी)</u>

(क) <u>अनफिट</u>

(i) जलोदर (Ascites)।

(ii) सोलिटरी मे सेन्ट्रिक अथवा रेट्रोपेरिटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से बड़ा हो। (सिंगल रेट्रोपेरिटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से कम एवं बनावट में सामान्य होने पर फिट माना जाएगा)।

(iii) किसी भी आकार के दो या अधिक लिंफ नोड।

(iv) कोई भी मास या सिस्ट।

35. मेजर एब्डोमिनल वैस्क्युलेचर (आर्टो /आईवीसी)। कोई संरचनात्मक असामान्यता, फोकल एक्टेसिया, एन्यूरिज़्म एवं कैल्शिफिकेशन होने पर अनफिट माना जाएगा।

36. <u>एपेन्डीसेक्टॉमी</u>

(क) न्यूनतम 04 **सप्ताह** की अवधि के पश्चात **लेप्रोस्कोपिक एपेन्डीसेक्टॉमी** की पोस्ट-ऑपरेटिव फिटनेस के लिए जांच की जाएगी। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-

i. उसके ऑपरेशन के बाद उस जगह के निशान (स्कार) अच्छे से भर गए हों।

ii. निशान (स्कार) नरम हों।

iii. एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।

iv. यूएसजी के द्वारा पोर्ट साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।

(ख) **ओपन एपेंडिसेक्टॉमी** का न्यूनतम **12 सप्ताह** की अवधि के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव फिटनेस के लिए मसल स्प्लिट एप्रोच द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-

i. घाव अच्छी तरह से भर गया हो।

ii. निशान (स्कार) सुनम्य और कमजोर (नॉन टेंडर) न हों।

iii. एपेंडिक्स की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।

iv. यूएसजी के द्वारा सर्जिकल साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।

मूत्र-प्रजनन प्रणाली (Urogenital System)

निम्नलिखित फिटनेस मानदंडों का पालन किया जाएगाः-

37. अनडिसेंडेड टेस्टिस (यूडीटी) ऑर्किडेक्टॉमी

(क) **अनफिट**

(i) स्क्रेटिंग पोजीशन में उम्मीदवार की जांच हो जाने के बाद भी यदि टेस्टिस (एक पार्श्वी अथवा द्विपार्श्वी) स्पर्श्य न हो या छुआ न जा सकता हो।

(ii) ट्रॉमा, टॉर्शन अथवा इन्फेक्शन जैसे किसी भी कारण से द्विपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी को अनफिट माना जाएगा।

(ख) **फिट**

(i) सर्जरी के कम से कम 04 सप्ताह बाद प्रवर्ती अथवा प्रभावी रूप से ठीक हो चुका यूडीटी, बशर्ते कि शल्यचिकित्सा सुधार (सर्जिकल करेक्शन) के बाद टेस्टिस सामान्य स्थान पर हो एवं घाव अच्छी तरह से भर चुका हो।

(ii) सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरिकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

38. एट्रोफिक टेस्टिस

(क) **अनफिट**- द्विपार्श्वी एट्रोफाइट टेस्टिस।

(ख) **फिट**- सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी एट्रोफिक टेस्टिस, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरिकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

39. वैरिकोसील

(क) **अनफिट-** वर्तमान वैरिकोसील के सभी ग्रेड।

(ख) **फिट**- ऑपरेशन के बाद वाले मामले जिनमें वैरिकोसील का कोई भी अवशेष न हो एवं सर्जरी के 08 सप्ताह बाद कोई ऑपरेशन पश्चात् समस्या अथवा टेस्टिक्युलर एट्रोफी न हो।

40. **हाइड्रोसील**

(क) **अनफिट**- किसी भी तरफ मौजुदा हाइड्रोसील।

(ख) **फिट**- सर्जरी के 08 सप्ताह बाद हाइड्रोसील के ऑपरेशन किए जा चुके मामले, यदि ऑपरेशन के बाद कोई भी समस्या न हो एवं घाव अच्छी तरह से भर गया हो।

41. एपिडीडिमल सिस्ट/मास, स्पर्मेटोसील।

(क) अनफिट – मौजूदा सिस्ट/मास

(ख) फिट - ऑपरेशन के 8 सप्ताह बाद पूरी तरह ठीक होने के मामले, पुनरावृत्ति नहीं होना तथा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में केवल बिनाइन लक्षण।

42. **एपिडिडीइमाइटिस/ऑर्काइटिस**

(क) **अनफिट**- वर्तमान ऑर्काइटिस अथवा एपिडीटाइमिटिस/ट्यूबरोक्युलॉसिस की उपस्थिति।

(ख) **फिट** - उपचार के बाद, बशर्ते कि स्थिति पूर्ण रूप से सुधर गई हो।

43. **एपिस्पैडियास/हाइपोस्पैडियास**

(क) **अनफिट** - हाइपोस्पैडियास एवं एपिस्पैडियास के ग्लैन्युलर प्रकार जो कि स्वीकार्य है, के अतिरिक्त सभी अनफिट हैं।

(ख) **फिट-** सफल सर्जरी के कम से 08 सप्ताह बाद के ऑपरेशन के बाद वाले मामले, बशर्ते स्वास्थ्य सुधार पूरा हो चुका हो एवं कोई भी समस्या न हो।

44. **पेनाइल एम्प्युटेशन** -किसी भी प्रकार का अंग विच्छेदन उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

45. **फिमोसिस**

(क) **अनफिट** – मौजुदा फिमोसिस, यदि स्थानीय स्वच्छता और मूत्रत्याग में रुकावट डालने के लिए पर्याप्त रूप से तंग है और/या बैलेनाइटिस जेरोटिका ओब्लिटरन्स से जुड़ा हुआ है।

(ख) **फिट** - ऑपरेशन हो चुके मामलों को सर्जरी के 04 सप्ताह बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि घाव अच्छी तरह से भर गए हों एवं ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की समस्या न देखी गई हो।

46. **मीटल स्टेनोसिस**

(क) **अनफिट -** वर्तमान बीमारी, यदि वॉइडिंग में को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से छोटा हो।

(ख) **फिट**- हल्की बीमारी जो पेशाब करने में बाधा नहीं डालती है और सर्जरी के 04 सप्ताह के पश्चात के ऑपरेशन के मामले, जिसमें घाव पर्याप्त रूप से ठीक हो गया हो और ऑपरेशन के पश्चात कोई जटिलता न हो।

47. स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल फिस्टुला। ऐसे पुराने/वर्तमान मामलों अथवा ऑपरेशन के बाद वाले मामलों में उम्मीदवार अनफिट माना जाएगा।

48. सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी/इंटरसेक्स स्थिति- **अनफिट।**

49. **नेफ्रेक्टॉमी-** चाहे सर्जरी का प्रकार कुछ भी क्यों न हो, (सिम्पल /रेडिकल /डोनर /आंशिक /आरएफए /क्रायो-ऐब्लेशन) सभी मामले, अनफिट माने जाएंगे।

50. रीनल ट्रांसप्लांट ग्राही **अनफिट।**

51. यूरैकल सिस्टः 08 सप्ताह (किसी भी अवशेष के न होने पर फिट माने जाएंगे)।

52. ब्लैडर डायवर्टिक्युलम के मामलों को अनफिट माना जाएगा।

53. **पेशाब की जांच**

(क) **प्रोटीन्यूरिया-** प्रोटीन्यूरिया अस्वीकृति का एक कारण होगा, जब तक कि यह ऑर्थोस्टेटिक प्रमाणित न हो जाए।

(ख) **ग्लाइकोसूरिया-** जब ग्लाइकोसूरिया का पता चलता है, एक ब्लड शुगर जांच (खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोस के बाद) और ग्लाइको साइलेटिड हीमोग्लोबीन परीक्षण किया जाएगा, और परिणामों के आधार पर फिट होने का निर्धारण होता है। रीनल ग्लाइकोसूरिया अस्वीकृति का कारण नहीं है।

(ग) **मूत्र संक्रमण-** जब उम्मीदवार का मूत्र संक्रमण का पुराना मामला है या कोई प्रमाण है तब उसकी पूर्ण रीनल जांच की जाएगी। मूत्र संक्रमण का सतत प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(घ) **रक्तमेह (हेमेच्यूरिया)** - हेमेच्यूरिया के इतिहास वाले उम्मीदवारों की पूर्ण रीनल जांच की जाएगी।

54. **ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस**

(क) एक्यूट – इस परिस्थिति में एक्यूट चरण में ठीक होने की उच्च संभावना होती है, विशेषकर बचपन में। कोई उम्मीदवार जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसे प्रोटीन्यूरिया नहीं है, को पूरी तरह ठीक होने के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

(ख) पुराना (क्रोनिक)- क्रोनिक ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस वाले उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

55. **रीनल कैल्कुली**- आकार, संख्या, अवरोधी अथवा गैर-अवरोधी के निरपेक्ष रीनल कैल्कुली का इतिहास (इतिहास अथवा रेडियोलॉजिकल प्रमाण) किसी उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

56. यौन संचारित रोग और ह्यूमन इम्युनो डेफिशिएंसी वायरस (एच आई वी) सीरोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति और/या एस टी डी के प्रमाण वालों को अस्वीकार किया जाएगा।

57. एब्डोमन की अल्ट्रासोनोग्राफी – यूरोजेनिटल प्रणाली

58. **गुर्दा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर**

(क) **अनफिट**

(i) गुर्दों या यूरिनरी ट्रैक्ट की जन्मजात संरचनात्मत असामान्यताएं

(कक) एक-पार्श्वी रीनल एगनेसिस

(कख) 08 से.मी. से कम आकार के एकपार्श्वी या द्विपार्श्वी हाइपोप्लास्टिक/ कॉंट्रैक्टेड गुर्दा।

(कग) गुर्दे का मालरोटेशन

(कघ) हॉर्सशू गुर्दा (किडनी)

(कच) टॉस्ड गुर्दा (किडनी)

(कछ) क्रॉस्ड फ्यूज्ड/एक्टोपिक गुर्दा।

(ii) एक गुरदे में 1.5 से.मी. से अधिक आकार का सामान्य एकल रीनल सिस्ट।

(iii) जटिल सिस्ट/पॉलीसिस्टिक रोग/बहु या द्विपार्श्व सिस्ट।

(iv) रीनल/यूरेटेरिक/वेसिकल मास।

(v) हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाईड्रोयूरेटेरोनेफ्रोसिस।

(vi) कैल्कुली- रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल।

(vii) कैल्किटासिस

(ख) **फिट**

(i) एकल, एकपार्श्वी सामान्य रीनल सिस्ट <1.5 से.मी. बशर्ते सिस्ट बाहर स्थित है जो गोल/अंडाकार है जिसकी पतली चिकनी सतह है और कोई लोकल्यूकेशन नहीं है, पार्श्व भाग बढ़ा हुआ है, डिबरिस, सेप्टा और कोई ठोस घटक नहीं है।

अन्तःस्रावी (एंडोक्राइन) प्रणाली

59. एंडोक्राइन विकार दर्शाने वाला किसी भी प्रकार का पुराना मामला न हो।

60. **चिकित्सीय परीक्षण**- एंडोक्राइन रोग के किसी भी चिकित्सीय लक्षण वाला व्यक्ति अनफिट होगा।

61. थायरॉइड सूजन वाले सभी मामले अनफिट हैं। ऐसे मामलों की फिटनेस संबंधी अपील मेडिकल बोर्ड में उपयुक्त जांच के साथ मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जाएगी।

62. मधुमेह मैलिटस वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाले उम्मीदवार के ब्लड शुगर (खाली पेट और 75ग्राम एनहाइड्रस/ 82.5 ग्राम मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्रहण के बाद) और एचबीए1सी की जांच की जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

त्वचाविज्ञान (डर्मेटोलॉजिकल) प्रणाली

63. **संबद्धित पिछला मामला और परीक्षण** - ऐसे उम्मीदवार जिनमें व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता (सीएसडब्ल्यू) के साथ यौन संपर्क का पुराने मामले का पता चलता है और एक निशान के रूप में लिंग पर चोट, जो भर गई है, का प्रमाण मिलता है, को स्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा चाहे प्रत्यक्ष यौन संचारित रोग न हों, क्योंकि ये उम्मीदवार समान संलिप्त संभोग व्यवहार के साथ संभावित 'पुनरावृत्ति' वाले हैं।

64. **<u>त्वचा रोगों का मूल्यांकन -</u>** एक्यूट नॉन-एक्जैनथिमेटस और विसंक्रामक रोग जो आमतौर पर अस्थायी समय के लिए होते हैं, अस्वीकृति का कारण नहीं होंगे। हल्की प्रकृति के रोग और जो सामान्य स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करते या अक्षमता पैदा नहीं करते, वे अस्वीकृति का कारण नहीं होते हैं।

65. ट्रॉपिकल परिस्थितियों में कुछ निश्चित त्वचा रोगों के सक्रिय और अक्षमता पैदा करने वाले बनने की संभावना है। कोई व्यक्ति सेवा के लिए अनफिट है यदि उसमें क्रॉनिक या पुनरावृति वाले त्वचा रोग का निश्चित इतिहास या लक्षण हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियों का वर्णन नीचे किया गया है:-

66. **<u>पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस</u>** - पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ मात्रा शारीरिक है जिसमें उस परिस्थिति पर विचार किया जाता है जिसका सामना चिकित्सा जांच के दौरान भर्ती होने वाला व्यक्ति करता है। हालांकि, विशिष्ट पल्मोप्लाटर हाइपरहाइड्रोसिस वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

67. **<u>एक्ने वल्गारिस</u>**- हल्के (ग्रेड-I) मुहांसे जिसमें कुछ कोमिडोन या पाप्यूल्स जो केवल चेहरे तक सीमित होता है, स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि, सामान्य से गंभीर डिग्री के मुहांसे (नोड्यूलोसिस्टिक प्रकार के या कीलोइडल दाग-धब्बों के साथ या बिना) या जिसमें पीछे का हिस्सा शामिल हो, को अनफिट माना जाएगा।

68. **<u>पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा</u>**- हाइपरकेराटोइक हथेलियों, तलवों और एड़ियों पर फटी त्वचा के साथ जुड़ी पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा की किसी भी डिग्री वाले उम्मीदवार को अनफिट समझा जाएगा।

69. **<u>इक्थियोसिस वल्गारिस</u>**- प्रत्यक्ष सूखी, धारीधार, फटी त्वचा वाले ऊपरी और निचले अंगों की इक्थियोसिस वालों को अनफिट समझा जाएगा। हल्के जेरोसिस (सूखी त्वचा) वालों को फिट समझा जा सकता है।

70. केलॉइड वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

71. उंगलियों और पैरों के नाखूनों की क्लिनिकल प्रमाणित ओनिकोमाइकोसिस वालों को अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेषकर यदि वे नाखून डिस्ट्रॉफी से जुड़े हैं। डिस्टल रंगहीनता वाले हल्के डिग्री के एक नाखून जिसमें कोई डिस्ट्रॉफी नहीं है, को स्वीकार किया जा सकता है।

72. जाइंट कॉनजेनिटल मेलानोसाइटिक नीवी, जो 10 से.मी. से अधिक हैं, को अनफिट माना जाए क्योंकि ऐसे विशाल आकार के नेवी में असाध्य होने की क्षमता है।

73. एकल कॉर्न /वार्ट / कैलोसिटीज वालों को सफल उपचार के तीन माह बाद और पुनरावृत्ति न होने पर फिट समझा जाएगा। हालांकि, हथेलियों और तलवों पर अनेक वार्ट/ कॉर्न/ कैलोसिटीज वाले उम्मीदवार अथवा

हथेलियों और तलवों के दबाव वाले क्षेत्रों पर डिफ्यूस पल्मोप्लांटर मोसाइक वार्ट, विशाल कैलोसाइट्स वाले उम्मीदवारों को अस्वीकृत किया जाएगा।

74. सोरायसिस ऐसा दीर्घकालिक त्वचा रोग है जो बार-बार हो जाता है और/या पुनः हो जाता है और इसलिए इसे अनफिट समझा जाना चाहिए।

75. **विटिलिगो** - जिन व्यक्तियों को विटिलिगो होता है उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अपील पर, शरीर के ढके रहने वाले किसी-किसी हिस्से पर विटिलिगो हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।

76. त्वचा संक्रमण के पुराने या बार-बार होने वाले मामले अस्वीकृति का कारण होंगे। फॉलिकुलिटिस या सायकोसिस बारबे जो पूरी तरह ठीक हो गया हो, उसे फिट माना जा सकता है।

77. ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक्जिमा जैसा गंभीर या अक्षम करने वाली प्रकृति का पुराना या बार-बार होने वाला त्वचा रोग है, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा और अस्वीकृत किया जाएगा।

78. कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण होगा। सभी परिधीय नसों की मोटाई की जांच की जानी चाहिए और कुष्ठ रोग का संकेत देने वाला कोई भी नैदानिक प्रमाण अस्वीकृति का आधार होगा।

79. नीवस डेपिगमेनटोसस और बेकर्स नीवस को फिट माना जा सकता है। इन्ट्राडर्मल नीवस, वस्क्युलर नीवी को अनफिट माना जाए।

80. पिटिरियासिस वर्सिकलर को अनफिट माना जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

81. शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का फंगल इंफैक्शन होने पर अनफिट समझा जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

82. स्क्रोटल एग्जिमा को ठीक होने पर फिट माना जा सकता है।

83. कैनीटीस (बालों का असमय सफेद होना) को फिट माना जाएगा यदि वह थोड़ा बहुत हो और इसमें कोई क्रमबद्ध संबंध देखने में न आए।

84. इंटरट्राइगो को स्वास्थ्यलाभ के बाद फिट समझा जाएगा।

85. सभी एसटीडी रोगों को अनफिट समझा जाएगा।

86. खुजली (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्यलाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

87. खोपड़ी पर एकल और छोटा (व्यास में <2cm) एलोपीसिया एरियाटा को स्वीकार किया जा सकता है। यदि एकाधिक है जिसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं या निशान हैं तो आवेदक को अस्वीकार किया जाए।

88. **गाइनेकोमेस्टिया** : ऑपरेशन के 12 सप्ताह बाद उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

(क) सर्जरी के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो।

(ख) ऑपरेशन के बाद कोई समस्या न हो।

(ग) सर्जरी के निशान पर्याप्त रूप से ठीक हो जाने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

(घ) सामान्य व्यापक शारीरिक जांच।

(च) अंतस्त्रावी (एन्डोक्रोइन) कार्यप्रणाली सामान्य हो।

89. **पॉलीमेज़िया**- यदि सर्जरी के बाद कोई दिक्कत नहीं है और सर्जरी के घाव पूर्णत: ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो तो उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

मास्कुलोस्केलेटल प्रणाली और शारीरिक क्षमता

90. **स्पाइनल परिस्थितियां** : रीढ़ की हड्डी या सैक्रोइलियक जोड़ों की बीमारी या चोट का पिछला मामला, चाहे वस्तुनिष्ठ लक्षणों के साथ हो या उसके बिना, जिसके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन जीने में असमर्थ हो, कमीशनिंग के लिए अस्वीकृति का कारण है। बार-बार होने वाले लूम्बेगो/स्पाइनल फ्रैक्चर/प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मामला और इन स्थितियों के लिए सर्जिकल उपचार अस्वीकृति का आधार होगा।

91. क्लीनिकल जांच - नॉर्मल थोरेसिक काईफोसिस और सर्वाइकल/ लुम्बर लोर्डोसिस को कम आंका जाता है और इन्हें दर्द या चलने में परेशानी से संबंधित नहीं माना जाता है।

(क) यदि क्लीनिकल जांच पर स्पाइन संचालन में परेशानी, विकृति, स्पाइन में जकड़न या कोई चलने में असामान्यता पाई जाती है तो वह अनफिट समझा जाएगा।

(ख) ग्रोस काइफोसिस, जो मिलिट्री बियरिंग को प्रभावित करता है, स्पाइनल संचलन की पूर्ण रेंज को रोकता है और/या छाती के फुलाव को रोकता है, अनफिट है।

(ग) यदि स्कोलियोसिस का पता चलता है या स्पाइन की कोई रोगात्मक दशा की संभावना है तब स्पाइन के उपर्युक्त भाग की रेडियोग्राफी जांच किए जाने की आवश्यकता है। स्कोलियोसिस अनफिट है, यदि वह विकृति पूरे स्पाइन पर हो, यह स्पाईन संचलन की प्रतिबंधित रेंज से संबद्ध हो जब यह एक आबद्ध पैथालॉजिकल कारण से होता है।

(घ) **स्पाइन बिफिडा** - क्लीनिकल जांच करने पर निम्नलिखित मार्करों पर विचार करना चाहिए और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन से संपुष्ट करना चाहिए:-

(i) स्पाइन मे जन्मजात कमियां जैसे हाइपरट्राइकोसिस, त्वचा के रंग में हल्कापन, हिमेनजिओमा, पिग्मेन्टिड नेवस या डर्मल साइनस।

(ii) स्पाईन पर लिपोमा की मौजूदगी।

(iii) पैलपेबल स्पाइना बिफिडा।

(iv) न्यूरोलौजिकल जांच करने पर असामान्य निष्कर्ष।

92.**लम्बोसैक्रल ट्रांजिशनल वर्टेब्रा (एलएसटीवी) के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण।**

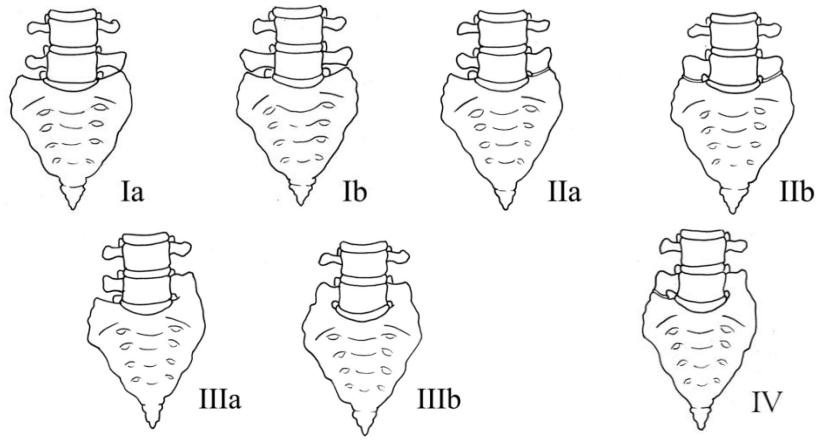

एलएसटीवी के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण

(क) **टाइप I**- बढ़ी हुई और डिस्पलास्टिक अनुप्रस्थ प्रक्रिया (क्रैनियोकॉडल आयाम में कम से कम 19 मिमी चौड़ाई)।

1. **I (क)** युनिलेटरल
2. **I (ख)** बाइलेटरल

(ख) **टाइप II –** अपूर्ण लम्बराइजेशन/सैक्रालिस्टियन के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया और सैक्रम का छद्म संधिकरण (स्यूडोआर्थ्रोसिस के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया का विस्तार)

1. **II (क)** युनिलेटरल
2. **II (ख)** बाइलेटरल

(ग) **टाइप III –** अनुप्रस्थ प्रक्रिया सैक्रम के साथ जुड़ जाती है और पूर्ण लम्बराइजेशन या सैक्रम (पूर्ण संचलन के साथ बढ़ी हुई अनुप्रस्थ प्रक्रिया) होती है।

1. **III (क)** युनिलेटरल
2. **III (ख)** बाइलेटरल

(घ) **टाइप** IV– एक तरफ पर टाइप II और प्रतिपार्श्विक तरफ पर टाइप III

93. एयर फोर्स ड्यूटीज़ (फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए अनफिट स्पाइन संबंधी दशाएं:-

(क) (क) **जन्मजात/विकासात्मक असामान्यताएं**

(i) वेज वर्टिबा

(ii) हेमिवर्टिबा

(iii) एन्टीरीयर सेंट्रल डिफेक्ट

(iv) सर्वाइकल रिब्स (एक पार्श्वी/द्विपार्श्वी) डेमोन्स्ट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सर्कुलेटरी डेफिसिट सहित

(v) स्पाइना बिफिडा:- सेक्रम और एल वी 5 को छोड़कर (यदि पूर्णत: सैक्रेलाइज़्ड है) सभी अनफिट हैं।

(vi) सर्वाइकल लोर्डोसिस की क्षति के साथ तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी।

(vii) <u>स्कोलिओसिस का आंकलन</u> - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डॉर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक ईडियोपैथिक स्कॉलिओसिस स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि:-

(कक) व्यक्ति में लक्षण न हों।

(कख) रीढ़ (स्पाइन) में चोट का कोई पुराना मामला न हो।

(कग) लंबर स्पाइन में छाती की विषमता/कंधे में असंतुलन या पेल्विक तिरछापन न हो।

(कघ) कोई तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी न हो।

(कङ) रीढ़ में कोई जन्मजात असंगति न हो।

(कच) सिंड्रॉमिक विशेषताएं न हों।

(कछ) ई सी जी सामान्य हो।

(कज) रीढ़ के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति न हो।

(कझ) गति संबंधी कोई बाधा न हो।

(कञ) संरचनात्मक असामान्यता उत्पन्न करने वाला कोई ऑर्गनिक दोष न हो।

(viii) एटलांटो-ओसीपिटल और एटलांटो-एक्शियल विसंगतियां।

(ix) किसी भी स्तर पर अपूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा।

(x) **एक से अधिक स्तर** पर पूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा। (एकल स्तर स्वीकार्य है। ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।

(xi) **<u>लंबोसेकरल ट्रांजिशनल वर्टीब्रा/केशरुक(एलएसटीवी)</u>** : एकतरफा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (पूर्ण या अपूर्ण) और दो तरफा अधूरा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (एल एस टी वी- कास्टेवली टाइप II (क) और (ख), III क और IV) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सैक्रलाइजेशन और एस वी 1, कास्टेलवी टाइप III ख और टाइप I क और ख दोतरफा पूर्ण लम्बराइजेशन स्वीकार्य है (ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।

(xii) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस I

(xiii) केशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना I

(xiv) एक से अधिक स्तर पर श्मोरल नोड्स

(ख) **<u>ट्रॉमेटिक स्थितियां</u>**

(i) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस

(ii) वर्टिब्रा का दबाव से टूटना

(iii) केशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना

(iv) एक से अधिक स्तर पर श्मोरल नोड्स

(ग) **संक्रामक**

(i) रीढ़ का तपेदिक और अन्य ग्रेनुलोमेटस बीमारी (पुरानी या सक्रिय)

(ii) संक्रामक स्पॉन्डिलाइटिस

(घ) **स्व प्रतिरक्षक (ऑटो इम्यून)**

(i) संधिशोथ गठिया और संबद्ध विकार

(ii) एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस

(iii) रीढ़ के अन्य संधिशोथ संबंधी विकार जैसे पॉलीमायोसाइसटिस, एस एल ई. और वास्कुलिटिस।

(च) **क्षयकारी**

(i) स्पॉन्डिलाइसिस

(ii) जोड़ के क्षयकारी विकार

(iii) क्षयकारी डिस्क रोग

(iv) ऑस्टियोऑर्थोर्सिस/ ऑस्टियोआर्थराइटिस

(v) श्यूरमेन की बिमारी (किशोरावस्था काइफोसिस)

(छ) **रीढ़ की हड्डी की अन्य कोई असामान्यता, यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना जाता है।**

भुजा (अपर लिंब्स) की जांच को प्रभावित करने वाली स्थितियां

94. **ऊपरी अंगों का विच्छेदन तथा विरूपता** - भुजा या उनके हिस्सों की विकृतियां अस्वीकृति का कारण होंगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा उंगलियों सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

95. **उंगलियां और हाथ** – विकृतियों और सीमित मूवमेंट को अनफिट माना जाएगा।

(क) **बहुअंगुलिता (पॉलीडेक्टली)** – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव पूरी तक भर गया है, इसका निशान हल्का है और चिकित्सीय परीक्षण में न्यूरोमा का कोई प्रमाण नहीं है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ख) **साधारण सिंडैक्टली** – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव भर गया है, इसका निशान हल्का है और वेबस्पेस संतोषजनक है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ग) **जटिल सिंडैक्टली** – अनफिट

(घ) **अतिप्रसार (हाइपरएक्सटेंसिबल) उंगल जोड़** – सभी उम्मीदवारों की हाइपरएक्सटेंसिबल उंगली के जोड़ के लिए अच्छी प्रकार से जांच की जानी चाहिए। उंगलियों का पीछे की ओर 90 डिग्री से परे कोई भी विस्तार हाइपरएक्सटेंसिबल समझा जाएगा और उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ की हड्डी तथा अंगूठे की भी हाइपरलेक्सिटी/हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। यद्यपि व्यक्ति अन्य जोड़ों में हाइपरलेक्सिटी के गुणों को प्रदर्शित नहीं भी कर सकता है लेकिन उंगली के जोड़ों पर हाइपएक्सटेंसिबिलिटी के अलग-अलग प्रदर्शित होने को अनफिट समझा जाएगा क्योंकि यदि ऐसे उम्मीदवारों को कठिन शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा तो बाद में विभिन्न प्रकार के रोग सामने आ सकते हैं।

(च) **मॉलेट फिंगर** – डिस्टल इंटरफैलेंजल जोड़ में एक्सटेंसर मैकेनिज्म का ह्रास होने से मैलेट फिंगर होता है। गंभीर मॉलेट विकार होने से प्रोक्सिमल इंटर-फैलेंजल (पीआईपी) तथा मैटाकार्पो-फैलेंजल (एमसीपी) जोड़ों में अन्य प्रकार के बदलाव हो सकते हैं जिसका परिणाम हाथ से कार्य करने में परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। डिस्टल इंटर-फैलेंजल (डीआईपी) जोड़ों में फ्लेक्सियन तथा एक्सटेंशन दोनों में ही हिलाने (मूवमेंट) की साधारण सीमा 0-80 डिग्री तथा पीआईपी जोड़ में 0-90 डिग्री होती है। मॉलेट फिंगर में उम्मीदवार उंगलियों के डिस्टल फैलेंक्स को पूर्ण रूप से बढ़ाने/सीधा करने में असमर्थ होता है।

(i) कम गंभीर स्थिति वाले उम्मीदवारों अर्थात विस्तार लैग की 10 डिग्री से कम वाले उम्मीदवार, जिनमें ट्रॉमा, दबाव लक्षण एवं कोई प्रकार्यात्मक कमी दिखाई नहीं दे रही है, को फिट घोषित किया जाएगा।

(ii) उंगलियों की स्थायी विरूपता वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाएगा।

96. **कलाई** - कलाई को हिलाने में दर्द रहित सीमा का आकलन कठोरता के स्तर के अनुसार किया जाएगा। पालमर फ्लेक्सन के नुकसान की तुलना मे डोरसिफ्लेक्सियन का नुकसान अधिक गंभीर है।

97. **कोहनी** - संचलन की मामुली सीमा के कारण अस्वीकृति नहीं होती बशर्ते कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंकिलोसिस से अस्वीकृति होगी। जब वहन कोण (शारीरिक मुद्रा में हाथ और अग्रभाग के बीच का कोण) बढ़ा होता है तब क्यूबिटिस वल्गस को विद्यमान कहा जाता है तब कार्यात्मक अक्षमता और स्पष्ट कारण जैसे फ्रैक्चर

मैल-यूनियन, फाइब्रोसिस आदि के अभाव में पुरुष उम्मीदवारों में 15 डिग्री और महिला उम्मीदवारों में 18 डिग्री तक का कैरिंग कोण फिट माना जाएगा।

98. **कोहनी के जोड़ में हाइपरएक्सटेंशन** – उम्मीदवारों की स्वाभाविक रूप से हाइपरएक्सटेंडेड कुहनियां हो सकती हैं। यह स्थिति कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है परंतु विशेष रूप से सैन्य कार्य से जुड़े तनाव तथा थकान को ध्यान में रखते हुए यह अस्थिभंग (फ्रैक्चर) अथवा अत्यधिक दर्द का कारण हो सकती है। साथ ही, कोहनी को इसकी स्वाभाविक स्थिति में 10 डिग्री के भीतर वापिस लाने की अक्षमता से दैनिक कार्यों एवं गतिविधियों में कमी आती है।

(क) मापन मानदंड : गोनियोमीटर का उपयोग करके मापी जाती है।

(ख) सिफारिश : साधारण कोहनी का प्रसार 0 डिग्री होता है। यदि रोगी का इस जोड़ में चोट लगने का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक का हाइपरएक्सटेंशन साधारण सीमाओं के भीतर है। 10 डिग्री से अधिक के हाइपरएक्सटेंशन के उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।

99. 5 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस वारस अनफिट माना जाएगा।

100. **क्यूबिटस रिकर्वटम -** 10 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस रिकर्वटम अनफिट माना जाएगा।

101. **कंधे का कटिबंध** - कंधे के बार-बार विस्थापन का पुराना मामला, भले ही सुधारात्मक सर्जरी की गई हो या ना हो, अनफिट माना जाएगा।

102. **क्लैविकल** - क्लैविकल के पुराने बिना जुड़े फ्रैक्चर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कार्यक्षमता के नुकसान के बिना और स्पष्ट विरूपता के बिना गलत ढंग से जुड़ा क्लैविकल फ्रैक्चर स्वीकार्य है।

<u>निचले अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्तें</u>

103. 20 डिग्री से अधिक कोण वाला हॉलक्स वाल्गस और 10 डिग्री से अधिक का पहला-दूसरा सेकण्ड मेटाटार्सल कोण अनफिट है। गोखरु, कॉर्न्स या कॉलोसिटीज के साथ किसी भी डिग्री का हॉलक्स वाल्गस अनफिट है।

104. हॉलक्स रिगिडस सैन्य सेवा के लिए अनफिट है।

105. बिना लक्षण वाले एकल लचीले माइल्ड हैमर टो को स्वीकार किया जा सकता है। मेटा-टारसों फैलेंजियल जोड़ (पंजे की विकृति) पर कॉर्न्स, कॉलोसिटीज मैलेट-टो या हाइपरटेंशन से जुड़ी स्थायी (कठोर) विकृति या हैमर टो को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

106. पैरों के अंगुलियों की संख्या/उंगली का न होना अस्वीकृति का कारण होगा।

107. निचले अंगों या उनके हिस्सों की विरूपता अस्वीकृति का कारण होगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा पंजे सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

108. **पेस प्लानस (फ्लैट फीट)**

(क) यदि पैर की उंगलियों पर खड़े होने पर पैरों के मेहराव फिर से दिखाई देते हैं, यदि उम्मीदवार के पैर की उंगलियों पर अच्छी तरह से उछल और दौड़ सकता है और यदि पैर कोमल, गतिशील और दर्द रहित है, तो उम्मीदवार स्वीकार्य है।

(ख) कठोर या स्थिर फ्लैट पैर, प्लेनोवालगस के साथ ग्रॉस फ्लैट फीट, एड़ी का उलटा होना, ऐसे उम्मीदवार स्वयं को पंजों पर बैलेंस नहीं कर सकते, पैर के अगले हिस्से पर उछल नहीं सकते, कमजोर टार्सल जोड़ो में लगातार दर्द, तालु के सिरे का दिखना अनफिट माना जाएगा। पैर की गतिविधियों का सीमित होना भी अस्वीकृति का कारण होगा। पैर की कठोरता, चाहे पैर का आकार कुछ भी हो अस्वीकृति का कारण होगा।

109. पेस कैवस और टैलिप्स (क्लब फुट) - किसी कार्यात्मक सीमा के बिना इडियोपैकिक पेस कैवस की हल्की स्थिति स्वीकार्य है। ऑर्गेनिक रोग के कारण पेस कैवस और मध्यम और गंभीर पेस कैवस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैलिप्स (क्लब फुट) के सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

110. टखने के जोड़ - पिछली चोटों के बाद संचलन में कोई बड़ी कमी/सीमा स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, इमेजिंग के साथ कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

111. घुटने का जोड़ - किसी भी लिगामेंट शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की एसीएल पुनर्निमाण सर्जरी हुई है उन्हें अनफिट माना जाएगा।

112. जेनु वल्गम (नॉक नी) के बीच की दूरी पुरूषों में 5 से.मी. से अधिक और महिलाओं में 8 से.मी. से अधिक होने पर अनफिट माना जाएगा।

113. इंटरकॉन्डाइलर दूरी के 7 से.मी. से अधिक होने पर जेनु वरूम (धनुष टांगे) को अनफिट माना जाएगा।

114. **जेनु रिकर्वटम** - यदि घुटने का हाइपरएक्सटेंशन 10 डिग्री के भीतर है और कोई अन्य विरूपता नहीं है तो उम्मीदवार को फिट स्वीकार किया जाना चाहिए।

115. कूल्हे के जोड़ के घाव या गठिया के शुरूआती लक्षण को अस्वीकृत माना जाएगा।

ठीक हुए फ्रैक्चर

116. **इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर** – विशेष रूप से मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कुल्हा, घुटना तथा टखना) के सभी इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर, सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बिना, इंप्लांट के साथ अथवा इसके बिना, को अयोग्य (अनफिट) समझा जाएगा।

117. **एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर** -

(क) सर्जरी के बाद इंप्लांट इन-सिटु के साथ सभी एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर को अनफिट समझा जाएगा और इंप्लांट हटाए जाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के पश्चात उन पर फिट किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा।

(ख) सभी लंबी हड्डियों (दोनों ऊपरी तथा निचले अंगों) में चोट के पश्चात न्यूनतम नौ माह की अवधि के बाद ही एक्स्ट्रॉ-आर्टिकुलर चोटों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनका उपचार परंपरागत तरीके से किया गया है। उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा यदि :-

(i) मैल-अलाइनमेंट / मैल-यूनियन का कोई प्रमाण नहीं है।
(ii) कोई न्यूरो-वॉस्कुलर कमी नहीं है।
(iii) सॉफ्ट ऊत्तकों का कोई ह्रास नही है।
(iv) कोई प्रकार्यात्मक कमी नहीं है।
(v) ओस्टियोमाईलिटिस/सिक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन का कोई प्रमाण नहीं है।

118. परिधीय संवहन तंत्र

119. **वेरिकोज़ शिराएं** - सक्रिय वेरिकोज़ शिराओं वाले सभी मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात् भी वेरिकोज शिराओं के मामले अनफिट रहेंगे।

120. **धमनीय प्रणाली** - धमनियों और रक्तवाहिकाओं जैसे ऐन्युरिज्म, धमनी-शोध और बाह्य धमनीय रोग की वर्तमान या पुरानी असामान्यताओं को अनफिट माना जाएगा।

121. **लिम्फोइडेमा** - पुरानी/वर्तमान बीमारी का मामला उम्मीदवार को अनफिट बनाता है।

केंद्रीय स्नायु तंत्र

122. **मानसिक बीमारी का इतिहास** – मानसिक अस्वस्थता/मनोविकार रोगों से पीड़ित उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

123. **मनोवैज्ञानिक रोगों का पारिवारिक इतिहास** - जब परिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी, या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच की जानी चाहिए। व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कोई प्रमाण मिलना अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

124. **मिर्गी (एपिलेप्सी) का पारिवारिक इतिहास** – यदि किसी निकट संबंधी में मिर्गी का पुराना मामला पाया जाता है तो उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा अपील के समय उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

125. **गंभीर या 'विदारक' सिरदर्द और माइग्रेन** – माइग्रेन से पीड़ित उम्मीदवार जिसे इतना गंभीर माइग्रेन हो कि उसे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े तो वह अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दिखने में समस्या या माइग्रेन मिर्गी के साथ माइग्रेन का एक भी दौरा पड़ने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

126. **दौरे तथा ऐंठन** – उम्मीदवार में मिर्गी का पुराना मामला अयोग्यता का कारण है। दौरे गंभीर होने पर बेहोशी का रूप ले सकते हैं तथा इसी कारण 'बेहोशी' की आवृत्ति और यह जिन स्थितियों में हुई हो उन्हें स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। चाहे दौरे किसी भी प्रकार के हों, इनके होने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा। बेहोशी के दौरे का अकेला मामला होने पर सभी संबद्ध कारकों की जांच की आवश्यकता है ताकि बेहोशी तथा दौरे के बीच अंतर किया जा सके। गंभीर आंशिक दौरे, उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के मानदंड हैं।

127. **हीट स्ट्रोक** – हीट स्ट्रोक, हाइपरपीरेक्सिया या गर्मी से थकान के बार-बार पड़ने वाले दौरों का पुराना मामला वायुसेना सेवा की नौकरी से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह दोषपूर्ण ताप विनियमन तंत्र का प्रमाण है। हीट स्ट्रोक का एक भी गंभीर दौरा, बशर्ते जोखिम का पुराना मामला गंभीर रहा हो, और कोई स्थायी परिणाम स्पष्ट न हुआ हो, तो यह स्वयं में उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का कारण नहीं है।

128. **सिर में चोट या आघात** – सिर में गंभीर चोट/खोपड़ी का फ्रेक्चर/अंतर-कपालीय क्षति का पुराना मामला या कैल्वेरिया में कोई अवशिष्ट हड्डी दोष अनफिट होने का कारण है। सिर में किसी भी छिद्र (burr holes) का होना अस्वीकृति का कारण होगा।

129. **मनोविकृति** – मनोविकृति से पीड़ित सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में नशीली दवाओं पर निर्भरता भी अस्वीकृति का कारण होगी।

130. **साइकोन्यूरोसिस** – मानसिक रूप से अस्थिर तथा विक्षिप्त व्यक्ति कमीशन के लिए अनफिट होते हैं। किशोर तथा वयस्क अपराध, नर्वस ब्रेकडाउन का पुराना मामला या पुरानी बीमारियाँ अस्वीकृति का कारण हैं।

131. **जैविक तंत्रिका संबंधी स्थितियां** – तंत्रिका संबंधी कोई भी स्पष्ट कमी अस्वीकृति का कारण होगी।

132. **कंपन** – उम्मीदवार को आश्वस्त करने के बाद भी लगातार कम्पन होने पर उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अपील करने पर केवल रोगात्मक कंपन के आधार पर ही उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा।

133. **हकलाना** – हकलाने वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। हकलाना अनफिट होने का कारण होगा, भले ही पहली बार इसका पता अपील मेडिकल बोर्ड के समय चला हो।

134. परिवार में या स्वयं उम्मीदवार में मानसिक विकार का कोई पुराना मामला या बौद्धिक, भावनात्मक या आचरण संबंधी विकार या मनोदैहिक विकारों के लक्षण होने पर उसे अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा यह मनोचिकित्सक द्वारा अपील के समय विस्तृत मूल्यांकन तथा उचित जांच के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

135. **हाइपरस्टोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना** को किसी अन्य मेटाबॉलिक असामान्यता की अनुपस्थिति में फिट माना जाएगा।

कान, नाक तथा गला

136. **नाक तथा पैरा-नेजल साइनस**

(क) **नाक की बाहरी विकृति या नेजल सेप्टम का मुड़ा होना।**

(i) अनफिट – नाक की गंभीर बाह्य विकृति, जो कॉस्मेटिक विकृति या चिन्हित सेप्टल के अपने स्थान से हटने के परिणामस्वरूप मुक्त रूप से श्वास लेने में बाधा उत्पन्न करती है।

(ii) अपील पर –वायुमार्ग के पर्याप्त खुलेपन के साथ अवशिष्ट हल्के विचलन के साथ सर्जरी के चार सप्ताह बाद पोस्ट सुधारात्मक सर्जरी स्वीकार्य होगी।

(ख) **सेप्टल छिद्रण** – अनफिट

(i) अपील पर – कोई भी पूर्ववर्ती सेप्टल छिद्रण जो सबसे बड़े आयाम में 01 सेमी से अधिक हो, अस्वीकृति का आधार है। एक सेप्टल छिद्रण जो नाक की विकृति माना जाता है, का संबंध नाक की पपड़ी, एपिस्टेक्सिस तथा दाने के समान भले ही आकार कैसा भी है और यह अस्वीकृति का आधार है।

(ग) एट्रोफिक राइनाइटिस – अनफिट

(घ) एलर्जिक राइनाइटिस/वासोमोटर राइनाइटिस का संकेत देने वाले किसी भी पुराने मामले/क्लिनिकल प्रमाण को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए।

(ङ) पेरा-नेजल साइनस का कोई भी संक्रमण अनफिट माना जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड में सफल उपचार के बाद ऐसे मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।

(च) **नेजल पोलीपोसिस** – अनफिट (उपचारित या अनुपचारित)

137. **ओरल केविटी**

(क) **(अनफिट)**

(i) ल्यूकोप्लेकिया, इरिथरोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अंकाइलोग्लोसिया तथा ओरल कारसीनोमा के वर्तमान/ऑपरेटेड मामले।

(ii) वर्तमान समय में मुंह के छाले (ओरल अल्सर)/ग्रोथ तथा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट।

(iii) किसी भी कारण से ट्रिसमस।

(iv) सर्जरी होने के बाद भी कलेफ्ट पालेट, अस्वीकृति का कारण होगा।

(ख) **फिट**

(i) सिद्ध बेनाइन हिस्टोपैथोलॉजी की स्थिति में सर्जरी के चार सप्ताह बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके मुंह के छाले (ओरल अल्सर)।

(ii) किसी पुनरावृति के बिना तथा सिद्ध बेनाइन हिस्टोलॉजी के साथ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के ऑपरेटेड मामले।

(iii) बिफिड युवुला के साथ अथवा उसके बिना यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन पैदा करने वाले पैलेट के सब-म्यूकस क्लेफ्ट को ईएनटी विशेषज्ञ स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि पी टी ए, टिम्पेनोमेट्री और बोलना सामान्य हो।

138. **फैरिन्क्स और लैरिंक्सः**- अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगीः

(क) फैरिन्क्स की कोई अलसरेटिव बृहत क्षति।

(ख) जिन उम्मीदवारों में टॉन्सिलेक्टोमी दिखाई देता है, उनको सफल सर्जरी के न्यूनतम चार सप्ताह बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कोई जटिलता न हो तथा हिस्टोलॉजी सुसाध्य हो।

(ग) क्लेफ्ट पैलेट।

(घ) फैरिन्क्स और लैरिंक्स में किसी प्रकार की खराब स्थिति जिससे स्थायी स्वर-भंग या डिस्फोनिया हो जाता है।

(च) क्रोनिक लैरिन्जाइटिस, वोकल कॉर्ड पाल्सी, लैरिंगियल पॉलिप्स और ग्रोथ।

139. **यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन** – अनफिट – यूस्टेशियन ट्यूब की रूकावट या अपर्याप्तता अस्वीकृति का कारण होगी। सेवा में उम्मीदवारों को स्वीकार करने से पहले एल्टीट्यूट चेंबर ईयर क्लीयरेंस टेस्ट किया जाएगा।

140. **टिनिटस** – अनफिट

141. **मोशन सिकनेस के प्रति संवेदनशीलता** - मोशन सिकनेस की किसी भी संवेदनशीलता के लिए भी विशिष्ट जांच की जानी चाहिए। इस आशय की पुष्टि ए एफ एम एस एफ-2 में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और अगर मोशन सिकनेस के लिए अतिसंवेदनशील पाए जाते हैं, तो उन्हें **उड़ान (फ्लाइंग) ड्यूटी के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा**। किसी भी कारण से पेरिकेरल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

142. **कम सुनाई देना** -निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं –

(क) सी वी/एफ डब्ल्यू में 600 सेमी से कम किसी प्रकार की कमी।

(ख) पी टी ए पर 250 से 8000 हट्र्ज के बीच की आवृत्तियों में 20 डी बी से अधिक ऑडियोमेट्रिक की कमी।

143. **<u>बाहरी कान</u>**- बाह्य कान के निम्नलिखित दोषों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए:-

(क) पिन्ना की गंभीर विकृति जो वर्दी/व्यक्तिगत किट/सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अथवा जो सैन्य आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ख) क्रॉनिक ओटिटिस एक्सटर्ना के मामले।

(ग) कोई भी स्थिति (कान का मैल, बाह्य श्रवण नाल का अट्रेसिया/संकीर्ण होना या रसौली, नलिका की अतिरंजित टेढ़ी-मेढ़ी बनावट, बाह्य श्रवणनाल की हड्डीदार वृद्धि) जो टिम्पेनिक झिल्ली के उचित दृश्य को बाधित करती है।

(घ) बाहरी श्रवण नलिका में कणिकायन या पॉलीप।

144. **<u>मिडिल इयर</u>** – मिडिल इयर की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी:-

(क) **<u>ओटिटिस मीडिया</u> –** किसी भी प्रकार के मौजूदा ओटिटिस मीडिया को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (टिम्पेनोस्क्लेरोसिस/टिम्पेनिक झिल्ली के निशान के रूप में केवल टिम्पेनिक झिल्ली के पार्स टेंसा भाग को प्रभावित करने वाले) और टिम्पेनोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी ऑडियोमेट्री पीटीए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो वे स्वीकार्य होंगे। अपील पर, यदि संकेत दिया जाता है, तो एयरक्रू, एटीसी/एफसी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए डिकंप्रेशन चैंबर का परीक्षण किया जा सकता है।

(ख) किसी भी प्रकार की टीएम परफोरेशन या टिमपोनिक मेमब्रेन के पार्स फ्लेसिडा में ठीक हुआ परफोरेशन/ रिट्रेक्शन अनफिट माना जाएगा।

(ग) न्यूमेटिक ओटोस्कोपी में टीएम मोबिलिटी में चिह्नित प्रत्यावर्तन (मार्क्ड रिट्रेक्शन) अथवा बाधा का देखा जाना।

(घ) टाइप 'ए' टिमपेनोग्राम के अलावा कोई दूसरा पैटर्न दिखाने वाली टिमपेनोमेट्री।

(च) किसी भी प्रकार का श्रवण यंत्र जैसे कि कोकलियर इंप्लाट, बोन एंकर हियरिंग ऐड इत्यादि।

(छ) मिडिल इयर सर्जरी के बाद जैसे कि स्टेपिडक्टमी, ओसिकुलोप्लास्टी या किसी भी प्रकार की मास्टोइडक्टमी।

145. **<u>कान की विविध स्थितियां</u>** – कान की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी:-

(क) ओटोसक्लीरोसिस।

(ख) मिनियरी डिज़ीज़।

(ग) वेस्टीबुलर डिस्फंक्शन जिसमें वेस्टीबूलर ओरिजिन के निस्टेगम्स शामिल हैं।

(घ) कान में संक्रमण के बाद होने वाली बेल्स पाल्सी।

ऑपथेलमिक सिस्टम

146. **चिकित्सकीय जांच के परिणाम**

(क) उम्मीदवार, जो चश्मा पहनते है या जिन्हें दृष्टि दोष है, को उचित तरीके से जांचा जाना चाहिए। भेंगेपन (स्किवंट) के सभी मामले अनफिट माने जाएंगे।

(ख) **टॉसिस (PTOSIS)**

(i) उम्मीदवार, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते है वे **फिट** हैं।

(कक) माइल्ड टॉसिस।

(कख) क्लियर विजुअल एक्सिस।

(कग) नॉर्मल विजुअल फील्ड।

(कघ) अबेरेंट डीजनरेशन/हेड टिल्ट/हॉर्नर सिन्ड्रोम के कोई निशान न हो।

(ii) अन्य सभी मामले – **अनफिट**

(iii) अपील करने पर- उम्मीदवार जिन्होंने सर्जिकल करेक्शन किया है, को योग्य माना जा सकता है बशर्ते सर्जरी के बाद एक वर्ष बीत गया हो और कोई रिअकरेंस न हुआ हो ऊपर उल्लिखित मापदंड पूरे हो रहे हों और अपर आईलिड सुपीरियर लिंबस से 02 मीमी से अधिक नीचे न हो।

(ग) **एक्सट्रोपिया** – अनफिट

(घ) **एनिसोकोरिया** – यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मि.मी से अधिक है, तो उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

(ङ) **हेट्रोक्रोमिया इरिडीस** – अनफिट

(च) **स्फिन्कटर टियर्स** - यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मी.मी से कम है, तो उम्मीदवार को योग्य फिट जा सकता है, बशर्ते प्यूपिलियरी रिफ्लेक्सेस कॉर्निया, लेंस या रेटिना में कोई पेथोलोजी नहीं हो और ब्रिस्क हो।

(छ) **सूडोफेकिया**- अनफिट

(ज) **ब्लिफेरिटिस** – ब्लिफेरिटिस वाले उम्मीदवार, विशेषतः जिनकी पलकें न हों को अस्वीकृत किया जाए।

(झ) **इक्ट्रोपियन/एनट्रोपियन** - इन मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, माइल्ड इक्ट्रोपियन और एनट्रोपियन, जो नेत्र विशेषज्ञ के मतानुसार दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, को फिट माना जा सकता है।

(ञ) **टेरिजियम (Pteregium)** – टेरिजियम के सभी मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, रिग्रेसिव नॉन-वस्कूलराइजड टेरिजियम, जो पेरिफेरल कॉर्निया पर 1.5 मीमी से कम जगह ले रहा हो, को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा स्लिट लैंप पर जांचने के बाद फिट माना जा सकता है।

(ट) **निस्टेगमस** – निस्टेगमस के सभी मामले केवल फिजियोलॉजिकल निस्टेगमस को छोड़ कर अनफिट माने जाएं।

(ठ) एपीकोरा उत्पन्न करने वाले नेसो-लेक्रिमल डक्ट ओकल्शन या म्यूकोसिल अस्वीकृति का कारण होंगे।

(ड) सक्रिय यूवेइटिस (इरिटिस, साइक्लीटिस एवं कोरोडिटिस) अस्वीकृति का कारण होंगे। पूर्व में इस स्थिति का होना भी अनफिट होने का कारण होगा।

(ढ) **कॉर्निया**

(i) अनफिट

(कक) कॉर्नियल स्कार/ओपेसिटिज।

(कख) कोई भी उम्मीदवार जिसे प्रोग्रेसिव कॉर्नियल डिस्ऑडर हो जैसे कि कॉर्नियल डाइस्ट्रोफिस, केराटोकोनस, केराटोग्लोबस, कोई भी कॉर्नियल डिजनरेशन हो।

(कग) कोई सक्रिय कॉर्नियल डिसऑडर।

(ii) अपील करने पर, कॉर्नियल स्कार स्वीकार्य है यदि वह देखने में बाधा उत्पन्न न करें।

(ण) **लेंटिकुलर ओपेसिटी**- अनफिट

अपील करने पर

(i) अनफिट - कोई भी लेंटीकुलर ओपेसिटी, जो दृश्य क्षति का कारण बनती है, या विजुअल एक्सीस या सेंट्रल एरिया में पुतलियों के आसपास 04 मिमी के क्षेत्र में है। बार-बार ओपेसिटी होने की प्रवृत्ति आकार में न बढ़े और उनकी संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ii) फिट - जन्मजात नीले बिंदु मोतियाबिंद जैसी परिधि में छोटी स्टेशनरी लेंटिकुलर ऑपेसिटीज के विजुअल फील्ड को प्रभावित न करने पर (संख्या 10 से कम हो और 04 मि मी केन्द्रीय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए)।

(त) **ऑप्टिक नर्व ड्रुसेन** – अनफिट

(थ) **हाईकप-डिस्क अनुपातः** उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा अगर निम्नलिखित में से कोई स्थिति विद्यमान हो-

(i) कप डिस्क अनुपात >0.2 में इंटर-आई एसिमेट्री

(ii) ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (ओसीटी) से आर एन एफ एस विश्लेषण करने पर रेटिनल नर्व फाइबर लेयर (आर एन एफ एल) दोष देखा जाना।

(iii) विजुअल फील्ड विश्लेषक द्वारा विजुअल फील्ड दोष का पता लगना।

(द) विजुअल सिम्पटम के साथ माइग्रेन एक ऑक्यूलर समस्या नहीं है और इसे पैरा 124 के अनुसार जांचा जाना चाहिए।

(ध) चूंकि रतौंधी का टेस्ट नियमित रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए सभी मामलों में प्रत्येक उम्मीदवार को रतौंधी न होने का प्रमाणपत्र देना होगा। प्रमाणपत्र इस अधिनियम के परिशिष्ट ग के अनुसार होना चाहिए। रंतौंधी होने का प्रमाणित मामला अनफिट है।

(न) किसी भी दिशा में आईबॉल की गति का प्रतिबंध तथा आईबॉल का अनुचित डिप्रेशन प्रॉमिनेंस अनफिट होने का कारण है।

(प) **रेटिनल घाव**- रेटिना परिधि में ठीक हो चुका एक छोटा कोरियो-रेटिनल घाव, जो दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है तथा किसी अन्य जटिलता से संबंधित नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। इस प्रकार, परिधि में एक छोटा जालीदार निशान, जिसमें कोई अन्य जटिलता नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। **सेंट्रल फंडूस में कोई घाव होने पर अनफिट माना जाएगा।**

(फ) **लैटिस डिजनरेशन**

(i) निम्नलिखित लैटिस डिजनरेशन उम्मीदवार के अनफिट होने का कारण होगा:-

(कक) किसी एक या दोनों आँखों में एकल परिधिक/वृत्ताकार लैटिस का विस्तार 2 घंटे से अधिक होना।

(कख) किसी एक या दोनों आँखों में दो परिधिक/वृत्तकार लैटिस में से प्रत्येक का विस्तार 1 घंटे से अधिक होना।

(कग) रेडियल लैटिस।

(कघ) एट्रोफिक होल/फ्लैप टियर्स के साथ कोई लैटिस।

(कच) इक्वेटर के पीछे लैटिस अपविकास (डिजनरेशन)।

(ii) लैटिस डिजनरेशन से प्रभावित उम्मीदवार निम्नलिखित स्थितियों में फिट माने जाएंगे:-

(कक) एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय की छिद्र रहित एक सर्कमफ्रेंशीयल लेटिस।

(कख) छिद्र रहित दो सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस, जिनमें प्रत्येक का विस्तार एक या दोनों आँखों में दो घण्टे से कम समय में विस्तार हो।

(कग) पोस्ट-लेजर डिलिमेटेशन, एकल सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस का छिद्र/फ्लैप टियर के बिना एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय में विस्तार।

(कघ) पोस्ट लेजर डिलिमिटेशन, दो सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस छिद्र/फ्लैप टियर के बिना प्रत्येक का एक या दोनों आँखों में एक घंटे से कम समय में विस्तार होता हो।

(x) **केराटोकोनस** - केराटोकोनस अनफिट है।

147. **दृश्य तीक्ष्णता/रंगबोधक दृष्टि** – इस अध्याय के परिशिष्ट घ में दृश्य तीक्ष्णता और रंग दृष्टि संबंधी अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है। जो इन अपेक्षाओं के पूरा नहीं करते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

148. **मायोपिया**

(क) अनफिट, यदि निर्धारित दृश्य सीमा से बाहर हो।

(ख) अनफिट, यदि उपयुक्त दृश्य तीक्ष्णता स्वीकार्य सीमा के भीतर भी हो बशर्ते-

(i) उच्च मायोपिया का पारिवारिक इतिहास है, विशेष रूप से जब यह दृष्टि दोष हाल में ही हुआ है।

(ii) यदि शारीरिक विकास अभी भी प्रत्याशित है।

(iii) यदि फंडुस की उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का सूचक है।

149. **रिफ्रेक्टिव सर्जरी-** वायुसेना के सभी शाखाओं में कमीशन प्रदान करने के लिए जिन उम्मीदवारों ने केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी (पीआरके, लेसिक, फेमटो लेसिक, इस्माइल या सामान प्रक्रियाएं) करवाई है उनका निपटान इस प्रकार होगा-

(क) **फिट**

(i) पैरा 146 के परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित शाखा के लिए दृश्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भा.वा.से के उम्मीदवार। उन शाखाओं के लिए जहां सुधारात्मक अपवर्तक त्रुटियों की अनुमति है वहां ऐसी प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट अपवर्तन +/- 1.0 डी एसपीएच या सी वाई एल से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।

(iii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद किसी समस्या के बिना से कम से कम 12 महीनें बीत गए हो।

(iv) आँख की अक्षीय लंबाई 26 एम एम से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि आई ओ एल मास्टर द्वारा मापा जाता है।

(v) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद कॉर्नियल पेकीमीटर से मापे जाने पर कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) **अनफिट**

(i) रिफ्रेक्टिव एरर के सुधार के लिए रेडियल केराटोटॉमी (आरके) सर्जरी।

(ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के पहले उच्च रिफ्रेक्टिव एरर (>6 डी) वाले व्यक्ति।

150. **मोतियाबिंद सर्जरी** – आई ओ एल इम्पलांट के साथ अथवा इसके बिना मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

151. **नेत्र की अन्य सर्जरी**- जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की इनवेसिव सर्जरी करवाई हो, जैसे कि इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस (आईसीएल), ट्रेबेक्यूलेक्टोमी, इम्प्लांट के साथ या बिना ग्लूकोमा सर्जरी, राइबोफ्लेविन (सी3आर) के साथ कॉर्नियल कोलेजन क्रॉसलिंकिंग, आईएनटीएसीएस, कोई भी इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन, रेटिनल सर्जरी आदि, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

ऑक्यूलर मांसपेशी संतुलन

152. स्पष्ट रूप से भेंगे व्यक्ति कमीशन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

153. वायुकर्मी के मामले में अप्रत्यक्ष भेंगेपन अथवा हेटरोफोरिया का मूल्यांकन मुख्य रुप से फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। अच्छे फ्यूजन संवेदन से तनाव और थकान में भी दोनों आंखों की दृष्टि सुनिश्चित होती है। अतः यह स्वीकार्यता का मुख्य मानदंड है।

(क) कन्वर्जेन्स (आर ए एफ नियम के अनुसार मूल्यांकित)

(i) **ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस**

(कक) 10 सेमी तक – फिट

(कख) 10 सेमी से अधिक – अनफिट

(ii) **सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस (एससी)** यह कन्वर्जेंस के दाब में बाइनोक्युलर विजन के अंतिम सिरों को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिन कन्वर्जेंस, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस की सीमा से 10 सेमी से ज्यादा होता है तो फ्यूज़न क्षमता खराब होती है। यह विशेषतः तब होता है जब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस 10 सेमी और इससे ऊपर होता है।

(ख) **समंजन (अकॉमडेशन)** – मायोप्स के मामले में, करैक्टिव चश्मा ठीक से लगा कर ही समंजन (अकॉमडेशन) का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्गों में समंजन (अकॉमडेशन) के स्वीकार्य मान सारणी 1 में दिए गए है।

सारणी -1 समंजन (अकॉमडेशन) मान – आयु-वार

आयु (वर्षों में)	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
समंजन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

154. नेत्र मांसपेशी संतुलन गतिशील है और एकाग्रता, चिंता, थकान, हाइपोक्सिया, दवाओं और शराब के साथ बदलता रहता है। अंतिम मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त परीक्षणों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। नेत्र मांसपेशी संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक इस अध्याय के परिशिष्ट च में विस्तृत हैं।

155 मीडिया (कॉर्निया, लेंस, विट्रियस) अथवा फंडूस में पाया गया कोई चिकित्सकीय जांच परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रवृत्ति का हो और जिसके बढ़ने की संभावना हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। यह जांच स्लिट लैंप और माइड्रियासिस के तहत ऑप्थेलमोस्कॉपी द्वारा की जाएगी।

परिशिष्ट – ग

[ऑप्थेलमोलॉजी मानकों का पैरा 146 (न) देखें]

रतौंधी से संबंधित प्रमाण-पत्र

नाम, आद्याक्षर सहित_____बैच संख्या_____ चेस्ट संख्या_____

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं है और मुझे रतौंधी नहीं है।

दिनांकः (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अधिकारी का नाम)

परिशिष्ट – घ

(ऑप्थल्मोलोजी मानकों का उपर्युक्त पैरा 147 देखें)

प्रारंभिक प्रवेश पर उम्मीदवारों के लिए विज्युअल स्टैंडर्ड

क्र.सं.	चिकित्सा श्रेणी	शाखा	रिफ्रेक्टिव ऐरर की अधिकतम सीमाएँ	अधिकतम सुधार की सीमाओं के साथ विजुअल एक्यूटी(वीए)	कलर विजन
1.	ए1जी1	एनडीए तथा एएफए में फ्लाइंग शाखा तथा डब्ल्यूएसओ सहित एफ (पी)	हाइपरमैट्रोपिया+ 1.5 डी एसपीएच मैनिफेस्ट मायोपिया: शून्य ऐस्टिग्मैटिज्म: + 0.75 डी	एक आँख में 6/6 तथा दूसरी में 6/9, हाइपरमैट्रोपिया के लिए 6/6 तक	सीपी-I

			सीवाईएल (अधिकतम +1.5 डी के अंदर) रैटिनोस्कोपिक मायोपिया : शून्य	सुधार योग्य	

टिप्पणी-1 संख्या 1 तथा 2 में दिए कार्मिकों का ऑक्यूलर मसल्स बैलेंस इस अध्याय के परिशिष्ट ड़ के अनुरूप होना अनिवार्य है।

टिप्पणी-2 - ऊपर वर्णित एसपीएच के सुधार कारकों में विनिर्दिष्ट एस्टिगमैटिक सुधार कारक भी शामिल हैं। विनिर्दिष्ट विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड तक न्यूनतम संशोधन के कारकों को स्वीकार किया जा सकता है।

परिशिष्ट – ङ

(पैरा 154 देखें)

फ्लाइंग ड्यूटी के लिए नेत्र मांसपेशियों के संतुलन के मानक

क्र.सं.	टेस्ट	फिट
1.	06 मी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 06 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
2.	33 सेमी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 16 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
3.	टी एन ओ टेस्ट या टिटमस फ्लाई टेस्ट	सभी बी एस वी ग्रेड
4.	कन्वरजेंस	10 सेमी तक
5.	दूर और नजदीक के लिए कवर टेस्ट	अंतर्निहित विचलन/ कन्वर्जेन्स रिकवरी तीव्र एवं पूर्ण

हीमोपोइटिक सिस्टम

156. एस एम बी के दौरान एनीमिया के सभी मामलों (पुरुषों में <13 ग्रा/डीएल तथा महिलाओं में <12 ग्रा./डीएल) को अनफिट माना जाएगा।

157. ऐसे सभी उम्मीदवार जो वंशानुगत हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल कोशिका झिल्ली में विकृति के कारण या लाल कोशिका में एंजाइम की कमी के कारण) तथा हीमोग्लोबिनोपैथि (सिकल सैल रोग, बीटा-थैलेसिमिया:

मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट तथा अल्फा थैलेसीमिया इत्यादि) से पीड़ित हैं, उन्हें सेवा के लिए अनफिट माना जाएगा।

158. हीमोफीलिया या वॉन विलेब्रांड रोग के पुराने मामलों वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए। पर्पुरा या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नैदानिक प्रमाण वाले उम्मीदवारों को अनफिट माना जाना चाहिए। पर्पुरा सिंप्लेक्स (सरल आसान चोट) के मामले, जो अन्यथा स्वस्थ महिलाओं में देखा जाने वाला एक सौम्य विकार है, को स्वीकार किया जा सकता है।

159. **मोनोसाइटोसिस** : 1000/सी यू एम एम से अधिक या कुल डब्ल्यू बी सी के 10% से अधिक या के बराबर पूर्ण मोनोसाइट काउंट को अनफिट माना जाएगा।

160. **इओसिनोफिलिया** : पूर्ण इओसिनोफिलिया काउंट यदि 500/सी यू एम एम से अधिक या बराबर है तो उन्हें अनफिट माना जाएगा।

161. पुरुषों में 16.5 ग्राम/डी एल से अधिक तथा महिलाओं में 16 ग्राम/डी एल से अधिक हीमोग्लोबिन को पॉलिसीथिमिया माना जाएगा और उन्हें अनफिट श्रेणी में रखा जाएगा।

दंत संबंधी स्वस्थता मानक

162. **दंत संबंधी मानक (डेंटल स्टैंडर्ड)**

(क) उम्मीदवार के न्यूतम 14 डेंटल प्वाइंट होने चाहिए और ऊपरी जबड़े में उपस्थित निम्नलिखित दांत निचले जबड़े के तदनुरूपी दांत के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए।

(i) छह एंटीरियर में से कोई चार।

(ii) दस पोस्टीरियर में से कोई छह।

(ख) उपर्युक्त दंत मानकों का पालन किया जाए और जो उम्मीदवार इन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

163. मुँह की अतिरिक्त जांच

(क) **चेहरे की पूरी जांच** – किसी असिमेट्री अथवा सॉफ्ट/हार्ड टिशु डिफेक्ट/स्कार्स अथवा जबड़े की कोई इनसिपिंट पैथोलॉजिकल दशा का संदेह होने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) **क्रियात्मक जांच**

(i) **टेम्पोरो-मेनडिब्यूलर ज्वाइंट (टी एम जे)** – टेंडरनेस तथा/अथवा क्लिकिंग के लिए टी एम जे को दुतरफा रूप से स्पर्श करके देखा जाएगा। उम्मीदवार जिनमें रोग सूचक क्लिकिंग तथा/अथवा टेंडरनेस है अथवा अधिक खोलने पर टी एम जे हट जाता है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **मुख खोलना** – इन्सिजल किनारों पर 30 एम एम से कम मुख खुलना, अस्वीकृति का कारण होगा।

164. **विशेष परिस्थितियों में डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश -**

(क) दंत क्षय (क्षरण) – डेंटल कैरीज वाले दांत जिन्हें ठीक नहीं किया गया हो अथवा दांत के क्षतिग्रस्त क्राउन, जिनकी पल्प (मज्जा) दिखाई देती हो, रेजिड्युअल रूट स्टम्प्स हो, एब्सेसिस (विदध्रि) वाले दंत तथा/अथवा साइनस वाले दंत को डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) <u>रेस्टोरेशन्स</u> – ऐसे दांत जिनका पुन: स्थापन (रेस्टोरेशन) हुआ हो, लेकिन वे टेढ़े-मेढ़े/टूटे हुए/बदरंग दिखाई देते हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे। जिन दांतों का रेस्टोरेशन अनुपयुक्त सामग्री से किया गया हो, अस्थायी अथवा फ्रेक्चर होने पर रेस्टोरेशन हो तथा जिनकी संदेह-युक्त न्यूनतम सुस्वस्थता हो अथवा पेरि-एपिकल पैथोलॉजी को डेंटल प्वाइंट निर्धारण करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) <u>दांतों का हिलना</u> – हिले हुए दांत जिनमें चिकित्सकीय (रोग विषयक) रूप से मोबिलिटी दिखाई देती हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) रिटेण्ड डेसीडुअस दांत – रिटेण्ड डेसीडुअस दांत को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे।

(ड) <u>आकृति मूलक कमियां</u> – आकृतिमूलक कमियों वाले दांत जिनसे ठीक ढंग से चबाया जाना बाधित होता हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(च) <u>पीरियोडोंटियम</u>

(i) डेंटल प्वाइंट्स गणना हेतु मसूड़ों की स्थिति शामिल होगी। इनका स्वस्थ होना आवश्यक है अर्थात् गुलाबी रंग के हों, सुसंगत हों तथा दांतों पर मजबूती से कसे हों, दिखाई देने वाली कैलकुलस नहीं होनी चाहिए।

(ii) व्यक्ति जिनके दांत पीरियोडोन्टिटाइस (सूजे, लाल अथवा संक्रमित मसूढ़े हों या दांतों में स्पष्टत: दिखाई देने वाले कैलकुलस हों) से ग्रस्त हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(iii) गंभीर पेरियोडोंटल रोग से ग्रस्त (सामान्य कैलकुलस वाले उम्मीदवार जिनके मसूढ़ों में अधिक सूजन है एवं मसूढ़े लाल हैं और जिनमें रिसाव हो अथवा न हो,) उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि पेरियोडॉन्टल रोग गंभीर नहीं है तथा दांत स्वस्थ हैं एवं दंत-चिकित्सा अधिकारी की राय में दांत निकाले जाने को छोड़कर सरल पेरियोडॉन्टल थेरेपी द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है।

(छ) <u>कुसंयोजन (मेलोक्लूजन)</u> – मेलोक्लूजन वाले ऐसे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा जिनकी मेस्टीकेटरी दक्षता एवं फोनिटिक्स उससे प्रभावित हो। ओपन बाइट टीथ (दांत) को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें कार्यात्मक स्थिति में नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनमें ओपन बाइट है, रिवर्स ओवरजेट है अथवा कोई अन्य दिखाई देने वाला मेलोक्लूज़न है, तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, यदि डेंटल अधिकारी की यह राय है कि मेलोक्लूज़न के कारण दांतों के ठीक ढंग से चबाने, फोनेटिक्स, ओरल हायजीन बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण अथवा ड्यूटी को भली-भांति निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं है तो उम्मीदवार फिट घोषित किया जाएगा। मेलोक्लूज़न का आकलन करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

(i) **<u>एज टू एज बाइट</u> –** एज टू एज बाइट को क्रियात्मक स्थिति माना जाएगा।

(ii) **<u>एंटीरियर ओपन बाइट</u> -** एंटीरियर ओपन बाइट वाले दांतों को फंक्शनल अपोजीशन में कमी के रूप में लिया जाता है।

(iii) **<u>क्रॉस बाइट</u> –** क्रॉस बाइट दांत, जो अभी भी क्रियात्मक ओक्लूजन के रूप में हों, और यदि ऐसा है, तो उन्हें प्वाइंट दिए जाएंगे।

(iv) **<u>ट्रॉमेटिक बाइट</u> –** यदि एंटीरियर दांतों, से डीप इमर्पिंजिंग बाइट की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, जो पेलेट पर ट्रॉमिक इंडेटेशन उत्पन्न करती हो, तो उसे प्वाइंट हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ज) कठोर (हार्ड) तथा कोमल (सोफ्ट) ऊतक (टिश्यू) – गाल, होंठ, तालु, जीभ तथा जीभ का निचला भाग व मैक्सिला/मेन्डिबुलर बोनी अपरेटस की जांच किसी भी प्रकार की सूजन, बदरंग होने, अल्सर, स्कार्स, सफेद दाग-धब्बों, सब-म्यूकस फाइब्रोसिस इत्यादि के लिए अवश्य की जाएगी। सभी संभावित घातक घाव अस्वीकृति का कारण हो सकते हैं। मुख खोल पाने की सीमा के साथ या उसके बिना, सब-म्यूकस फोइब्रोसिस हेतु चिकित्सीय निदान (डायग्नॉसिस) अस्वीकृति का कारण होगा। बोनी लेज़न का उनकी पैथोलॉजिकल/फिजियोलॉजिकल प्रकृति जानने हेतु आकलन किया जाएगा और तदनुसार टिप्पणी की जाएगी। कोई भी हार्ड अथवा सॉफ्ट टिश्यू लेज़न अस्वीकृति का कारण होगा।

(झ) ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण – फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक्स लिंगुअल रीटेनर्स को पेरियोडॉन्टल स्पिलिंट्स नहीं माना जाएगा तथा इन रिटेनरों में शामिल दांतों को फिटनेस हेतु प्वाइंट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार फिक्स्ड अथवा रिमूवेबल ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण पहने हों, उन्हें अनफिट घोषित किया जाएगा।

(ट) डेंटल इम्प्लांट्स – इम्प्लांट्स तथा इम्प्लांट्स से सहायता प्राप्त प्रोस्थेसिस को कोई डेंटल प्वाइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामले जिसमें भूतपूर्व-सैनिक जो पुन:पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें डेंटल प्रोस्थेसिस हटवाने के लिए डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

(ठ) स्थायी पार्शियल डेंचर्स (एफ पी डी)/इम्प्लांट सपोर्टेड एफ पी डी – मजबूती तथा सामने के दांतों के क्रियात्मक अपोजिशन तथा एबटमेंट्स के पेरियोडोंटल स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सीय तथा रेडियोलॉजी की सहायता से एफपीडी का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि सारे मानक संतोषजनक पाए जाते हैं तो वास्तविक दांतों के लिए, डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

नोट – किसी भी कृत्रिम अंग, हटाए जाने योग्य/स्थिर या प्रत्यारोपण जनित उस घटक में वास्तविक दांत/दांतों को डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

165. **उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के निम्नलिखित मानदंड होंगे –**

(क) ओरल हायजीन - ओरल हायजीन की खराब स्थिति के रूप में ग्रॉस विजिबल कैलकुलस, पीरियोडॉटल पॉकेट्स तथा/अथवा मसूड़ों से रक्तस्राव के रूप में खराब ओरल हेल्थ वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(ख) मैक्सिलो-फेशियल सर्जरी/मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार -फेशियल सर्जरी/मैक्सिलो-फेशियल ट्रॉमा की सूचना देने वाले उम्मीदवार – जिनकी कॉस्मेटिक अथवा ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेसियल सर्जरी/ट्रॉमा हुआ है, ऐसे उम्मीदवार सर्जरी/इंजरी, जो भी बाद में हो, की तिथि से न्यूनतम 24 सप्ताह के लिए अनफिट होंगे। इस अवधि के पश्चात् यदि कोई रेजिडुअल (डिफार्मिटी) अथवा कार्यात्मक कमी न हो तो उनका मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) पायरिया के सामान्य एक्टिव घाव (विक्षति) की एडवांस स्टेज से तथा एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस से ग्रसित तथा अत्यधिक असामान्य दांतों तथा जबड़े वाले उम्मीदवार अथवा जिनमें असंख्य कैरिस (दंतक्षय) हो अथवा जो सेप्टिक दांतों से प्रभावित हों, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

1. थलसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

2. नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं।

3. वायु सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.careerindianairforce.cdac.in पर जाएं।

टिप्पणी : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की मामला दर मामला के आधार पर अनुमति होगी। कमांडेंट चयन केंद्र ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

परिशिष्ट – (III)

(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)

थलसेना के अधिकारियों और वायु सेना तथा नौसेना में समकक्ष रैंक के अधिकारियों का वेतनमान वेतन

रैंक	**लेवल**	**(वेतन, रुपये में)**
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 – 1,77,500
कप्तान	लेवल 10 ख	61,300 - 1,93,900
मेजर	लेवल 11	69,400 – 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12 क	1,21,200 – 2,12,400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600 - 2,15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13 क	1,39,600 - 2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200 - 2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1,82,200 - 2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 – 2,24,400
उप सेना प्रमुख / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल	लेवल 17	2,25,000/- (नियत)
सेना प्रमुख	लेवल 18	2,50,000/- (नियत)

अधिकारी को देय सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को देय सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15,500 प्रतिमाह नियत

<u>कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा</u>: -

अधिकारी कैडेटों को सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान वजीफा अर्थात आईएमए और ओटीए के प्रशिक्षण अवधि के दौरान।	रु. 56,100/- प्रतिमाह* (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथा-अनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(i) **अन्य भत्ते:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जोखिम एवं कठिनाई भत्ता शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र के जोखिम एवं कठिनाई के अनुसार उसके पात्रता के अनुरूप भत्ता मिलता है, जहां वह सेवारत है।**

(क)	महंगाई भत्ता	समय-समय पर असैनिक कर्मचारियों को यथा-अनुमेय दरों तथा शर्तों पर स्वीकार्य होगा

(ii) **वर्दी भत्ता** 20,000/- रुपये प्रति वर्ष

(iii) **<u>मुफ्त आहार सामग्री</u>** शांति और फील्ड क्षेत्र में

(iv) **परिवहन भत्ता (टीपीटीए)**

वेतन लेवल	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
10 और ऊपर	रु.7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु.3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट: -

(क) **<u>उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):-</u>**

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है, उन सेवा कर्मियों के लिए यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं, उनको आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने या 15,750 रुपये प्रति माह की दर से टीपीटीए + महंगाई भत्ता आहरित करने का विकल्प मिलेगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ड़) शारीरिक रूप से दिव्यांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो प्रति माह न्यूनतम 2250 रु.+ उस पर देय महंगाई भत्ता होगा।

(vi) **<u>संतान शिक्षा भत्ता</u> * 2250/-रू प्रति माह**

* प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर यह दर 25% बढ़ा दी जाएगी

(i) वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में केवल एक बार प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है)।

(ii) सरकारी कर्मचारी का बालक जहां अध्ययनरत है उस संस्थान के प्रमुख से इस उद्देश्य का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण-पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चा उस विद्यालय में पढ़ा था।

रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, प्रत्येक बार संशोधित वेतनबैंड पर देय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर इन भत्तों की दरें स्वत: 25% बढ़ जाएंगी (भारत सरकार पत्र सं.ए-27012/02/2017-स्थापना (ए एल) दिनांक 16 अगस्त 2017)।

(iii) कृपया नोट करें कि वेतन एवं भत्ते और तत्सम्बन्धी नियम / प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

(क) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. उम्मीदवार को भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती से पूर्व :

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है या कमीशन को अस्वीकार कर देता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या वह राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन अधिकारी कैडेट के रूप में दर्ज किए जायेंगे। अधिकारी कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च का सरकार वहन करेगी, तथापि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद वहन करेंगे।

4. भारतीय सैन्य अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च नहीं होती है वह:

(क) कमीशन दे दिए जाने के बाद कैडेट को दे दी जाएगी, अथवा

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएंगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

5. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण शुरू होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट को मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाता उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

6. प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही कमीशन दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

7. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अधिकारियों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होंगी।

8. प्रशिक्षण: भारतीय सैन्य अकादमी में अधिकारी कैडेट को 18 माह के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत अधिकारी कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एस1एच1ए1पी1ई1 में चिकित्सकीय रूप से फिट हों।

9. **सेना समूह बीमा निधि (एजीआईएफ) वजीफा प्राप्त करने के दौरान अधिकारी कैडेटों का नियमित सेना के अधिकारियों के लिए लागू 1.25 करोड़ रूपये का बीमा किया जाता है। नियमित सेना अधिकारियों के लिए एजीआई योजना के तहत सदस्य बनने के लिए अधिकारी कैडेटों को मासिक आधार पर 12,500/- रूपये की दर से सदस्यता का अग्रिम भुगतान करना होगा। जो लोग दिव्यांगता के कारण आईएमबी द्वारा अमान्य कर दिए गए हैं और किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए 25 लाख रूपये प्रदान किए जाएंगे। 20 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए इसे आनुपातिक रूप से घटाकर 5 लाख रूपये कर दिया जाएगा। हालाँकि, 20 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए, केवल 50,000/- रूपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशीली दवाओं की लत और नामांकन-पूर्व की बीमारियों के कारण हुई दिव्यांगता के फलस्वरूप दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अनुशासनात्मक आधार पर निकाले गए, अवांछित के रूप में निष्कासित किए गए या स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले अधिकारी कैडेट दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।**

10. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण/बढ़ी किसी समस्या के कारण उसकी मृत्यु होने की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे:-

(क) दिव्यांगता की स्थिति में

(i) 9000/- रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।

(ii) दिव्यांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ ही 16200/- रु प्रति माह की दर से अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान देय होगा जो दिव्यांगता के 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई दिव्यांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iii) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 6750/- रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) **मृत्यु के मामले में**

(I) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ii) निकट संबंधी को 9000/- रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटों (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। तथापि, लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकारः भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17(02)/2016-डी (पेंशन/ नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017 के पैरा 11 व 12 के तहत यथा संशोधित भारत सरकार का पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017)।

11. सेवा के नियम एवं शर्तें:

(i) तैनाती

थलसेना अधिकारी को भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ii) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए सेवा सीमाएं निम्नलिखित हैं:

समय मान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	कमीशन प्राप्त करने पर
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर

कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल	अपेक्षित सेवा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन चयन आधार पर

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमला, केरल में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवार स्नातक कैडेट विशेष भर्ती योजना (जीएसईएस) पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएंगे। कैडेटों का चयन सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) जिसके बाद एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सीय जांच होगी, में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के आधार पर होता है। चिकित्सीय जांच में फिट पाए गए मेधावी उम्मीदवारों को कार्यकारी

शाखा (सामान्य सेवा/ हाईड्रो) की 32 रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा (जिसमें एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के तहत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए 06 रिक्ति शामिल हैं)।

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर से उम्मीदवारों का चयन - एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जीएसईएस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने का पात्र नहीं रहेगा।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इसे संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेगा। ये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।

(ङ) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्यधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उनके द्वारा 35000/- रु. की राशि उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसे वे प्रशिक्षण के लिए आने पर भारतीय स्टेट बैंक, एझीमला शाखा में खुलवाएंगे। चूंकि यह बड़ी राशि है अतः यह

सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को देय डिमांड ड्राफ्ट साथ लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क) जेब खर्च/निजी व्यय	5000/- रु. 1000 रु. प्रति माह की दर से
(ख) धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बालों की कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. 850 रु. प्रति माह की दर से
(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रंक/सूट और बस्ते की सिलाई/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
(घ) सत्र के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूटी स्टेशन / अवकाश पर होम स्टेशन जाने के लिए यात्रा व्यय	2,000 रु.

(ड) **बीमा:** जीएसईएस कैडेटों को छह माह की अवधि के लिए 20,00,000/- रू. (बीस लाख रूपये मात्र) के बीमा कवर के लिए 2303/- रूपए की वापस न की जाने वाली एकमुश्त राशि अदा करनी होगी। यदि उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उनकी दिव्यांगता कवर राशि और अंशदान गैर-जीएसईएस कैडेटों के बराबर होगा। (एनजीआईएफ पत्र संख्या बीए/जीआईएस/215 दिनांक 06 नवंबर 2018)

(iv) प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(क)	आईएनए, एझीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
(ख)	प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
(ग)	सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
(घ)	सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	33 सप्ताह

(ड़) संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र 06-09 माह

(v) कमीशनिंग तथा अन्य हितलाभ: लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों को सब- लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश लाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/ सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं अन्य दोनों सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के सदृश होंगी।

(vi) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, जब तक वे कैडेट रहते हैं, उनका जेब खर्च तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा अभिभावक उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 के पास भेज देगा।

टिप्पणी: अतिरिक्त सूचना, यदि आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन, योजना एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है अर्थात सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रवेश/ए एफ सी ए टी। जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनके प्रवेश के प्रकार के अनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. **प्रशिक्षण पर भेजना :** वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को मेरिट तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती उम्मीदवारों और एनसीसी उम्मीदवारों की मेरिट सूची अलग से तैयार की जाती है। सीधे भर्ती फ्लाइंग (पायलट) उम्मीदवारों की मेरिट सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की मेरिट सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **प्रशिक्षण:** वायु सेना अकादमी में फ्लाइंग शाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

वायु सेना ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी नागरिक जीवन से आए और उड़ान प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट के निकटतम परिजन को बीमा कवर के रूप में 8,600/- रूपये प्रति माह का मासिक अंशदान किए जाने पर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में 1,25,00,000/- रूपए का भुगतान करेगी। यदि प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट को चिकित्सकीय रूप से अमान्य होने पर प्रशिक्षण से हटा दिया जाता है, तो उसे 100% दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता बीमा कवर के रूप में 62,50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और यह आनुपातिक रूप से 20% तक कम हो जाता है।

फ्लाइट कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 56,100/- प्रति माह (लेवल 10 में आरंभिक वेतन) की दर से एक निश्चित वजीफा (stipend) मिलेगा। "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद दिए जाने वाले वजीफे को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा।"

एक बार जब फ्लाइट कैडेटों को सरकार द्वारा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो बीमा कवर 8,600/- रुपये प्रति माह के मासिक अंशदान के लिए उपरोक्तानुसार रहेगा। इस अंशदान में जोखिम तत्व और बचत तत्व शामिल हैं। 8600/- रुपये में से 5120/- रुपये की बचत राशि पर ब्याज मिलता रहेगा और सेवानिवृत्ति के समय उत्तरजीविता लाभ के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा।

4. **भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :**

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइंग अधिकारी के रैंक में पास आउट होते हैं तथा उस रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति क्रमश: 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन (चुनिंदा) और उच्चतर पदों में पदोन्नति केवल चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. **छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :**

वार्षिक अवकाश - वर्ष में 60 दिन
आकस्मिक अवकाश - वर्ष में 20 दिन।

अधिकारी यात्रा में होने वाले संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु 10 दिन तक के वार्षिक अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त करने के साथ पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 60 दिन की अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/ आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और फिर वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा, चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी हो, तत्पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्ष दूरी पर किसी प्रतिबंध के बिना गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए वाहन भत्ता पाने का पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित फ्लाइंग ड्यूटी पर तैनात फ्लाइंग शाखा के अधिकारियों को अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की कुल 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

छुट्टी लेकर अपने खर्च पर यात्रा कर रहे अधिकारी अपनी यूनिट से भारत के भीतर किसी भी स्थान तक स्वयं, पत्नी तथा बच्चों के लिए किराए के 60 प्रतिशत का भुगतान करके पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी से यात्रा हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 6 एकतरफा यात्रा फॉर्म 'डी' के पात्र होंगे। इसमें से दो फार्म 'डी' में पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा, अधिकारी के साथ रहने वाले और पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :** अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाओं आदि के हकदार हैं।

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में ज्वाइन करने से पूर्व:

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है या कमीशन को अस्वीकार कर देता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या वह राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापिस करनी होगी।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से अधिकारी कैडेटों पर अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के नियम तथा विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि प्रशिक्षण की लागत सरकार वहन करेगी जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है तथापि उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा।

4. **प्रारंभिक डिपोज़िट:** उम्मीदवार को प्रशिक्षण के लिए पहुंचने पर कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के पक्ष में 28,000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा तथा यह चेन्नई में देय होगा जो निम्नलिखित प्रयोजन के लिए होगा:-

(क)	थल सेना समूह बीमा फंड प्रीमियम (पहले दो महीने के लिए 10,000/- रुपए प्रति माह की दर से)	20,000/- रुपए
(ख)	आरंभिक जेब खर्च जिसमें प्रारंभिक आयुध सामग्री का लागत भी शामिल है	8,000/- रुपए
	कुल	**28,000/- रुपए**

5. सामान्यत: किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथापि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट का त्याग-पत्र मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा स्वीकार होने तक उसे घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण,भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बॉन्ड भरना होगा।

6. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जॉब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। तथापि उन अधिकारी कैडेटों से मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा जो चयन हो जाने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौसेना और वायु सेना में समान कैडेट प्रशिक्षण संस्थान में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देंगे।

7. जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के उपयुक्त नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैन्य उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट अथवा कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

नोट: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक मानकों को पूरा करना आवश्यक है:-

क्रम सं.	गतिविधि	अकादमी में पहुंचने पर न्यूनतम शारीरिक मानक	
		अधिकारी कैडेट (पुरुष)	अधिकारी कैडेट (महिला)
(क)	2.4 किमी दौड़	10 मिनट 30 सैकण्ड	13 मिनट
(ख)	पुश अप	40	15
(ग)	पुल अप	06	02
(घ)	सिट अप	30	25
(ङ)	स्क्वाट्स	30 रिपिटीशन के दो सेट	
(च)	लंजेस	10 रिपिटीशन के दो सेट	
(छ)	तैराकी	तैराकी के मूल सिद्धांतों को जानना चाहिए	

8. **प्रशिक्षण :** चुने गए उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने के उपरांत अधिकारी कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा "रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा" प्रदान किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस भेजे जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

9. **सेवा के नियम एवं शर्तें:**

(क) **परिवीक्षा की अवधि:**

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 माह की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा/रहेगी। यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसे कमीशन प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसे निकाला जा सकता है।

(ख) **सेवा का दायित्व:**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त कार्मिकों को समय-समय पर एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा यथानिर्धारित चुर्निंदा नियुक्ति पर भारत या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ग) **नियुक्ति की अवधि:**

नियमित थल सेना में पुरूषों एवं महिलाओं को अल्पकालिक सेवा कमीशन 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे पुरुष एवं महिला अधिकारी जो 10 वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा जारी रखने के इच्छुक होंगे, उन पर हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में समय-समय

पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के दसवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

ऐसे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी (पुरुष एवं महिला) जिनका स्थायी कमीशन के लिए चयन नहीं हुआ है लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षो की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना से निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त करने हेतु विशेष प्रावधान:

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है अथवा न ही कर रहे हैं और जो पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेवा छोड़ने हेतु सेना मुख्यालय को आवेदन करना होगा। तत्पश्चात, सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे पाठ्यक्रम की यथानिर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए अनिवार्य कॉम्बेट विमानन पाठ्यक्रम अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ पाठ्यक्रम है। उन्हें डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम/ऐसे अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा।

(ङ) **बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान:**

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

(i) सिविल पद प्राप्त करने के लिए
(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए
(iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/पारिवारिक व्यवसाय अपनाने पर

(च) **स्थायी पदोन्नति :**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारी इन नियमों के तहत निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे :

(i) कैप्टन के रैंक हेतु 2 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर

(ii) मेजर के रैंक हेतु 6 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर ।

(iii) लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक हेतु 13 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर

(छ) **अनिवार्य शर्तें :**

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त स्थायी रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु लागू पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारियों पर भी लागू होंगी।

(ज) **वरिष्ठता का समायोजन** :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि की तुलना में एस.एस.सी. पुरुष तथा महिला अधिकारियों की अपेक्षाकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण अवधि को समायोजित करने के लिए एस.एस.सी. पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता विचाराधीन एस.एस.सी. पाठ्यक्रम तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि के बीच अंतर की सदृश (कोरेसपौंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दी जाएगी। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) **गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :**

उपर्युक्त पैरा 10 (ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अधीन, इन आदेशों के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फर्लो दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ञ) **<u>छुट्टी:</u>**

समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-I सेना, के अनुसार अवकाश देय होगा।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेवा अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय IV में उल्लिखित हैं। वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से पास आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।

एस.एस.सी महिला अधिकारी भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए हकदार होंगीः-

• **मातृत्व अवकाश :** थलसेना की महिला अधिकारी – सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56।

• **शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव)** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खण्ड-I- थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56क, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. बी/33922/एजी/पी एस-2(बी)/3080/डी (एजी-II) दिनांक 19 नवंबर, 2018 द्वारा यथासंशोधित।

• **शिशु गोद लेने के लिए अवकाश** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56बी।

(ट) **कमीशन की समाप्ति :**

भारत सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी के कमीशन को निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

(i) कदाचार या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट होने पर, या

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

किसी अधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर तीन महीने का नोटिस देने पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए भारत सरकार पूर्णत: निर्णायक होगी। अनुकम्पा के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अधिकारी सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) **आवधिक उपदान :**

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस॰एस॰सी॰ओ॰ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) **रिजर्व में रहने का दायित्व :**

सेवा की संविदात्मक सीमा की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर वे पांच वर्ष की अवधि सहित अतिरिक्त दो वर्ष स्वैच्छिक आधार पर अथवा पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) **विविध :**

सेवा संबंधी अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो नियमित अधिकारियों के लिए लागू हैं जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Military Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

RULES

No.B/59111/CDSE(I)-2026/Rtg CDSE/16(2)/2025-DMA(AG-II)- Combined Defence Services Examination (I), 2026 - will be conducted by the Union Public Service Commission on **12th April, 2026.**

Name of the Course	Approximate No. of Vacancies (Refer Note-iii)
(a) Indian Military Academy, Dehradun - 162nd (DE) Course Commencing in January 2027.	100 [including 13 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].
(b) Indian Naval Academy, Ezhimala- Course Commencing in January 2027—Executive Branch (General Service)/Hydro.	26 [including 06 vacancies for NCC'C' Certificate (Naval Wing) holders and 01 for Hydro]
(c) Air Force Academy, Hyderabad-(Pre-Flying) Training Course Commencing in January 2027 i.e. 221 F (P) Course.	32 [including 03 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Air Wing) holders through NCC Special Entry].
(d) Officers' Training Academy, Chennai (Madras) 125th SSC (Men) (NT) (UPSC) Course Commencing in April 2027	275
(e) Officers Training Academy, Chennai (Madras) 125th SSC Women (NT) (UPSC) Course Commencing in April 2027	18

NOTE (i) Indian Army publishes vacancies for Men and Women separately for various entries keeping into account the operational and administrative needs of the Force as envisaged in the existing and future scenarios. Though the vacancies for Men and Women categories as per SSC(NT) Courses are being notified through a common Notification and tested through a common written examination for administrative purpose, SSC(NT) Men and SSC(NT) Women are separate entries and the selection for both these categories is done **separately but in gender pure manner** as per vacancies **notified**. THE PREPARATION OF WRITTEN RESULTS AND FINAL MERIT LISTS FOR SSC(NT) MEN AND SSC(NT) WOMEN CATEGORIES WILL ALSO BE DONE SEPARATELY **AS PER VACANCY NOTIFIED.**

NOTE (ii): The date of holding the examination as mentioned above may be changed, if so required, at the discretion of the Commission.

NOTE (iii): The above number of vacancies is tentative and may be changed at any stage of selection process by Services H.Q. as per organization requirement at that point of time.

N.B. (I) (a): Candidates are required to specify clearly in respective column of the Exam Specific Module the Services for which he/she wishes to be considered in the order of his/her preference. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at paras (b) and (c) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

(b) (i) : If a male candidate is competing for Short Service Commission (Army) only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for Short Service Commission Course at OTA as well as Permanent Commission course at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference, otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate.

(b) (ii) : Women candidates are being considered only for Short Service Commission at OTA. They should indicate OTA as the only choice.

(c) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or and AF Medicals at Central Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second/third etc. will be treated as invalid.

(d) Candidates should note that, except as provided in N.B. (II) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s). It is mandatory for a candidate to exercise at least one preference to be considered for service allocation.

(e) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained. Second choice will come for consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his/her candidature will be cancelled for all other choices for regular Commission.

N.B. (II) All Left over Finally Qualified candidates of IMA/INA/AFA courses who could not be inducted for the said course due to the lack of vacancies, will be considered for SSC(NT), even if they have not indicated their choice for this course, subject to the following conditions:-

i) Vacancies are available after issuing the Joining Letters to those candidates who had applied and qualified for SSC(NT)

ii) Left over finally qualified candidates are willing to join SSC(NT)

iii) Such left over finally qualified and willing candidates will be placed in order of merit after the last candidate who had opted SSC(NT), subject to number of vacancies available for SSC(NT). Accordingly, such Left over candidates will be issued Joining Letter in order of merit.

NOTE 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing (Senior Division)/ Air Wing/Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination to reach the IHQ of MoD (Army)/Dte Gen of Rtg (Rtg A)CDSE Entry for SSC male candidates and SSC women entry for female candidates West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD (Navy) DMPR, (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610in case of Air Force first choice candidates by 13th November, 2026. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 3 academic years in the Senior Division Army Wing/ Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 24 months for IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

NOTE2: In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing (Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/Air Force Academy Course/Indian Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates. Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Guidelines with regard to physical standards for admission to the Academy and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. CONDITIONS OF ELIGIBILITY:

(a) Nationality: A candidate must either be:-

(i) a Citizen of India, or

(ii) a subject of Nepal, or

(iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him/her by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status:

(i) For IMA—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 2003 and not later than 1st January, 2008 only are eligible.

(ii) For Indian Naval Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 2003 and not later than 1st January, 2008 only are eligible.

(iii) For Air Force Academy—

Age:20 to 24 years as on 1st January, 2027 i.e. born not earlier than 2nd January 2003 and not later than 1st January 2007. Upper age limit for candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued by DGCA (India) is relaxable upto 26 yrs. i.e. born not earlier than 02 January 2001 and not later than 1st January 2007 only are eligible.

Note : Candidate below 25 years of age must be unmarried. Marriage is not permitted during training. Married candidates aged 25 years or above are eligible to apply but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live with family out of the premises.

(iv) For Officers' Training Academy—(SSC Course for men) Unmarried male candidate born not earlier than 2nd January 2002 and not later than 1st January 2008 only are eligible.

(v) For Officers' Training Academy—(SSC Women Non-Technical Course) Unmarried women, issueless widows who have not remarried and issueless divorcees (in possession of divorce documents) who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 2nd January 2002 and not later than 1st January 2008.

NOTE: Male divorcee/widower candidates cannot be treated as unmarried male for the purpose of their admission in IMA/INA/AFA/OTA, Chennai courses and accordingly they are not eligible for these courses.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or an equivalent examination certificate. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Secondary School Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Secondary School Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the self-attested/certified copy of Matriculation/Secondary School Examination Certificate a self-attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Secondary School Examination showing the date of his/her birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

NOTE-1 : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE-2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them in the Online Application Form and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE-3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Universal Registration Number (URN) profile for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

(c) Educational Qualifications:

(i) For I.M.A. and Officers' Training Academy, Chennai - Degree of a recognised University or equivalent.
(ii) For Indian Naval Academy—Degree in Engineering from recognized University/Institution.
(iii) For Air Force Academy—Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of Graduation/ provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year/semester Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply and they will be required to submit proof of passing the degree examination at the time of commencement of course to reach the IHQ of MoD (Army), Rtg 'A',CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates, Naval HQ 'DMPR' (OI & R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled:

(i) For admission to IMA on or before 1st January 2027 Indian Naval Academy on or before 1st January 2027 and Air Force Academy on or before 13th November 2026.
(ii) For admission to Officers' Training Academy, Chennai on or before 1st April 2027.
Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.
In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he/she possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE I: Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree Examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever. Candidates who are studying in the final year/semester degree course are required to submit at the time of SSB interview a bonafide certificate issued by University/College stating that they will be able to submit their proof of passing the graduation degree examination by the specified date, failing which their candidature will be cancelled.

Note II: Universal Registration Number (URN), Common Application Form (CAF) and Examination Specific Section:
A candidate who is willing to apply for Combined Defence Services Examination shall be required to apply on-line and submit the requisite information and supporting documents towards various claims, such as date of birth, educational qualification, etc. as may be sought by the Commission alongwith Universal Registration Number (URN), Common Application Form (CAF) and the fourth module i.e. Examination Specific module (including fees and center etc.). For detailed instructions for filling up the form, the Notice for Combined Defence Services Examination (I), 2026 may be referred. The failure to provide the required information/documents alongwith the Common Application Form (CAF) will entail cancellation of candidature for the examination.

NOTE III: Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE IV: In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation/Ground Duty (Non Tech) Branches of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements.

(d) Physical Standards:
Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Defence Services Examination (I), 2026 as per guidelines given in Appendix-II.

3. FEE :

Candidates (excepting Female/SC/ST candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee as prescribed in the Commission's Examination Notice.

4. All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should submit their applications online direct to the Commission.

N.B.I: Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are, however, required to inform their Head of Office/Department in writing that they have applied for the Examination.

N.B.II: Candidates serving in the Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. They are also required to submit NOC in this regard at the time of SSB interview.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.
The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after any stage of the examination, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions their candidature will be cancelled by the Commission.
Candidates are advised to keep ready the following documents in original alongwith their self- attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of May, 2026 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be:

(1) Matriculation/Secondary School Examination Certificate or its equivalent showing date of birth

(2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matriculation/Secondary School Examination Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for production of the above certificates in original at the selection Centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission for the examination.
7. (1) If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions:

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(a) Obtaining support for candidature by the following means, namely :—
  (i) offering illegal gratification to; or
  (ii) applying pressure on; or
  (iii) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(b) impersonation; or
(c) procuring impersonation by any person; or
(d) submitting fabricated/incorrect documents or documents which have been tampered with; or
(e) uploading irrelevant or incorrect photos/signature in the application form in place of actual photo/signature.

(f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
(g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-
(i) obtaining copy of question paper through improper means;
(ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
(iii) influencing the examiners; or

(h) being in possession of or using unfair means during the examination; or
(i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
(j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
(k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or
(l) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode),pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or
(m) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
(n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
in addition to being liable to criminal prosecution, shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period :-
(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
(ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:—
(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at Clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the Clause (n).

8**.** The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.

Candidates must ensure that their e-mail IDs given in their applications are valid and active.

9. CORRESPONDENCE WITH THE ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS.

All communications to the Army Headquarters should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Application ID
3. Roll Number (if received)
4. Name of candidate (in full and in block letters)
5. Complete Postal Address as given in the application with telephone number, if any.
6. VALID AND ACTIVE registered E-MAIL ID/ registered Mobile Number

N.B. (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.
N.B. (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his/her full name and Roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address, along with an unstamped self-addressed envelope, also to IHQ of MoD (Army)/Dte Gen of Rtg (Rtg A)CDSE Entry Section for males and SSC Women Entry Section for women candidates, West Block-III, Ground Floor, Wing 1, Rama Krishna Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD(Navy) DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his/her not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. For all queries regarding allotment of centres, date of SSB interview, merit list, Joining Instructions, and any other relevant information regarding selection process, please visit website www.joinindianarmy.nic.in in case of candidates having IMA or OTA as their first choice, IHQ of MOD (NAVY)DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610in the case of candidates having Air Force as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army headquarters/Naval HQ /Air Headquarter will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received. Navy candidates can download their call letters from the naval website www.joinindiannavy.gov.in or send email at officer@navy.gov.inthree weeks after publication of results.

N.B. In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 2nd week of July 2026 and by 2nd week of October 2026 for OTA, he/she should write to IHQ of MoD(Army)/Rtg. CDSE Entry/SSC Women Entry for Officers Training Academy, West Block-III, Ramakrishna Puram, New Delhi-110066 regarding non-receipt of the call-up letter. For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given ibid, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of August 2026).

10. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference by the respective service HQ. CANDIDATES WHO QUALIFY IN THE WRITTEN EXAM AND GIVEN THEIR FIRST CHOICE AS ARMY (IMA/OTA) ARE REQUIRED TO REGISTER THEMSELVES ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE WWW.JOININDIANARMY.NIC.IN IN ORDER TO ENABLE THEM TO RECEIVE CALL UP INFORMATION FOR SSB INTERVIEW.THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY REGISTERED ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE ARE ADVISED NOT TO REGISTER AGAIN. The email ID registered with DG Recruiting website i.e.www.joinindianarmy.nic.in and that given to UPSC must be same and unique to the applicant. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses [i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Indian Naval Academy, Ezhimala Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course, Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA, Chennai] for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it. Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned. Only those candidate who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of:-(i) Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii)Bachelors Degree/Provisional Degree alongwith mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission and Service Selection Board respectively in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the SSB tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

NOTE 1: Every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given Pilot Aptitude Test only once. The Grade secured by him at the first test (CPSS and/or PABT) will therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board/Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test earlier and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE:- There are three modes of entry in F(P) course CDSE/NCC/AFCAT. Candidates who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) will be considered for other preferred services only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written examination for IMA(D.E) Course and/or Navy (S.E) Course and / or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in August-September 2026 and candidates who qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in October-December 2026.

10.1 Rounding off Marks and Tie Breaking Principle

The provisions relating to the rounding off of marks, wherever applicable, and the principles for resolving cases of tie in scores shall be as prescribed below:-

(A) <u>Rounding off Marks:</u>

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the tie-breaking principles, the rounded-off marks upto two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) <u>Tie Breaking Principle:</u>

(i) <u>For IMA/INA/AFA :</u> If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in written total ("Paper-I : English, Paper-II : General Knowledge and Paper – III : Elementary Mathematics" put together) will be ranked higher;

<u>For OTA :</u> If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in written total ("Paper-I : English and Paper-II : General Knowledge" put together) will be ranked higher;

(ii) If the marks at (i) above are equal, the candidate securing more marks in "Paper-II : General Knowledge" will be ranked higher; and

(iii) If the marks at (i) and (ii) above are also equal, the candidate senior in age will be ranked higher.

(iv) In cases where a tie persists even after applying the above tie-breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

11. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Indian Naval Academy, Officers' Training Academy, Chennai but were removed there from on

disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

12. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY OR OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI:

Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Indian Air Force Academy Course or Officers' Training Academy, Chennai must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his/her application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government.

Candidate must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at the written examination or Service Selection Board interview of medical examination will not be eligible for training. A candidate, who marries during his period, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

13. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY:

After admission to the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy.

MAJOR GENERAL G. S. CHOUDHARY, Jt. Secy. (Army & TA)

APPENDIX-I

The scheme, standard and syllabus of the examination

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises:

(a) Written examination as shown in para 2 below.

(b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:

(a) For Admission to Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy:—

	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	English	2 Hours	100
2.	General Knowledge	2 Hours	100
3.	Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy:—

	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	English	2 Hours	100
2.	General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS

ENGLISH (Code No. 11)

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 12)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 13)

ARITHMETIC

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition, substraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions. Unitary method, time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine ×, cosine ×, Tangent × when $0° \leq × \leq 90°$ Values of sin ×, cos × and tan ×, for × = 0°, 30°, 45°, 60° and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are:-

(a) Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception * Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate weightage for each test. The marks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

APPENDIX-II

GUIDELINES WITH REGARD TO PHYSICAL STANDARDS FOR CANDIDATES FOR COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION

ARMY

MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR OFFICER ENTRIES INTO ARMY

1. Aim:

Aim of this literature is to familiarize the general population on medical standards for enrolment of candidates into Army through various types of entries. This literature also serves the purpose of placing information in public domain as per the policy of Information Commission under RTI Act -2005.

2. Introduction:

(a) The primary responsibility of the Armed Forces is defending territorial integrity of the nation. For this purpose Armed Forces should always be prepared for war. Armed Forces personnel undergo rigorous training in preparation for war. Armed Forces also assist civil authorities if required whenever the need arises like in the case of disasters. To carry out such tasks Armed Forces requires candidates with robust mental and physical health. Such candidates should also be capable of withstanding rigorous stress and strain of service conditions to perform their military duties in adverse terrain and uncongenial climate incl sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical facilities. A medically unfit individual due to disease/disability can not only drain precious resources but can also jeopardize lives of other members of the team during operations. Therefore only medically fit candidates are selected who emerge fit to be trained for war.

(b) The Armed Forces Medical Services are responsible for ensuring selection of '**Medically Fit'** individuals into the Armed Forces.

(c) All Armed Forces personnel regardless of occupational specialty, unit assignment, age or gender should have a basic level of general '**Medical fitness'** when inducted into service. This basic level of fitness can then be used as a benchmark to train personnel for further physically demanding occupational specialties or unit assignments. This will enhance deployable combat readiness.

(d) Medical examinations are carried out meticulously by Armed Forces Medical Services Medical Officers. These Medical Officers are well oriented to specific working conditions of Armed Forces after undergoing basic military training. Medical examinations are finalized by the Board of Medical Officers. **The decision of the Medical Board is final. In case of any doubt about any disease/disability/injury/genetic disorder etc noticed during enrolment/ commissioning, the benefit of doubt will be given to State**.

Medical Standards.

3. Medical standards described in the following paragraphs are general guidelines. They are not exhaustive in view of the vast knowledge of disease. These standards are subject to change with advancement in the scientific knowledge and change in working conditions of Armed Forces due to introduction of new eqpt/trades. Such changes will be promulgated from time to time by policy letters by competent authorities. Medical Officers, Spl Medical Officers and Medical Boards will take appropriate decisions based on following guidelines and principles.

4. **To be deemed 'Medically fit', a candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/syndrome/disability likely to interfere with the efficient performance of military duties in any terrain, climate, season incl sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical aid. Candidate also should be free of medical conditions which require frequent visit to medical facilities and use of any aid / drugs.**

(a) It will, however, be ensured that candidate is in good health. There should be no evidence of weak constitution, imperfect development of any system, any congenital deformities/ diseases/syndrome or malformation.

(b) No swelling/s including tumours/cyst/swollen lymph node/s anywhere on the body. No sinus/es or fistula/e anywhere on the body.

(c) No hyper or hypo pigmentation or any other disease/syndrome/disability of the skin.

(d) No hernia anywhere on the body.

(e) No scars which can impair the functioning and cause significant disfigurement.

(f) No arterio-venous malformation anywhere in/on the body.

(g) No malformation of the head and face including asymmetry, deformity from fracture or depression of the bones of the skull; or scars indicating old operative interference and malformation like sinuses and fistulae etc.

(h) No impairment of vision including colour perception and field of vision.

(j) No hearing impairment, deformities/disabilities in ears vestibule-cochlear system.

(k) No impediment of speech due to any aetiology.

(l) No disease/disability/ congenital anomaly/syndrome of the bones or cartilages of the nose, or palate, nasal polyps or disease of the naso-Pharynx, uvula and accessory sinuses. There should be no nasal deformity and no features of chronic tonsillitis.

(m) No disease /syndrome/disability of the throat, palate tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joint.

(n) No disease /syndrome/disability of the heart and blood vessels incl congenital, genetic, organic incl hypertension, and conduction disorders.

(o) No evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other disease /syndrome/disability chronic disease of the lungs and chest including allergies /immunological conditions, connective tissue disorders, musculoskeletal deformities of chest.

(p) No disease of the digestive system including any abnormality of the liver, pancreas incl endocrinal, congenital, hereditary or genetic diseases /syndromes and disabilities.

(q) No diseases/syndrome/disability of any endocrinal system, reticuloendothelial system.

(r) No diseases/syndrome/disability of genito-urinary system including malformations, atrophy/hypertrophy of any organ or gland.

(s) No active, latent or congenital venereal disease.

(t) No history or evidence of mental disease, epilepsy, incontinence of urine or enuresis.

(u) No disease/deformity/syndrome of musculo-skeletal system and joints incl skull, spine and limbs.

(v) There is no congenital or hereditary disease/ syndrome/disability.

5. Psychological examinations will be carried out during SSB selection procedure. However, any abnormal traits noticed during medical examination will be a cause for rejection.

6. Based on the above mentioned guidelines usual medical conditions which lead to rejection are:-

(a) Musculo-skeletal deformities of spine, chest and pelvis, limbs e.g. scoliosis, torticollis, kyphosis, deformities of vertebrae, ribs, sternum, clavicle, other bones of skeleton, mal-united fractures, deformed limbs, fingers, toes and congenital deformities of spine.

(b) Deformities of Limbs: Deformed limbs, toes and fingers, deformed joints like cubitus valgus, cubitusvarus, knock knees, bow legs, hyper mobile joints, amputated toes or fingers and shortened limbs.

(c) Vision and eye: Myopia, hypermetropia, astigmatism, lesions of cornea, lens, retina, squint and ptosis.

(d) Hearing, ears, nose and throat: Sub standard hearing capability, lesions of pinna, tympanic membranes, middle ear, deviated nasal septum, and congenital abnormalities of lips, palate, peri-auricular sinuses and lymphadenitis/adenopathy of neck. Hearing capacity should be 610 cm for Conversational Voice and Forced Whispering for each ear.

(e) Dental conditions:-

(i) Incipient pathological conditions of the jaws, which are known to be progressive or recurrent.

(ii) Significant jaw discrepancies between upper and lower jaw which may hamper efficient mastication and/or speech will be a cause for rejection.

(iii) Symptomatic Temporo-Mandibular Joint clicking and tenderness. A mouth opening of less than 30 mm measured at the incisal edges, Dislocation of the TMJ on wide opening.

(iv) All potentially cancerous conditions.

(v) Clinical diagnosis for sub mucous fibrosis with or without restriction of mouth opening.

(vi) Poor oral health status in the form of gross visible calculus, periodontal pockets and/or bleeding from gums.

(vii) Loose teeth: More than two mobile teeth will render the candidate unfit.

(viii) Cosmetic or post-traumatic maxillofacial surgery/trauma will be UNFIT for at least 24 weeks from the date of surgery/injury whichever is later.

(ix) If malocclusion of teeth is hampering efficient mastication, maintenance of oral hygiene or general nutrition or performance of duties efficiently.

(f) Chest: Tuberculosis, or evidence of tuberculosis, lesions of lungs, heart,musculo skeletal lesions of chest wall.

(g) Abdomen and genitor-urinary system: Hernia, un-descended testis, varicocele, organomegaly, solitary kidney, horseshoe kidney & cysts in the kidney/liver, Gall bladder stones, renal and ureteric stones, lesions/deformities of urogenital organs, piles, sinuses and lymphadenitis/pathy.

(h) Nervous system: Tremors, speech impediment and imbalance.

(j) Skin: Vitiligo, haemangiomas, warts, corns, dermatitis, skin infections growths and hyperhydrosis.

7. **Height and Weight**: Height requirement varies as per the stream of entry. Weight should be proportionate to height as per the chart given below:-

Age (yrs)	Minimum weight for all ages	Age: 17 to 20 yrs	Age: 20+01 day - 30 yrs	Age: 30 + 01 day - 40 yrs	Age: Above 40 yrs
Height (cm)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2

192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(a) Weight for height charts given above is for all categories of personnel. This chart is prepared based on the BMI. The chart specifies the minimum acceptable weight that candidates of a particular height must have. Weights below the minimum specified will not be acceptable in any case. The maximum acceptable weight of height has been specified in age wise categories. Weights higher than the acceptable limit will be acceptable only in the case of candidates with documented evidence of body building, wrestling, and boxing at the National level. In such cases the following criteria will have to be met.

(i) Body Mass Index should be below 25.
(i) Waist Circumference should be less than 90 cm for males and 80 cm for females.
(iii) All biochemical metabolic parameters should be within normal limits.

(b) The minimum height required for male candidates for entry into the Armed Forces is 157 cm or as decided by the respective recruiting agency. Gorkhas and candidates belonging to Hills of North Eastern region of India, Garhwal and Kumaon, will be accepted with a minimum height of 152 cm.

(c) The minimum height required for female candidates for entry into the Armed Forces is152 cm. Gorkhas and candidates belonging to Hills of North Eastern region of India, Garhwal and Kumaon will be accepted with a minimum height of 148 cm.

8. Following investigations will be carried out for all officer entries and for pre-commission training academies. However examining medical officer/ medical board may ask for any other investigation deemed fit.

(a) Complete haemogram
(b) Urine RE
(c) Chest X-ray
(d) USG abdomen and Pelvis.

9. Certain standards vary depending on age and type entry vizstds for vision as follows:-

Parameter	**Standards : 10+2 entries, NDA(Army), TES and equivalent**	**Graduate & equivalent entries: CDSE, IMA, OTA, UES, NCC,TGC & equivalent**	**Post graduate &equivalent entries: JAG, AEC , APS, RVC,TA, AMC, ADC, SL & equivalent**
Uncorrected vision(max allowed)	6/36 & 6/36	6/60 &6/60	3/60 & 3/60
BCVA	Rt 6/6 & Lt 6/6	Rt 6/6 & Lt 6/6	Rt 6/6 & Lt 6/6
Myopia	≤ -2.5 D Sph (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)	≤ -3.50 D Sph (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)	≤ -5.50 D Sph (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)

Hypermetropia	≤+2.5 D Sph, (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)	≤+3.50 DSph (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)	≤+3.50 D Sph (including max astigmatism ≤ +/- 2.0 D Cyl)
Lasik/equivalent surgery	Not permitted	Permitted *	Permitted*
Colour perception	CP-II	CP-II	CP-II

***LASIK or Equivalent kerato-refractive procedure**

(a) Any candidate who has undergone any kerato-refractive procedure will have a certificate from the centre where he/she has undergone the procedure, specifying the date and type of surgery.

Note: Absence of such a certificate will necessitate the Ophthalmologist to make a decision to reject the candidate with specific endorsement of "Unfit due to undocumented Visual Acuity corrective procedure".

(b) In order to be made FIT, the following criteria will have to be met:

(i) Age more than 20 yrs at the time of surgery

(ii) Minimum 12 months post LASIK

(iii) Central corneal thickness equal to or more than 450 μ

(iv) Axial length by IOL Master equal to or less than 26 mm

(v) Residual refraction of less than or equal to +/- 1.0 D incl cylinder, (provided acceptable in the category applied for).

(vi) Normal healthy retina.

(vii) Corneal topography and ectasia markers can also be included as addl criteria.

Candidates who have undergone radial keratotomy are permanently unfit

10. Form to be used for med board proceedings is AFMSF-2A.

11. Procedure of Medical Examination Board: Medical Examination Board for selection for officers and pre-commissioning training academies are convened at designated Armed Forces Medical Services Hospitals near Service Selection Boards (SSB). These Medical Boards are termed as 'Special Medical Board' (SMB). Candidates who clear SSB interview are referred to Armed Forces Medical Services Hospital with identification documents. Staff Surgeon of Hospital will identify the candidate, guide the candidate to fill the relevant portions of the AFMSF-2, organize investigations and examination by Medical, Surgical, Eye, ENT, Dental specialists. Female candidates are examined by Gynaecology Specialist also. After examination by Specialists, the candidate is brought before Medical Board. Medical Board once satisfied with findings of Specialists will declare fitness of candidate. If any candidate is declared 'Unfit' by SMB, such candidates can request for 'Appeal Medical Board' (AMB). Detailed procedure for AMB will be provided by President SMB.

12. Miscellaneous aspects:

(a) Clinical methods of examinations are laid down by O/O DGAFMS.

(b) Female candidates will be examined by female medical officers and specialists. In case of non-availability they will be examined by Medical Officer in the presence of female attendant.

(c) Fitness following surgery: Candidates may be declared fit after surgery. However, there should not be any complication; scar should be healthy, well healed and attained required tensile strength. The candidate shall be considered fit after 01 year of open/laparoscopic surgeries for hernia and twelve weeks of laparoscopic abdominal surgery for cholesystectomy. For any other surgery, fitness shall be considered only after 12 weeks of the laparoscopic surgery and 12 months after an open surgery. Candidate shall be unfit for any surgeries for injuries, ligament tear, and meniscus tear of any joint, irrespective of duration of surgery.

NAVY

MEDICAL STANDARD AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR OFFICER ENTRIES INTO NAVY

PROCEDURE ON CONDUCT OF MEDICAL BOARDS

1. A candidate recommended by the Services Selection Board (SSB) will undergo a medical examination (Special Medical Board) by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates, who are declared fit by the Medical Board, will be admitted to the Academy. However, the President of the Medical Board will intimate the candidates declared unfit of their results and the procedure for an Appeal Medical Board (AMB)to be completed in a Command Hospital or equivalent within 42 days of Special Medical Board.

2. Candidates who are declared unfit by the Appeal Medical Board (AMB) may request for Review Medical board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board. The President AMB will intimate about the procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that sanction for holding of Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right. The candidate should address the request for RMB if he/ she so desires to DMPR, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), Sena Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi – 110011 and a copy of the same is handed over to the President of AMB. O/o DGAFMS will inform the date and place (Delhi and Pune only) where the candidate will appear for a RMB.

3. The following investigations will be carried out mandatorily during Special Medical Board. However, Medical Officer / Medical Board examining a candidate may ask for any other investigation as required or indicated :-

(a) Complete Haemogram

(b) Urine RE/ME

(c) X Ray chest PA view

(d) USG abdomen & pelvis

(e) Liver Function Tests

(f) Renal Function Tests

(g) X Ray Lumbosacral spine, Anterior-Posterior and Lateral views

(h) Electrocardiogram (ECG)

PHYSICAL STANDARDS FOR OFFICERS (MALE/ FEMALE) ON ENTRY

4. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/ disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties both ashore and afloat, under peace as well as war conditions in any part of the world.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or underweight. The candidate should not be overweight or obese.

5. **Weight**

Height-Weight Chart : Navy

Height in Mtrs	Up to 17 yrs		17 yrs + 1 day to 18 yrs		18 yrs + 1 day to 20 yrs		20 yrs + 1 day to 30 yrs		Above 30 yrs	
	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52

1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.5	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

Notes:-

(a) The minimum and maximum weight for height will be standard for all categories of personnel. Candidates with weight below the minimum specified will not be accepted.

(b) Male candidates with weight higher than specified will be acceptable only in exceptional circumstances in case of candidates with documented evidence of body building, wrestling, boxing or muscular build. In such cases, the following criteria are to be met :-

(i) Body Mass Index should not be more than 25.

(ii) Waist : Hip Ratio less than 0.9.

(iii) All biochemical parameters such as blood sugar Fasting and PP, blood urea, creatinine, cholesterol, HbA1C%, etc are within normal limits.

(c) The fitness can only be given by a Medical Specialist.

(d) The minimum acceptable height is 157 cms. However, relaxation in height is permissible to candidates holding domicile of areas as mentioned below and talented sports male candidates:-

Sl No	Category	Minimum Height for Male Candidates
(i)	Tribals from Ladhakh Region	155 Cm
(ii)	Andaman & Nicobar, Lakshdweep and Minicoy Islands	155 Cm
(iii)	Gorkhas, Nepali, Assamese, Garhwali, Kumaoni and Uttarakhand	152 Cm
(iv)	Bhutan, Sikkim &North East Region	152 Cm
(v)	Extra talented sports candidates	155 Cm

6. During the medical examination of candidates, the following principal points will be ensured:-

(a) The candidate is sufficiently intelligent.

(b) The hearing is good and that there is no sign of any disease of ear, nose or throat.

(c) Vision in either eye is up to the required standard. His/ her eyes are bright, clear and with no obvious squint or abnormality. Movements of eye balls should be full and free in all directions.

(d) Speech is without impediment.

(e) There is no glandular swelling.

(f) Chest is well formed and that his/her heart and lungs are sound.

(g) Limbs of the candidates are well formed and fully developed.

(h) There is no evidence of hernia of any degree or form.

(j) There is free and perfect action of all the joints.

(k) Feet and toes are well formed.

(l) Absence of any congenital malformation or defects.

(m) He/she does not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(n) Presence of sufficient number of sound teeth for efficient mastication.

(p) Absence of any disease of the Genito-Urinary tract.

7. Major defects for rejection are as under:-

(a) Weak constitution, imperfect development, congenital malformation, muscular wasting.

(b) Malformation of the head including deformity from fracture or depression of the bones of the skull.

(c) Assessment of Scoliosis.Idiopathic Scoliosis upto 10 degrees for Lumbar Spine and 15 degrees of Dorsal Spine will be acceptable provided.

(i) Individual is asymptomatic

(ii) No history of trauma to spine

(iii) No chest asymmetry/ shoulder imbalance or pelvic obliquity in the lumbar spine.

(iv) There is no neurological deficit

(v) No congenital anomaly of the spine

(vi) There is absence of syndromic features

(vii) ECG is normal

(viii) No deformity exists on full flexion of the spine

(ix) No restriction of range of movements

(x) No organic defect causing structural abnormality

(d) Skeletal deformity either hereditary or acquired and disease or impairment of function of bones or joints.

Note:- Rudimentary cervical rib causing no signs or symptoms is acceptable.

(e) Asymmetry of torso or limbs, abnormality of locomotion including amputation.

(f) Deformity of feet and toes.

(i) **Hyperextensible Finger Joints**. All candidates shall be thoroughly examined for hyper-extensible finger joints. Any extension of fingers bending backwards beyond 90 degrees shall be considered hyper-extensible and considered unfit. Other joints like Knee, Elbow, Spine and Thumb shall also be examined carefully for features of hyper laxity/ hypermobility. Although the individual may not show features of hyper laxity in other joints, isolated presentation of hyper extensibility of finger joints shall be considered unfit because of the various ailments that may manifest later if such candidates are subjected to strenuous physical training as mentioned above.

(ii) **Mallet Finger**. Loss of extensor mechanism at the distal inter-phalangeal joint leads to Mallet finger. Chronic mallet deformity can lead to secondary changes in the PIP and MCP joint which can result in compromised hand function. Normal range of movement at DIP joints is 0-80 degree and PIP joint is 0-90 degrees in both flexion and extension. In Mallet finger, candidate unable to extend/ straighten distal phalanx of fingers completely.

(aa) Candidates with mild condition i.e., less than 10 degrees of extension lag without any evidence of trauma, pressure symptoms and any functional deficit should be declared Fit.

(ab) Candidates with fixed deformity of fingers will be declared Unfit.

(iii) **Polydactyly**. Can be assessed for fitness 12 weeks post-op. Can be declared fit if there is no bony abnormality (X-Ray), wound is well healed and scar is supple and there is no evidence of neuroma or clinical examination.

(iv) **Simple Syndactyly**. Can be assessed for fitness 12 weeks post op. Can be declared fit if there is no bony abnormality (X-Ray), wound is well healed and scar is supple and web space is satisfactory.

(v) **Complex Syndactyly**. Unfit

(vi) **Polymazia**. Candidates to be considered fit after 12 weeks of post operative period if there is no post operative complication with a well healed surgical wound and no residual disease.

(vii) **Hyperostosis Frontalis Interna**. Will be considered fit in the absence of any other metabolic abnormality.

(viii) **Healed Fractures**.

(aa) All intra-articular fractures especially of major joints (Shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle) with or without surgery, with or without implant shall be considered unfit.

(ab) All extra-articular fractures with post-operative implant insitu shall be considered unfit and will be considered for fitness after minimum of 12 weeks of implant removal.

(ac) Nine (09) months will be the minimum duration for considering evaluation following extra-articular injuries of all long bones (both upper and lower limbs) post injury which have been managed conservatively. Individual will be considered fit if there is:-

(i) No evidence of mal-alignment/mal-union
(ii) No neuro-vascular deficit
(iii) No soft tissue loss
(iv) No functional deficit
(v) No evidence of osteomyelitis/ sequestra formation

(ix) **Cubitus Recurvatum**. >10 degrees is Unfit

(x) **Cubitus Valgus**.

(aa) **Measurement of Carrying Angle**. The carrying angle at the elbow is assessed conventionally with the elbow in full extension using a protractor goniometer to measure the axes from the surface margin of the arm and forearm. However, variations in the development of the soft tissues in the arm and forearm generally lead to inconsistencies in the measured results. So far, there is no uniform method to measure the carrying angle of the elbow. However, measuring the carrying angle of the elbow through identification of bony landmarks on the acromion, medial and lateral epicondyles of the humerus, and the distal radial and ulnar styloid processes is recommended. Carrying angle is measured by a manual goniometer with two drawing axes of the arm and forearm. The axis of the arm is defined by the lateral border of the cranial surface of the acromion to the midpoint of the lateral and medial epicondyles of the humerus. The axis of the forearm is defined by the midpoint of the lateral and medial epicondyles of the humerus to the midpoint of the distal radial and ulnar styloid processes.

(ab) Cubitus valgus should be primarily a clinical diagnosis. The suggested indications to perform a radiographic evaluation include:-

(i) History of trauma

(ii) Scar around elbow

(iii) Asymmetry of angles

(iv) Distal neurovascular deficit

(v) Restricted range of motion

(vi) If deemed necessary by Orthopaedic Surgeon

(xi) **Hyperextension at Elbow Joint**. Individuals can have naturally hyperextended elbow. This condition is not a medical problem, but can be a cause of fracture or chronic pain especially considering the stress and strains military population is involved in. Also, the inability to return the elbow to within 10 degrees of the neutral position is impairment in the activities of daily living.

(aa) Measurement modality. Measured using a Goniometer

(ab) Normal elbow extension is 0 degrees. Up to 10 degrees of hyperextension is within normal limits if the patient has no history of trauma to the joint. Anyone with hyperextension more than 10 degree should be unfit.

8. ***Eye***.

(a) Deformity or morbid condition of the eye or eyelids that is liable for aggravation or recurrence.
(b) Manifest squint of any degree.
(c) Active trachoma or its complication or sequelae.
(d) Visual acuity below prescribed standards.

Notes:-

1. Visual standards for CDSE entry are as follows :-

Criteria	**CDSE**
Uncorrected Vision	6/12 6/12
Corrected Vision	6/6 6/6
Limits of Myopia	-1.0D Sph
Limits of Hypermetropia	+ 2.0D Cyl
Astigmatism (within limits of myopia and hypermetropia)	±1.0D Sph / Cyl
Binocular Vision	III
Colour Perception	CP Pass *

* Colour Perception defect will be assessed by combination of Ishihara and Anomaloscope/MLT test during SMB. Ishihara and Anomaloscope (MLT if available) will be used during AMB. Ishihara and Anomaloscope and MLT will be used during RMB for confirmation, as applicable.

2. **Kerato Refractive Surgery.** Keratometry will be performed for candidates at SMB for detecting undeclared refracto-corrective procedures like PRK/LASIK/SMILE, etc. Values for the same will be endorsed in SMB.Candidates who have undergone any Refractory Surgery (PRK/LASIK/SMILE) can be considered fit in all branches (except submarine, diving and MARCO cadre) subject to the following conditions:-

(a) Surgery should not have been carried out before 20 yrs of age.

(b) Uncomplicated surgery at least 12 months before examination (Certificate mentioning the type of refractive surgery, date of surgery and pre-operative refractive error from concerned eye centre is to be produced by the candidate at the time of recruitment medical examination).

Post LASIK Standards. Candidate will be considered Fit if Axial Length by IOL Master is equal to or less than 26 mm by IOL Master or A Scanand Central Corneal Thickness by is Pachymeter equal to or more than 450 microns

(c) Residual refraction less than or equal to ±1.0 D Sph or Cyl, provided within the permissible limit for the category applied for. However, for Pilot and Observer entries, the residual refraction should be nil.

(d) Pre-operative refractive error not more than +/- 6.0 D

(e) Normal retinal examination.

3. ***Kerato-Refractory Surgery (PRK, LASIK, SMILE) is not acceptable for special cadres such as submarine, diving and MARCO. Candidates who have undergone Radial Keratotomy are permanently unfit for all branches.***

(i) **Ptosis**. Candidate will be considered fit post-operative provided there is no recurrence one year after surgery, visual axis is clear with normal visual fields and upper eyelid is 02 mm below the superior limbus. Candidates, who have not undergone surgery for the condition, would be considered fit if they meet any of the following criteria:-

(aa) Mild ptosis

(ab) Clear visual axis

(ac) Normal visual field

(ad) No sign of aberrant degeneration/ head tilt

(ii) **Exotropia**. Unfit

(iii) **Anisocoria**. If size difference between the pupils is >01mm, candidate will be considered unfit.

(iv) **Heterochromia Iridum**. Unfit

(v) **Sphincter Tears**. Can be considered fit is size difference between pupils is <01mm, pupillary reflexes are brisk with no observed pathology in cornea, lens or retina.

(vi) **Pseudophakia**. Unfit

(vii) **Lenticular Opacities**. Any lenticular opacity causing visual deterioration, or is in the visual axis or is present in an area of 07 mm around the pupils, which may cause glare phenomenon, should be considered Unfit. The propensity of the opacities not to increase in size or number should also be a consideration when deciding fitness. Small stationery lenticular opacities in the periphery like congenital blue dot cataract, not affecting the visual axis/ visual field may be considered by specialist (Should be less than 10 in number and central area of 04 mm to be clear).

(viii) **Optic Nerve Drusen**. Unfit

(ix) **High Cup Disc Ratio**. Candidates will be declared unfit if any of the following conditions exist:-

(aa) Inner eye symmetry in cup disc ratio is > 0.2.

(ab) Retinal Nerve Fibre Layer defect seen by RNFL analysis on OCT.

(ac) Visual field defect by Visual Field Analyser.

(x) **Keratoconus**. Unfit

(xi) **Lattice**.

(aa) The following lattice degenerations will render a candidate Unfit:-

(i) Single circumferential lattice extending more than two clock hours in either or both eyes.

(ii) Two circumferential lattices each more than one clock hour in extent in either or both eyes.

(iii) Radial lattices.

(iv) Any lattice with atrophic hole/ flap tears (Unlasered).

(v) Lattice degenerations posterior to equator.

(ab) Candidates with lattice degeneration will be considered Fit under the following conditions:-

(i) Single circumferential lattice without holes of less than two clock hours in either or both eyes.

(ii) Two circumferential lattices without holes each being less than one clock hour in extent in either or both eyes.

(iii) Post Laser delimitation single circumferential lattice, without holes/ flap tear, less than two clock hours extent in either or both eyes.

(iv) Post Laser delimitation two circumferential lattices, without holes/ flap tear, each being less than one clock hour extent in either or both eyes.

9. ***Ear, Nose and Throat***.

(a) ***Ear***. History or recurrent ear ache, tinnitus or vertigo, impairment of hearing, disease of the external meatus including atresia, exostosis or neoplasm which prevent a thorough examination of the drum, unhealed perforation of the tympanic membrane, aural discharge or sign of acute or chronic suppurative otitis media, evidence of radical or modified radical mastoid operation.

Notes:-

1. A candidate should be able to hear forced whisper at a distance of 610cms with each ear separately with back to the examiner.

2. Otitis Media. Current Otitis Media of any type will entail rejection. Evidence of healed chronic otitis media in the form of tympanosclerosis/ scarred tympanic membrane affecting less than 50% of Pars Tensa of tympanic membrane will be assessed by ENT Specialist and will be acceptable if Pure Tone Audiometry (PTA) and Tympanometry are normal. **All cases of Tympanoplasty and Myringoplasty/Myringotomy for choronic Otitis Media will entail permanent rejection.**

(i) The fwg conditions would render a candidate Unfit:-

(aa) Residual perforation

(ab) Residual hearing loss on Free Field Hearing and/or PTA

(ac) Any other type of tympanoplasty (other than Type 1 Tympanoplasty) or middle ear surgery (including ossiculoplasty, stapedotomy, canal wall down mastoidectomy, atticotomy, attico-antrostomyetc)

(ad) Any implanted hearing device (eg. cochlear implant, bone conduction implant, middle ear implants etc).

(b) **Bony Growth of External Auditory Canal**. Any candidate with clinically evident bony growth of external auditory canal like exostosis, osteoma, fibrous dysplasia etc. will be declared Unfit. Assessment of operated cases will be done after minimum period of 4 weeks. Post-surgery histopathology report and HRCT temporal bone will be mandatory. If the histo-pathological report is suggestive of a neoplasia or HRCT temporal bone is suggestive of partial removal or deep extension it would entail rejection.

(c) ***Nose.*** Disease of the bones or cartilages of the nose, marked nasal allergy, nasal polyps, atrophic rhinitis, disease of the accessory sinuses and nasopharynx.

Septal Perforation. Nasal septal perforation can be anterior cartilaginous or posterior bony perforation. Any septal perforation greater than 01 cm in the greatest dimension is a ground for rejection. A septal perforation which is associated with nasal deformity, nasal crusting, epistaxis and granulation irrespective of the size is a ground for rejection.

Nasal Polyposis. It is also known as Chronic Rhinosinusitis with polyposis (CRSwNP). Nasal polyposis is mostly associated with allergy, asthma, sensitivity to NSAIDs and infection i.e. bacterial and fungal. Most of these patients have high chances of recurrence and require long term management with nasal/ oral steroids and are unfit for extremes of climate and temperature conditions. Any individual detected to have nasal polyposis on examination or with history of having undergone surgery for nasal polyposis will be rejected.

(d) ***Throat***. Disease of throat palate, tongue, tonsils, gums and disease or injury affecting the normal function of either mandibular joints.

Note: Simple hypertrophy of the tonsils without associated history of attacks of tonsillitis is acceptable.

(e) ***Disease of the larynx and impediment of speech.*** Voice should be normal. Candidates with pronounced stammer will not be accepted.

10. ***Dental Condition***. It should be ensured that a sufficient number of natural and sound teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable in order to assess the dental condition of an individual. Dental points less than 14 are a cause of rejection. The dental points are allotted as under for teeth in good opposition with corresponding teeth in the other jaw:-

(i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st Premolar, 2nd Premolar and under developed third molar with 1 point each.

(ii) 1st molar and 2nd molar and fully developed 3rd molar with 2 points each.

(iii) When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 or 20 pints according to whether the third molars are well developed or not.

(b) The following teeth in good functional apposition must be present in each jaw:-

(i) Any 4 of the 6 anteriors.

(ii) Any 6 of the 10 posteriors.

All these teeth must be sound/ repairable.

(c) Candidates suffering from severe pyorrhea will be rejected. Where the state of pyorrhea is such that in the opinion of the Dental Officer, it can be cured without extraction of teeth, the candidates may be accepted. A note about the affected teeth is to be inserted by the Medical/ Dental Officer in the medical documents.

(d) Artificial dentures are not to be included while counting the dental points.

11. ***Neck***.

(a) Enlarged glands, tubercular or due to other diseases in the neck or other parts of the body.

Note:- Scars of operations for the removal of tubercular glands are not a cause for rejection provided there has been no active disease within the preceding five years and the chest is clinically and radiologically clear.

(b) Disease of the thyroid gland.

12. **Chest**. The following are criteria for rejection:-

(a) Deformity of chest, congenital or acquired.

(b) Expansion less than 5 cms.

(c) Significant bilateral/ unilateral Gynaecomastia in male. Candidates to be considered fit after 12 weeks op post operative period if:

(i) There is a well healed surgical wound with no residual disease

(ii) No post operative complication.

(iii) Surgical scar should be sufficiently matured and unlikely to cause any problems during military training,

(iv) Normal general physical examination
(v) Endocrine workup is normal

13. ***Skin and Sexually Transmitted Infection (STI)***.

(a) Skin disease unless temporary or trivial.

(b) Scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability/ or marked disfigurement.

(c) Hyperhydrosis - Palmar, plantar or axillary.

(d) Congenital, active or latent sexually transmitted diseases.

Note:- In cases with old healed scar over the groin or penis/ vagina suggestive of past STI, blood will be tested for STI (Including HIV) to exclude latent Sexually Transmitted Disease.

14. ***Respiratory System***.

(a) History of chronic cough or Bronchial Asthma.

(b) Evidence of pulmonary Tuberculosis.

(c) Evidence of diseases of bronchi, lungs or pleurae detected on radiological examination of the chest will disqualify the candidate.

Note:- An X-Ray examination of the chest will be carried outunder following circumstances:-
(i) On entry into the service as a cadet or direct entry.
(ii) At the time of grant of permanent commission in case of short service commissioned officer.

15. ***Cardio-Vascular System***.

(a) Functional or organic disease of the heart or blood vessels, presence of murmurs or clicks on auscultation.

(b) Tachycardia (Pulse Rate persistently over 96/min at rest), bradycardia (Pulse Rate persistently below 40/ min at rest), any abnormality of peripheral pulse.

(c) **Blood Pressure**. Candidate with Blood Pressure consistently greater than 140/90mm Hg will be rejected. All such candidates shall undergo a 24 hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring (24 h ABPM) to differentiate between white coat hypertension and persistent hypertension. Wherever feasible, candidates will be evaluated by a Cardiologist at AMB. Those with normal 24 h ABPM and without any target organ damage can be considered fit after evaluation by a cardiologist.

(d) **Electrocardiogram (ECG)**. Any ECG abnormality detected at SMB will be a ground for rejection. Such candidates will be evaluated by a cardiologist during AMB with echocardiography for structural abnormality and stress test if deemed necessary. Benign ECG abnormalities like incomplete RBBB, T wave inversion in inferior leads, T inversion in V1-V3 (persistent juvenile pattern), LVH by voltage criteria (due to thin chest wall) may exist without any structural heart disease. Echocardiography should be performed in all such cases to rule out an underlying structural heart disease and opinion of Senior Adviser (Medicine)/ Cardiologist should be obtained. If echocardiography and stress tests (if indicated) are normal, the individual can be considered fit.

16. ***Abdomen***.

(a) Evidence of any disease of the gastro-intestinal tract, enlargement of liver, gall bladder or spleen, tenderness on abdominal palpation, evidence/ history of peptic ulcer or previous history of extensive abdominal surgery. All officer entry candidates are to be subjected to the Ultra Sound Examination of the abdominal and pelvic organs for detecting any abnormalities of the internal organs.

(b) Hyperbilirubinemia of any nature is Unfit except for Unconjugated Hyperbilirubinemia where genetic studies confirm Gilbert's Syndrome as the etiological factor meeting criteria fulfilled below:-

(i) Unconjugated Hyperbilirubinemia with Total Serum Bilirubin < 3mg/dl, normal transaminases, PT/INR and Albumin.

(ii) HBs Ag and Anti HCV should be negative.

(iii) No abnormality on PBS, Reticulocyte count, lactate dehydrogenase levels, (LDH), Vit B12 and Hb electrophoresis.

(iv) Normal Ultrasonogram of the liver and FIBROSCAN.

(v) Diagnosis of Gilbert's Syndrome by genetic analysis of UGT1A1 gene.

(c) **Post-op Assessment**. Post-op duration for assessment of fitness in common conditions:-

(i) **Hernia**. Those who have been operated for hernia may be declared fit provided:-

(aa) 24 weeks have elapsed since the operation for Anterior Abdominal Wall hernia. Documentary proof to this effect is to be produced by the candidate.

(ab) General tone of the abdominal musculature is good.

(ac) There has been no recurrence of hernia or any complication connected with the operation.

(ii) **Other Conditions**. Those who have been operated for below mentioned conditions may be declared fit provided:-

(aa) Open Cholecystectomy. 24 weeks (In the absence of Incisional Hernia)

(ab) Laparoscopic Cholecystectomy. 08 weeks (Normal LFT, Normal histopathology).

(ac) Appendicectomy.

(i) **Laparoscopic Appendectomy** will be assessed for post operative fitness after a minimum period of 04 weeks. Candidates will be considered fit if:-

(aa) Post site scars have healed well
(ab) Scars are supple
(ac) Histo-pathological report of acute appendicitis is available
(ad) USG confirmation of absence of port site incisional hernia

(ii) **Open Appendectomy with muscle split approach** will be assessed for post op fitness after a minimum period **12 weeks**. Candidates will be considered fit if:-

(aa) Wound has healed well
(ab) Scar is supple and non tender
(ac) Histo-pathological report of acute appendicitis is available
(ad) USG confirmation of absence of surgical site incisional hernia

(iii) **Open Appendectomy with muscle cut approach** will be assessed for post op fitness after a minimum period **06 months**. Candidates will be considered fit if:-

(aa) Wound has healed well
(ab) scar is supple and non tender
(ac) Histo-pathological report of acute appendicitis is available
(ad) USG confirmation of absence of surgical site incisional

(ad) Pilonidal Sinus. 12 weeks

(ae) Fistula-in-Ano, Anal Fissure and Grade IV Hemorrhoids.12 weeks post-op with satisfactory treatment and recovery.

(af) Hydrocele and Varicocele. 08 weeks post-op with satisfactory treatment and recovery.

(ag) Urachal cyst. 08 weeks post-op with satisfactory treatment and absence of any remnant.

(ah) Fistula in anus, anal fissures and Hemorrhoids unless satisfactory to treatment has been carried out.

(d) **Hepatic Calcification**

(I) FIT:-

(aa) Solitary calcification $\leq$ 3cm or Multiple pin point or small calcification up to 5 in number and not involving more than 2 contiguous segments of liver. Cluster with total diameter not exceeding 3 cm along with no symptoms (Pain, Fever, Wt loss)
(ab) No history/features of TB, parasitic infections, or chronic liver disease.
(ac) No other organ involvement (e.g., lung/ Spleen calcifications).
(ad) Benign imaging features (smooth, well-defined, no mass effect)

(ae) Normal Serum Calcium, AFP, Serum Calcium, IGRA and Hydatid serology and any other clinically relevant test as per Physician discretion.

(II) UNFIT:-

(aa) Solitary size > 3 cm.
(ab) Multiple calcification or cluster size > 3 cm
(ac) Calcification within a mass (irregular, enhancing, or necrotic appearance).
(ad) Active Cystic lesion with wall/daughter cyst calcifications with positive hydatid serology).
(ae) Associated findings (e.g., liver abscess, biliary obstruction, vascularn aneurysm).
(af) Active TB/fungal infection (e.g., lung/spleen calcifications + symptoms).
(ag) Abnormal Serum Calcium levels.
(ah) Relevant laboratory tests to be done on case-to-case basis as per Physician discretion.

(e) **Hepatic Hemangioma**

(i) FIT:-

(aa) Solitary Hemangioma in liver upto size of $\leq$ 2.5 cm along with normal echotexture of liver and normal values of PT/INR, Platelets, Alpha Feto Protein and PIVKA or DCP in select cases.

(ii) UNFIT:-

(aa) Hemangioma greater than 2.5 cm
(ab) Multiple Hemangiomas
(ac) Atypical Hemangioma (Radiological diagnosis on CT Scan) of any size
(ad) Subcapsular Haemangioma of any size or number
(ae) Any size or number of Haemangioma in spleen

(f) Splenic Calcification and SOL

(i) FIT:-

(aa) Solitary calcification $\leq$ 2cm or Multiple with total size not exceeding 2cm along with No symptoms (pain,fever,weight loss)
(ab) No history/features of TB, parasitic infections, or chronic liver diseases
(ac) No other organ involvement (e.g., lung/liver calcifications)
(ad) Benign imaging features (smooth, well-defined, no mass effect)
(ae) Normal IGRA, Hb electrophoresis, Vasculitic work up and Hydatid serology and any other clinically relevant test as per Physician discretion

(ii) UNFIT:-

(aa) Solitary Size > 2cm
(ab) Multiple calcification or cluster size >2cm
(ac) Calcification within a mass (irregular, enhancing, or necrotic appearance)
(ad) Active Cystic lesion with wall/daughter cyst calcifications with positive hydatid serology)
(ae) Associated finding (e.g., splenic abscess, biliary obstruction, vascularn aneurysm)
(af) Active TB/fungal infection
(ag) Relevant laboratory tests to be done on case-to-case basis as per Physician discretion.

(g) **Agenesis of Gall Bladder**. Will be considered fit in the absence of any other abnormality of the biliary tract. MRCP will be done for all such cases.

17. ***Genito-Urinary System***.

(a) Any evidence of disease of genital organs.

(b) Bilateral undescended testis, unilateral undescended testis retained in the inguinal canal or at the external abdominal ring unless corrected by operation.

Note:- Absence of one testis is not a cause for rejection unless the testis has been removed on account of disease or its absence has affected the physical or mental health of the candidate.

(c) Disease or malformation of the kidneys or urethra.

(d) Incontinence of urine and nocturnal enuresis.

(e) Any abnormality on examination of urine including albuminuria or glycosuria.

(f) The following are criteria for rejection:-

(aa) Renal Calculi. Irrespective of size, numbers, obstructive or non-obstructive. History of renal calculi (History or radiological evidence) will render a candidate Unfit.

(ab) Calyecdasis

(ac) Bladder Diverticulum

(ad) Simple Renal Cyst. > 1.5Cm

18. ***Central Nervous System***.

(a) Organic disease of Central Nervous System.

(b) Tremors.

(c) Candidates with history of fits and recurrent attacks of headache/ migraine will not be accepted.

19. ***Psychiatric Disorders***. History or evidence of mental disease or nervous instability in the candidate or his family.

20. Block Vertebrae

(a) FIT:-

(i) Single level Complete Block Vertebra of Dorsal spine be considered Medically Fit.

(ii) Fit in absence of any neuro-deficiency/anomaly.

(b) UNFIT:-

(i) Complete/Incomplete Blocked Cervical Vertebrae

(ii) Blocked dorsal vertebrae at more than one level.

Lab Investigation (Hematology).

(a) **Polycythemia**. Hemoglobin more than 16.5g/dL in males and more than 16g/dL in females will be considered as Polycythemia and deemed Unfit.

(b) **Monocytosis**. Absolute monocyte counts greater than 1000/cu mm or more than or equal to 10% of total WBC counts is to be deemed Unfit.

(c) **Eosinophilia**. Absolute eosinophil counts greater than or equal to 500/ cu mm is deemed Unfit.

21. **Acceptable Defects on Entry**. Candidates for the Navy with the following minor defects may be accepted. These defects are however to be noted in the medical forms on entry.

(a) Knock Knees with a separation of less than 5 cm at the internal malleoli.
(b) Mild curvature of legs not affecting walking or running. Intercondylar distance should not be over 7 cm.
(c) Mild stammering not affecting expression.
(d) Mild degree of varicocele.
(e) Mild degree of varicose veins.

Note:- Remedial operations wherever required are to be performed prior to entry. No guarantee is given about ultimate acceptance and it should be clearly understood by a candidate that the decision whether an operation is desirable or necessary is one to be made by their private medical advisor. The Government will accept no liability regarding the result of operation or any expenses incurred.

(f) Any other slight defect which produces no functional disability and which in the opinion of medical officer/ medical board will not interfere with the individual's efficiency as an officer.

AIR FORCE

MEDICAL STANDARD AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR OFFICER ENTRIES INTO AIR FORCE

General Instructions

1. In this section, standardized guidelines for the physical assessment of candidates for commissioning through CDSE into flying duty branches in the IAF are elaborated. The purpose of these guidelines is to lay down uniform physical standards and to ensure that the candidates are free of health conditions that may hamper or limit their performance in the respective branch. The guidelines enumerated in this section are meant to be applied in conjunction with the standard methods of clinical examination.

2. All candidates during their induction should meet the basic physical fitness standards which will enable them to proficiently undergo the training and the subsequent service in varied climatic and work environments. A candidate will not be assessed physically fit unless the complete examination shows that he/ she is physically and mentally capable of withstanding the severe physical and mental strain for prolonged periods. The requirements of medical fitness are essentially the same for all branches, except for aircrew in whom the parameters for visual acuity, anthropometry and certain other physical standards are more stringent.

3. The medical standards spelt out pertain to initial entry medical standards. Continuation of medical fitness during training will be assessed during the periodic medical examinations held at AFA prior to commissioning. They are not exhaustive, in view of the vast spectrum of diseases. These standards are subject to change with the advancement in the scientific knowledge and change in working conditions of Armed Forces.

4. Laboratory and Radiological Investigations for Special Medical Board

(a) Hematology: Complete Haemogram (Haemoglobin estimation, Total Leucocyte Count with Differential Leucocyte Count, Platelet Count).
(b) Hb Electrophoresis will be carried out in candidates for commissioning to exclude Haemoglobin opathies.
(c) Biochemistry: Liver function test (LFT), Renal Function Test (RFT), Blood glucose estimation (Fasting and two hours after 75 g anhydrous glucose/82.5 g glucose monohydrate loading), Lipid profile.
(d) Urine Routine Examination (RE) and Microscopic Examination (ME).
(e) ECG.
(f) Radiology: -
  (i) Radiograph Chest PA view in all candidates.
  (ii) Radiograph Lumbosacral Spine: AP and Lateral views in all candidates.
  (iii) In addition to the above radiographs, Cervical Spine - AP and Lateral views, Dorsal Spine - AP and Lateral views will be carried out in all candidates being assessed **for flying duties.**
  (iv) USG Abdomen and Pelvis.
  (v) Any other additional investigation deemed necessary will be conducted during the Appeal stage.

General Physical Assessment

5. Every candidate, to be fit for the Air Force, must conform to the minimum standards laid down in the succeeding paragraphs. The physical parameters should fall within the acceptable ranges and should be proportionate.

6. The residual effects of old fractures/ injuries are to be assessed for any functional limitation. If there is no effect on function, the candidate can be assessed fit. Following categories should be meticulously assessed:

(a) **Spine Injuries**. Cases of old fractures of spine are unfit. Any residual deformity of spine or compression of a vertebra will be cause for rejection.

(b) **Nerve Injuries**. Injuries involving the trunks of the larger nerves, resulting in loss of function, or neuroma formation, which causes pain significant tingling, indicate unsuitability for employment in flying duties.

(c) **Keloids**. The presence of large or multiple keloids will be a cause for rejection.

(d) **Surgical Scars.** Minor well-healed scars for e.g as resulting from any superficial surgery do not, per se, indicate unsuitability for employment. Extensive scarring of a limb or torso that may cause functional limitation or unsightly appearance should be considered unfit.

(e) **Birth Marks**. Abnormal pigmentation in the form of hypo or hyper-pigmentation is not acceptable. Localized, congenital mole/ naevus, however, is acceptable provided its size is <10 cm. Congenital multiple naevi or vascular tumours that interfere with function or are exposed to constant irritation are not acceptable.

(f) **Subcutaneous Swellings.** Lipoma will be considered fit unless the lipoma is causing significant disfigurement/ functional impairment due to the size/ location. Neurofibroma, if single will be considered fit. Multiple neurofibromas associated with significant *Café-au-lait* spots (more than 1.5 cm size or more than one in number) will be considered unfit.

(g) **Cervical Rib**. Cervical rib without any neuro-vascular compromise will be accepted. Meticulous clinical examination to rule out neuro-vascular compromise should be performed in such cases. This should be documented in the Medical Board proceedings.

(h) **Cranio-facial Deformities**. Asymmetry of the face and head or uncorrected deformities of skull, face or mandible which will interfere with proper fitting of oxygen mask, helmet or military headgear will be considered unfit. Major deformities even after corrective surgery will be considered unfit.

(i) **History relating to Operations.** A candidate who has undergone an abdominal operation involving extensive surgical intervention or partial/ total excision of any organ is, as a rule, unfit for service. Operation involving the cranial vault with any residual bony defect will be unfit. Major thoracic operations will make the candidate unfit.

Measurements and Physique

7. **Chest Shape and Circumference.** The chest should be well proportioned and well developed. Any chest deformity likely to interfere with physical exertion during training and performance of military duties or adversely impact military bearing or are associated with any cardio-pulmonary or musculoskeletal anomaly are to be considered unfit. Minimum acceptable chest circumference in male candidates for commissioning is 77 cm. The chest expansion must be at least 05 cm for all categories of candidates. For the purpose of documentation, any decimal fraction lower than 0.5 cm will be ignored, 0.5 cm will be recorded as such and 0.6 cm and above will be recorded as 01 cm.

8. **Height**.

(a) **Ground Duty Branches**. The minimum height for entry into ground duty branches is as follows:
(i) Male – 157 cm.
(ii) Female - 152 cm.

Note 1:-In case of candidates of Lakshadweep ethnicity, the minimum acceptable height is reduced by 02 cm (155 cm for males and 150 cm for females). For Gorkhas and individual belonging to North-Eastern regions of India and hilly regions of Uttarakhand, the minimum acceptable height will be 05 cm less (152 cm for males and 147 cm for females).

Note 2:- Candidates of North East and Hilly states ethnicity includes Gorkhas, Kumaonis, Garhwalis, Assamese and those belonging to the states of Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim and hilly areas of Uttarakhand.

(b) **Flying Duty Branches**. The minimum height (both male and female) for entry into flying duty branches is as follows: -

(i) Pilots, Flight Test Engineers (FTE) and WSO of Su 30 MKI - **162 cm**.

(ii) Officers and airmen who apply for aircrew duties, other than F(P), FTE duties and WSO of Su-30 MKI - **157 cm**.

9. **Sitting Height, Leg Length and Thigh Length**. Acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height for such aircrew will be as under: -

(a)	**Sitting height**	Minimum	-	81.5 cm
		Maximum	-	96.0 cm
(b)	**Leg Length**	Minimum	-	99.0 cm
		Maximum	-	120.0 cm
(c)	**Thigh Length**	Maximum	-	64.0 cm

10. **Body Weight Parameters**

(a) The acceptable weight range for candidates is given at Appendix A (Male candidates) to this guidelines. Candidates outside the given weight range for their age and height will not be acceptable.

Appendix A
(Refer para 8 &10)

WEIGHT FOR HEIGHT CHART: MALES (AT ENTRY)

Height (cm)	Minimum Weight (Kg)	Maximum Weight (Kg)		
		Age at last birthday Below 20 yrs	Age at last birthday 20 to 25 yrs	Age at last birthday Above 25 yrs
152	40	53	55	58
153	40	54	56	59
154	40	55	57	59
155	41	55	58	60
156	41	56	58	61
157	42	57	59	62
158	42	57	60	62
159	43	58	61	63
160	44	59	61	64
161	44	60	62	65
162	45	60	63	66
163	45	61	64	66
164	46	62	65	67
165	46	63	65	68
166	47	63	66	69
167	47	64	67	70
168	48	65	68	71
169	49	66	69	71
170	49	66	69	72
171	50	67	70	73
172	50	68	71	74
173	51	69	72	75
174	51	70	73	76
175	52	70	74	77
176	53	71	74	77
177	53	72	75	78
178	54	73	76	79
179	54	74	77	80
180	55	75	78	81
181	56	75	79	82
182	56	76	79	83
183	57	77	80	84
184	58	78	81	85
185	58	79	82	86
186	59	80	83	86

187	59	80	84	87
188	60	81	85	88
189	61	82	86	89
190	61	83	87	90
191	62	84	88	91
192	63	85	88	92
193	63	86	89	93
194	64	87	90	94
195	65	87	91	95
196	65	88	92	96
197	66	89	93	97
198	67	90	94	98
199	67	91	95	99
200	68	92	96	100

Cardiovascular System

11. **Pulse**. Persistent sinus tachycardia (> 100 bpm) as well as persistent sinus bradycardia (< 60 bpm) are unfit. In case bradycardia is considered to be physiological, the candidate can be declared fit after evaluation by Medical specialist/cardiologist.

12. **Blood pressure**. An individual with systolic blood pressure greater than or equal to 140 mmHg and/or diastolic blood pressure greater than or equal to 90 mmHg shall be rejected.

13. **Cardiac Murmurs**. Evidence of organic cardiovascular disease will be cause for rejection. Diastolic murmurs are invariably organic. Short systolic murmurs of ejection systolic nature and not associated with thrill and which diminish on standing, especially if associated with a normal ECG and chest radiograph, are most often functional.

14. **ECG**. Any ECG abnormality detected at SMB/Recruitment Medical Examination will be a ground for rejection. Benign ECG abnormalities like incomplete RBBB, T wave inversion in inferior leads, T inversion in V1 to V3 (persistent juvenile pattern), LVH by voltage criteria (due to thin chest wall) may exist without any structural heart disease. Echocardiography should be performed in all such cases to rule out an underlying structural heart disease and opinion of Senior Advisor (Medicine)/Cardiologist should be obtained.

15. **Congenital Cardiac Anomalies**. All congenital cardiac anomalies will be declared unfit.

16. **Cardiac surgery and interventions.** Candidates with history of cardiac surgery/ intervention in the past will be considered unfit.

Respiratory System

17. **Pulmonary Tuberculosis.** Any residual scarring in pulmonary parenchyma or pleura, as evidenced by a demonstrable opacity on chest radiogram will be a ground for rejection. Old treated cases with no significant residual abnormality can be accepted if the diagnosis and treatment was completed more than two years earlier.

18. **Pleurisy with Effusion**. Any evidence of pleural thickening will be a cause for rejection. At the time of appeal, these cases will be subjected to detailed evaluation with appropriate investigations by Pulmonologist/Medical Specialist.

19. **Bronchitis**. History of repeated attacks of cough/wheezing/bronchitis may be manifestations of chronic bronchitis or other chronic pathology of the respiratory tract. Such cases will be assessed unfit and will be subjected to detailed evaluation with appropriate investigations at the time of appeal by Pulmonologist/Medical Specialist.

20. **Bronchial Asthma**. History of repeated attacks of bronchial asthma/wheezing/ allergic rhinitis will be a cause for rejection.

21. **Radiographs of the Chest**. Definite radiological evidence of disease of the lungs, mediastinum and pleurae are criteria for declaring the candidate unfit.

22. **Thoracic Surgery**. Candidate with history of any major surgery of the thorax will be considered unfit.

Gastrointestinal System

23. **Head to toe examination.** Presence of any sign of liver cell failure (e.g. loss of hair, parotidomegaly, spider naevi, gynaecomastia, testicular atrophy, flapping tremors etc) and any evidence of malabsorption (pallor, nail and skin changes, angular cheilitis, pedal edema) will entail rejection.

24. **Gastro-Duodenal Disabilities.** Any past surgical procedure involving partial or total loss of an organ (other than vestigial organs/gall bladder) will entail rejection.

25. **Diseases of the Liver.** If past history of jaundice is noted or any abnormality of the liver function is suspected, full investigation is required for assessment. Candidates suffering from viral hepatitis or any other form of jaundice will be rejected. Such candidates can be declared fit after a minimum period of 6 months has elapsed provided there is full clinical recovery; HBV and HCV status are both negative and liver functions are within normal limits. History of recurrent jaundice and hyperbilirubinemia of any nature is unfit.

26. **Disease of the Spleen.** Candidates who have undergone partial/ total splenectomy are unfit, irrespective of the cause for operation.

27. **Anterior abdominal wall hernia including femoral hernia**. (i) Fit. After 24 weeks of surgery (open as well as laparoscopic) provided there is no recurrence or post-op complications (ii) Unfit. (a) All current or operated cases of incisional hernia (b) All cases of current anterior abdominal wall hernia.

Inguinal Hernia. (i) FIT. After 24 weeks of hernia repair surgery (open as well as laparoscopic) provided there is no recurrence or post-op complications (ii) Unfit. All cases of current inguinal hernia

28. **Abdominal Surgery.** A candidate with well-healed scar post conventional abdominal surgery (except appendicectomy through right iliac fossa incision, refer para 36.2) will be considered fit after 24 weeks provided there is no potential for any recurrence of the underlying pathology, no evidence of incisional hernia and the condition of the abdominal wall musculature is good.

29. **Anorectal Conditions**. The examiner should do a digital rectal examination and rule out haemorrhoids, sentinel piles, anal skin tags, fissures, sinuses, fistulae, prolapsed rectal mass or polyps.

(a) **Fit**.

(i) After rectal surgery for polyps, haemorrhoids, fissure, fistula, ulcer or pilonidal sinus, provided there is no residual/recurrent disease.

(aa) Anal Fissure, Hemorrhoids: After 12 weeks of surgery.

(ab) Pilonidal Sinus: After 12 weeks of surgery.

(b) **Unfit**.

(i) Rectal prolapse even after surgical correction.
(ii) Active anal fissure/External Skin tags.
(iii) Hemorrhoids (external or internal).
(iv) Anal Fistula.
(v) Anal or rectal polyp.
(vi) Anal stricture.
(vii) Fecal incontinence.

30. Ultrasonography of Abdomen

(a) **Liver**.

Fit.

(i) Normal echo-anatomy of the liver, CBD, IHBR, portal and hepatic veins with liver span not exceeding 15 cm in the mid- clavicular line.

(ii) Solitary simple cyst (thin wall, anechoic) upto 2.5 cm diameter provided that the LFT is normal and hydatid serology is negative.

(ii) Hepatic calcifications to be considered fit if solitary and less than 01 cm with no evidence of active disease like tuberculosis, sarcoidosis, hydatid disease or liver abscess based on relevant clinical examinations and appropriate investigations.

Unfit.

(i) Hepatomegaly more than 15 cm in mid-clavicular line.

(ii) Fatty liver.

(aa) Grade 1 Fatty liver with abnormal LFT.

(ab) Grade 2 and 3 Fatty Liver.

(iii) Solitary cyst > 2.5 cm.

(iv) Solitary cyst of any size with thick walls, septations, papillary projections, calcifications and debris.

(v) Multiple hepatic calcifications or cluster greater than 01 cm.

(vi) Multiple hepatic cysts of any size.

(vii) Any haemangioma irrespective of the size and location.

(viii) Portal vein thrombosis.

(ix) Evidence of portal hypertension (Portal Vein >13 mm, collaterals, ascites).

31. Gall Bladder.

(a) **Fit**.

(i) Normal echo-anatomy of the gall bladder.

(ii) **Post Laparoscopic Cholecystectomy**. After eight weeks, provided LFT and histopathology are within normal limits.

(iii) **Post Open Cholecystectomy**. After 24 weeks, provided LFT and histopathology are within normal limits and in the absence of incisional hernia as confirmed on USG Abdomen.

(b)**Unfit**.

(i) Cholelithiasis or biliary sludge.

(ii) Choledocolithiasis.

(iii) Polyp of any size and number.

(iv) Choledochal cyst.

(v) Gall bladder mass.

(vi) Gall bladder wall thickness > 05 mm.

(vii) Septate gall bladder.

(viii) Persistently contracted gall bladder on repeat USG.

(ix) Incomplete Cholecystectomy.

(c) **Non-visualized Gall Bladder on USG**. Will be considered unfit. They will be considered fit during appeal, if agenesis of gall bladder is confirmed on Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography (MRCP), in the absence of any other abnormality of the biliary tract.

32. Spleen.

(a) Unfit.

(i) Spleen more than 13 cm in longitudinal axis (or if clinically palpable).

(ii) Any Space Occupying Lesion in the spleen.

(iii) Asplenia.

(iv) Candidates who have undergone partial/ total splenectomy are unfit, irrespective of the cause of operation.

33. Pancreas.

(a) Unfit

(i) Any structural abnormality.

(ii) Any Space Occupying Lesion/ Mass lesion.

(iii) Features of chronic pancreatitis (calcification, ductal abnormality, atrophy)

34. Peritoneal Cavity.

(a) **Unfit**.

(i) Ascites.

(ii) Solitary mesenteric or retroperitoneal lymph node > 01 cm. (Single retroperitoneal LN < 01 cm and normal in architecture may be considered fit).

(iii) Two or more lymph nodes of any size

(iv) Any mass or cyst.

35. Major Abdominal Vasculature (Aorta/ IVC). Any structural abnormality, focal ectasia, aneurysm and calcification will be considered as unfit.

36. **Appendicectomy.**

(a) **Laparoscopic Appendicectomy** will be assessed for post-operative fitness after a minimum period of **four weeks**. Candidates will be considered fit if:-

(i) Post-operative site scars are well healed.
(ii) Scars are supple.
(iii) Histopathological report of appendix is available.
(iv) USG confirmation of absence of port site incisional hernia.

(b) **Open Appendicectomy** (appendicectomy through right iliac fossa incision only) will be assessed for post-op fitness after a minimum period **12 weeks**. Candidates will be considered fit, if :-

(i) Wound has healed well.
(ii) Scar is supple and non-tender.
(iii) Histopathological report of appendix is available.
(iv) USG confirmation of absence of surgical site incisional hernia.

Urogenital System

The fitness criteria to be followed are as follows:-

37. **Undescended testis (UDT)/ Orchidectomy.**

(a) **Unfit**.
(i) If the testis cannot be palpated (unilateral or bilateral) even after examination of the candidate in squatting position.
(ii) Bilateral orchidectomy due to any cause such as trauma, torsion or infection is unfit.

(b) **Fit**.
(i) Operatively corrected UDT at least four weeks after surgery, provided after surgical correction, the testis is normal in location and the wound has healed well.
(ii) Unilateral orchidectomy for benign cause, provided other testis is normal in size, fixation and location.

38. **Atrophic Testis.**

(a) **Unfit**. Bilateral atrophied testis.
(b) **Fit**. Unilateral atrophic testis for benign cause, provided other testis is normal in size, fixation and location.

39. **Varicocele.**

(a) **Unfit**. All grades of current varicocele.

(c) **Fit**. Post-operative cases of varicocele with no residual varicocele and no post-op complications or testicular atrophy after eight weeks of surgery.

40. **Hydrocele.**

(a) **Unfit**. Current hydrocele on any side.
(b) **Fit**. Operated cases of hydrocele after eight weeks of surgery, if there are no post-op complications and wound has healed well.

41. **Epididymal Cyst/ Mass, Spermatocele.**

(a) Unfit – Current presence of cyst / mass.
(b) Fit. After 08 Weeks of Post-operative well healed cases with no recurrence and only when benign on histopathology report.

42. **Epididymitis/ Orchitis.**

(a) Unfit – Presence of current orchitis or epididymitis/ tuberculosis.
(b) Fit After treatment, provided the condition has resolved completely.

43. **Epispadias/ Hypospadias.**

(a) Unfit – All are unfit, except glanular variety of hypospadias and epispadias, which is acceptable.
(b) Fit – Post-operative cases at least 08 weeks after successful surgery, provided recovery is complete and there are no complications.

44. **Penile Amputation.** Any amputation will make the candidate unfit.

45. **Phimosis.**

(a) Unfit – Current phimosis, if tight enough to interfere with local hygiene and voiding and/ or associated with Balanitis Xerotica Obliterans.

(b) Fit – Operated cases will be considered fit after 04 weeks of surgery, provided wound is fully healed and no post-op complications are seen.

46. **Meatal Stenosis**

(a) Unfit – Current disease, if small enough to interfere with voiding.

(b) Fit – Mild disease not interfering with voiding and post-operative cases after a period of 04 weeks of surgery with adequately healed wound and no Post Operative complications.

47. Stricture Urethra, Urethral Fistula**.** Any history of / current cases or post-op cases are unfit.

48. Sex reassignment surgery/ Intersex condition. Unfit

49. Nephrectomy. All cases, irrespective of the type of surgery (Simple/ radical/ donor/ partial/ RFA/ cryo-ablation) are unfit.

50. Renal Transplant Recipients. Unfit

51. Urachal Cyst :08 Weeks (To be declared fit in the absence of any remnant)

52. Cases of Bladder diverticulum will be declared as Unfit.

53. **Urine Examination.**

(a) **Proteinuria.** Proteinuria will be a cause for rejection, unless it proves to be orthostatic.

(b) **Glycosuria.** When glycosuria is detected, a blood sugar examination (fasting and after 75 g glucose) and glycosylated Hb is to be carried out, and fitness decided as per results. Renal glycosuria is not a cause for rejection.

(c) **Urinary Infections.** When the candidate has history or evidence of urinary infection it will entail full renal investigation. Persistent evidence of urinary infection will entail rejection.

(d) **Haematuria.** Candidates with history of haematuria will be subjected to full renal investigation.

54. **Glomerulonephritis.**

(a) Acute: In this condition there is a high rate of recovery in the acute phase, particularly in childhood. A candidate who has made a complete recovery and has no proteinuria may be assessed fit, after a minimum period of one year after full recovery.

(b) Chronic:- Candidate with chronic glomerulonephritis will be rejected.

55. **Renal Calculi**: Irrespective of size, numbers, obstructive or non-obstructive,history of renal calculi (history or radiological evidence) will render a candidate Unfit.

56. Sexual Transmitted Diseases and Human Immuno Deficiency Virus (HIV). Seropositive HIV status and/ or evidence of STD will entail rejection.

57. Ultrasonography of the Abdomen - Urogenital System

58. **Kidneys, ureters and urinary bladder**

(a) Unfit

(i) Congenital structural abnormalities of kidneys or urinary tract

(aa) Unilateral renal agenesis.

(ab) Unilateral or bilateral hypoplastic/ contracted kidney of size less than 08 cm.

(ac) Malrotation of kidney.

(ad) Horseshoe kidney.

(ae) Ptosed kidney.

(af) Crossed fused/ ectopic kidney.

(ii) Simple single renal cyst of more than 1.5 cm size in one kidney.

(iii) Complex cyst/ polycystic disease/ multiple or bilateral cysts.

(iv) Renal/ ureteric/ vesical mass.

(v) Hydronephrosis or Hydroureteronephrosis.

(vi) Calculi - Renal/ Ureteric/ Vesical.

(vii) Calyectasis

(b) **Fit**

(i) Solitary, unilateral, simple renal cyst <1.5 cm provided the cyst is peripherally located, round/ oval, with thin smooth wall and no loculations, with posterior enhancement, no debris, no septa and no solid component.

Endocrine System.

59. Any history suggestive of endocrine disorders will be a cause for rejection.

60. **Clinical Examination**. Any clinical evidence of endocrine disease will be unfit.

61. All cases of thyroid swelling are unfit. Fitness of such cases will be decided during appeal medical board after evaluation with appropriate investigations.

62. Candidates detected to have Diabetes Mellitus will be rejected. A candidate with a family history of Diabetes Mellitus will be subjected to blood sugar (Fasting and after two hours of 75 g of anhydrous / 82.5 g monohydrate Glucose load) and HbA1c evaluation, which will be recorded.

Dermatological System.

63. **Relevant History and Examination**. Candidates who give history of sexual exposure to a Commercial Sex Worker (CSW) and have evidence of healed penile sore in the form of a scar must be declared permanently unfit, even in absence of an overt STD, as these candidates are likely 'repeaters' with similar indulgent promiscuous behavior.

64. **Assessment of Diseases of the Skin.** Acute non-exanthematous and non-communicable diseases, which ordinarily run a temporary course, need not be a cause of rejection. Diseases of a trivial nature, and those, which do not interfere with general health or cause incapacity, do not entail rejection.

65. Certain skin conditions are apt to become active and incapacitating under tropical conditions. An individual is unsuitable for service if he has a definite history or signs of chronic or recurrent skin disease. Some of such conditions are described below:-

66. **Palmoplantar Hyperhydrosis**. Some amount of Palmoplantar Hyperhydrosis is physiological, considering the situation that recruits face during medical examination. However, candidates with significant Palmoplantar Hyperhydrosis should be considered unfit.

67. **Acne vulgaris** Mild (Grade I) acne consisting of few comedones or papules, localized only to the face may be acceptable. However, moderate to severe degree of acne (nodulocystic type with or without keloidal scarring) or involving the back should be considered unfit.

68. **Palmoplantar Keratoderma** Any degree of palmoplantar keratoderma manifesting with hyperkeratotic and fissured skin over the palms, soles and heels should be considered unfit.

69. **Ichthyosis vulgaris** Ichthyosis involving the upper and lower limbs, with evident dry, scaly, fissured skin should be considered unfit. Mild xerosis (dry skin) could be considered fit.

70. Candidates having any keloid should be considered unfit.

71. Clinically evident onychomycosis of finger and toe-nails should be declared unfit, especially if associated with nail dystrophy. Mild degree of distal discoloration involving single nail without any dystrophy may be acceptable.

72. Giant congenital melanocytic naevi, greater than 10 cm should be considered unfit, as there is a malignant potential in such large sized naevi.

73. Single corns/ Warts/ Callosities will be considered fit, three months after successful treatment and no recurrence. However, candidates with multiple warts/ corns/ callosities on palms and soles or diffuse palmoplantar mosaic warts, large callosities on pressure areas of palms and soles should be rejected.

74. Psoriasis is a chronic skin condition known to relapse and/or recur and hence should be considered unfit.

75. **Vitiligo**. Those having vitiligo must be made unfit. On appeal, segmental vitiligo under the covered parts may be accepted.

76. A history of chronic or recurrent episodes of skin infections will be cause for rejection. Folliculitis or sycosisbarbae from which there has been complete recovery may be considered fit.

77. Individuals who have chronic or frequently recurring episodes of a skin disease of a serious or incapacitating nature e.g. eczema are to be assessed as permanently unfit and rejected.

78. Any sign of Leprosy will be a cause for rejection. All peripheral nerves should be examined for any thickness of the nerves and any clinical evidence suggestive of leprosy is a ground for rejection.

79. Naevusdepigmentosus and Beckersnaevus may be considered fit. Intradermal naevus, vascular naevi are to be made unfit.

80. Pityriasis Versicolor is to be made unfit. They can be made fit on appeal, if completely treated.

81. Any fungal infection of any part of the body will be unfit. They can be made fit on appeal, if completely treated.

82. Scrotal Eczema may be considered fit on recovery.

83. Canities (premature graying of hair) may be considered fit if mild in nature and no systemic association is seen.

84. Intertrigo may be considered fit on recovery.

85. All STDs are unfit.

86. Scabies may be considered fit only on recovery.

87. Alopecia areata single and small (<2 cm in diameter) lesion on scalp can be accepted. However if multiple, involving other areas or having scarring, the candidate should be rejected.

88. **Gynaecomastia**: Candidates to be considered fit after 12 weeks of post-operative period if: -

(a) There is a well healed surgical wound with no residual disease.

(b) No Post Operative complication.

(c) Surgical scar should be sufficiently matured and unlikely to cause any problems during military training.

(d) Normal general physical examination.

(e) Endocrine workup is normal

89. **Polymazia** Candidates to be considered fit after 12 weeks of Post-Operative period if thethere is no Post Operative complication with a well healed surgical wound and no residual disease.

Musculoskeletal System and Physical Capacity

90. **Spinal Conditions:** Past medical history of disease or injury of the spine or sacroiliac joints, either with or without objective signs, which has prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning. History of recurrent lumbago/ spinal fracture/ prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection.

91. Clinical Examination. Normal thoracic kyphosis and cervical/ lumbar lordosis are barely noticeable and not associated with pain or restriction of movement.

(a) If clinical examination reveals restriction of spine movements, deformities, tenderness of the spine or any gait abnormalities, it will be considered unfit.

(b) Gross kyphosis, affecting military bearing/ restricts full range of spinal movements and/or expansion of chest is unfit.

(c) When scoliosis is noticeable or any pathological condition of the spine is suspected, radiographic examination of the appropriate part of the spine needs to be carried out. Scoliosis is unfit, if deformity persists on full flexion of the spine, when associated with restricted range of spine movements or when due to an underlying pathological cause.

(d) **Spina Bifida**. The following markers should be looked for, on clinical examination and corroborated with radiological evaluation:-

(i) Congenital defects overlying the spine eg, hypertrichosis, skin dimpling, haemangioma, pigmented naevus or dermal sinus.

(ii) Presence of lipoma over spine.

(iii) Palpable spina bifida.

(iv) Abnormal findings on neurological examination.

92. Castellvi Classification for Lumbosacral Transitional Vertebra (LSTV).

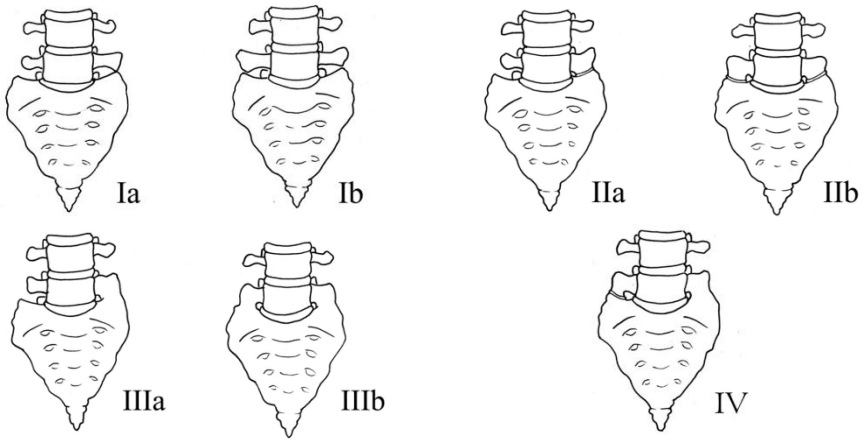

Castellvi Classification for LSTV

(a) **Type I**. Enlarged and dysplastic transverse process (at least 19 mm in width in craniocaudal dimension).

(i) **I a**. Unilateral.

(ii) **I b**. Bilateral.

(b) **Type II**. Pseudoarticulation of the transverse process and sacrum with incomplete lumbarisation/sacralistion (enlargement of the transverse process with pseudoarthrosis).

(i) **II a**. Unilateral.

(ii) **II b**. Bilateral.

(c) **Type III**. Transverse process fuses with the sacrum and there is complete lumbarisation or sacralisation (enlarged transverse process with complete fusion).

(i) **III a**. Unilateral.

(ii) **III b**. Bilateral.

(d) **Type IV**. Type II on one side and type III on the contralateral side.

93. Spinal Conditions Unfit for Air Force Duties (Both Flying and Ground Duties)

(a) **Congenital/Developmental Anomalies**.

(i) Wedge Vertebra.

(ii) Hemivertebra.

(iii) Anterior Central Defect.

(iv) Cervical Ribs (Unilateral/Bilateral) with demonstrable neurological or circulatory deficit.

(v) Spina Bifida. All types are unfit except in sacrum and LV5 (if completely sacralised).

(vi) Loss of Cervical Lordosis with neurological deficit.

(vii) Assessment of Scoliosis. Idiopathic scoliosis upto 10 degrees for Lumbar Spine and 15 degrees for Dorsal Spine will be acceptable provided:-

(aa) Individual is asymptomatic.

(ab) No history of trauma to spine.

(ac) No chest asymmetry/shoulder imbalance or pelvic obliquity in the lumbar spine.

(ad) There is no neurological deficit.

(ae) No congenital anomaly of the spine.

(af) There is absence of syndromic features.

(ag) ECG is normal.

(ah) No deformity exists on full flexion of the spine.

(aj) No restriction of range of movements

(ak) No organic defect causing structural abnormality.

(vii) Atlanto-occipital and Atlanto-axial anomalies.

(ix) Incomplete block vertebra at any level.

(x) Complete block vertebra **at more than one level**. (Single level is acceptable. Annotation is to be made in AFMSF-2).

(xi) **Lumbosacral Transitional Vertebra (LSTV)**. Unilateral sacralisation or lumbarisation (complete or incomplete) and Bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation (LSTV- Castellvi Type II a and b, III a and IV).

Bilateral Complete Sacralisation of LV5 and Bilateral Complete Lumbarisation of SV1, LSTV Castellvi Type III b, Type I a and b are acceptable (Annotation is to be made in AFMSF-2).

(xii) Spondylolysis/Spondylolisthesis.

(xiii) Intervertebral Disc Prolapse.

(xiv) Schmorl's Nodes at more than one level.

(b) **Traumatic Conditions**

(i) Spondylolysis/ Spondylolisthesis

(ii) Compression fracture of vertebra

(iii) Intervertebral Disc Prolapse

(iv) Schmorl's Nodes at more than one level

(c) **Infective**

(i) Tuberculosis and other Granulomatous disease of spine (old or active)

(ii) Infective Spondylitis

(d) **Autoimmune**

(i) Rheumatoid Arthritis and allied disorders

(ii) Ankylosing spondylitis

(iii) Other rheumatological disorders of spine e.g Polymyositis, SLE and Vasculitis

(e) **Degenerative**

(i) Spondylosis

(ii) Degenerative Joint Disorders

(iii) Degenerative Disc Disease

(iv) Osteoarthrosis/ osteoarthritis

(v) Scheuerman's Disease (Adolescent Kyphosis)

(f) **Any other spinal abnormality, if so considered by the specialist.**

Conditions affecting the assessment of upper limbs

94. **Amputations and Deformities of Upper limbs**. Deformities of the upper limbs or their parts will be cause for rejection. Candidate with an amputation of a limb or any part of limb including fingers will not be accepted for entry.

95. **Fingers and Hands**. Deformities and limitations to movements will be considered unfit.

(a) **Polydactyly**. Can be declared fit 12 weeks post- operative, if there is no bony abnormality on radiograph, wound is well healed, scar is supple and there is no evidence of neuroma on clinical examination.
(b) **Simple Syndactyly**. Can be declared fit 12 weeks post-operative, if there is no bony abnormality on radiograph, wound is healed, scar is supple and webspace is satisfactory.
(c) **Complex syndactyly**. Unfit.
(d) **Hyperextensible finger joints**. All candidates shall be thoroughly examined for hyperextensible finger joints. Any extension of fingers bending backwards beyond 90 degrees shall be considered hyperextensible and considered unfit. Other joints like knee, elbow, spine and thumb shall also be examined carefully for features of hyper-laxity/hypermobility. Although the individual may not show features of hyperlaxity in other joints, isolated presentation of hyperextensibility of finger joints shall be considered unfit because of the various ailments that may manifest later, if such candidates are subjected to strenuous physical training.
(e) **Mallet Finger**. Loss of extensor mechanism at the distal interphalangeal joint leads to Mallet finger. Chronic mallet deformity can lead to secondary changes in the proximal inter-phalangeal (PIP) and metacarpo-phalangeal (MCP) joint which can result in compromised hand function. Normal range of movement at distal inter-phalangeal (DIP) joints is 0-80 degree and PIP joint is 0-90 degree in both flexion and extension. In Mallet finger, the candidate is unable to extend/straighten distal phalanx of fingers completely.

(i) Candidates with mild condition ie, less than 10 degree of extension lag without any evidence of trauma, pressure symptoms and any functional deficit must be declared fit.
(ii) Candidates with fixed deformity of fingers will be declared unfit.

96. **Wrist.** Painless limitation of movement of the wrist will be assessed according to the degree of stiffness. Loss of dorsiflexion is more serious than loss of palmar flexion.

97. **Elbow.** Slight limitation of movement does not bar acceptance provided functional capacity is adequate. Ankylosis will entail rejection. Cubitus Valgus is said to be present when the carrying angle (angle between arm and forearm in anatomical posture) is exaggerated. In absence of functional disability and obvious cause like a fracture mal-union, fibrosis or the like, a carrying angle of upto 15º in male and 18º in female candidates would be made fit.

98. **Hyperextension at elbow joint:** Individuals can have naturally hyperextended elbow. This condition is not a medical problem, but can be a cause of fracture or chronic pain especially considering the stress and strains military population is involved in. Also, the inability to return the elbow to within 10 degrees of the neutral position is impairment in the activities of daily living.

(a) Measurement modality: Measured using a goniometer

(b) Recommendation: Normal elbow extension is 0 degrees. Up to 10 degrees of hyperextension is within normal limits if the patient has no history of trauma to the joint. Anyone with hyperextension more than 10 degrees should be unfit.

99. CubitusVarus of > 5 degree will be unfit.

100. Cubitus Recurvatum:.Cubitusrecurvatum>10 degrees is unfit

101. Shoulder Girdle. History of recurrent dislocation of shoulder with or without corrective surgery will be unfit.

102. Clavicle. Non-union of an old fracture clavicle will entail rejection. Mal-united clavicle fracture without loss of function and without obvious deformity are acceptable.

Conditions affecting the assessment of lower limbs

103. Hallux valgus with angle >20 degrees and first-second metatarsal angle of >10 degrees is unfit. Hallux valgus of any degree with bunion, corns or callosities is unfit.

104. Hallux rigidus is unfit for service.

105. Isolated single flexible mild hammer toe without symptoms may be accepted. Fixed (rigid) deformity or hammer toe associated with corns, callosities, mallet toes or hyperextension at meta-tarso-phalangeal joint (claw toe deformity) are to be rejected.

106. Loss of any digits/ toes entails rejection.

107. Deformities of the lower limbs or their parts will be cause for rejection. Candidate with an amputation of a limb or any part of limb including toes will not be accepted for entry.

108. **PesPlanus (Flat feet)**

(a) If the arches of the feet reappear on standing on toes, if the candidate can skip and run well on the toes and if the feet are supple, mobile and painless, the candidate is acceptable.

(b) Rigid or fixed flat feet, gross flat feet, with planovalgus, eversion of heel, cannot balance himself on toes, cannot skip on the forefoot, tender painful tarsal joints, prominent head of talus will be considered unfit. Restriction of the movements of the foot will also be a cause for rejection. Rigidity of the foot, whatever may be the shape of the foot, is a cause for rejection.

109. PesCavus and Talipes (Club Foot). Mild degree of idiopathic pescavus without any functional limitation is acceptable. Moderate and severe pescavus and pescavus due to organic disease will entail rejection. All cases of Talipes (Club Foot) will be rejected.

110. Ankle Joints. Any significant limitation of movement following previous injuries will not be accepted. Functional evaluation with imaging should be carried out wherever necessary.

111. Knee Joint. Any ligamentous laxity is not accepted. Candidates who have undergone ACL reconstruction surgery are to be considered unfit.

112. Genu valgum (knock knee) with intermalleolar distance > 5 cm in males and > 8 cm in females will be unfit.

113. Genu varum (bow legs) with intercondylar distance >7 cm will be considered unfit.

114. Genu Recurvatum. If the hyperextension of the knee is within 10 degrees and is unaccompanied by any other deformity, the candidate should be accepted as fit.

115. True lesions of the hip joint or early signs of arthritis will entail rejection.

Healed Fractures

116. **Intra-Articular Fractures**. All intra-articular fractures especially of major joints (shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle) with or without surgery, with or without implant shall be considered unfit.

117. **Extra-Articular Fractures**.

(a) All extra-articular fractures with post-operative implant in-situ shall be considered unfit and will be considered for fitness after minimum of 12 weeks of implant removal.

(b) Nine months will be the minimum duration for considering evaluation following extra-articular injuries of all long bones (both upper and lower limbs) post injury which have been managed conservatively. Individual will be considered fit if there is:-

(i) No evidence of mal-alignment/mal-union.
(ii) No neuro-vascular deficit.
(iii) No soft tissue loss.
(iv) No functional deficit.
(v) No evidence of osteomyelitis/sequestra formation.

118. Peripheral Vascular System

119. Varicose Veins. All cases with active varicose veins will be declared unfit. Post-op cases of varicose veins also remain unfit.

120. Arterial System. Current or history of abnormalities of the arteries and blood vessels e.g. aneurysms, arteritis and peripheral arterial disease will be considered unfit.

121. Lymphoedema. History of past/ current disease makes the candidate unfit.

Central Nervous System

122. **History of Mental Illness.**A candidate giving a history of mental illness/psychological afflictions will be rejected.

123. **Family History of Psychological Disorders**. When a history of nervous breakdown, mental disease, or suicide of a near relative is obtained, a careful investigation of the personal past history from a psychological point of view is to be obtained. Any evidence of even the slightest psychological instability in the personal history or present condition must entail rejection.

124. **Family History of Epilepsy**. If a history of epilepsy is obtained in a near relative, then the candidate must be made unfit and subjected to a detailed evaluation with appropriate investigations at the time of appeal.

125. **Severe or 'Throbbing' Headache and Migraine**. A candidate with migraine, which was severe enough to make him/her consult a doctor, will be a cause for rejection. Even a single attack of migraine with visual disturbance or Migrainous epilepsy is to be made unfit.

126. **Fits and Convulsions**. History of epilepsy in a candidate is a cause for rejection. Seizures may masquerade as 'faints' and therefore the frequency and the conditions under which 'faints' took place must be elicited. Such attacks will be made unfit, whatever their apparent nature. An isolated fainting attack calls for enquiry into all the attendant factors to distinguish between syncope and seizures. Complex partial seizures, are criteria for making the candidate unfit.

127. **Heat stroke**. History of repeated attacks of heat stroke, hyperpyrexia or heat exhaustion bars employment for Air Force duties, as it is an evidence of a faulty heat regulating mechanism. A single severe attack of heat effects provided the history of exposure was severe, and no permanent sequelae were evident is, by itself, not a reason for rejecting the candidate.

128. **Head Injury or Concussion**. A history of severe head injury/fracture of the skull/ history of intracranial damage or any residual bony defect in the calvaria is a cause for rejection. Presence of burr holes will be cause for rejection.

129. **Psychosis**. All candidates who are suffering from psychosis are to be rejected. Drug dependence in any form will also be a cause for rejection.

130. **Psychoneurosis**. Mentally unstable and neurotic individuals are unfit for commissioning. Juvenile and adult delinquency, history of nervous breakdown or chronic ill-health are causes for rejection.

131. **Organic Nervous Conditions**. Any evident neurological deficit will call for rejection.

132. **Tremors**. Persistent tremors even after reassuring the candidate will be unfit. On appeal only pathological tremors will render the candidate unfit.

133. **Stammering**. Candidates with stammering will be declared unfit. Stammering will be made unfit, even if it is first detected during the time of appeal medical board.

134. Any history of mental disorder in the family or in the candidate himself/herself or signs of intellectual, emotional or conduct disorders or symptoms of psychosomatic disorders should be made unfit and subjected to detailed evaluation and appropriate investigations at the time of appeal by the psychiatrist.

135. **Hyperstosis Frontalis Interna** will be considered fit in the absence of any other metabolic abnormality.

Ear, Nose and Throat

136. **Nose and Para-nasal Sinuses**.

(a) **External Deformity of Nose or Deviated Nasal Septum**.
(i) Unfit - Gross external deformity of nose causing cosmetic deformity or obstruction to free breathing as a result of a marked septal deviation.
(ii) On appeal - Post corrective surgery with residual mild deviation with adequate airway patency will be acceptable after four weeks post surgery.

(b) **Septal Perforation**- Unfit
(i) On appeal - Any anterior septal perforation/posterior septal perforation > 01 cm in the greatest dimension is a ground for rejection. A septal perforation which is associated with nasal deformity, nasal crusting, epistaxis and granulation irrespective of the size is a ground for rejection.

(c) Atrophic rhinitis- Unfit.

(d) Any history/clinical evidence suggestive of allergic rhinitis/vasomotor rhinitis are to be declared Unfit

(e) Any infection of the para-nasal sinuses is to be declared Unfit. Such cases may be accepted following successful treatment at the Appeal Medical Board.

(f) **Nasal polyposis**. Unfit (treated or untreated).

137. **Oral Cavity**.

(a) **Unfit**.
(i) Current/operated cases of leukoplakia, erythroplakia, submucous fibrosis, ankyloglossia and oral carcinoma.
(ii) Current oral ulcers/growths and mucous retention cysts.
(iii) Trismus due to any cause.
(iv) left palate, even after surgical correction.

(b) **Fit**.
(i) Completely healed oral ulcers after four weeks post-surgery with proven benign histopathology.
(ii) Operated cases of mucus retention cyst with no recurrence and proven benign histology. Evaluation in these cases must be done after minimum four weeks post-surgery.
(iii) Sub-mucous cleft of palate with or without bifid uvula not causing Eustachian tube dysfunction may be accepted by ENT specialist, provided PTA, tympanometry and speech are normal.

138. **Pharynx and Larynx**. The following conditions are unfit:-
(a) Any ulcerative/mass lesion of the pharynx.
(b) Candidates in whom tonsillectomy is indicated. Such candidates may be accepted minimum four weeks after successful surgery provided there are no sequelae and histology is benign.

(c) Cleft palate.
(d) Any disabling condition of the pharynx or larynx causing persistent hoarseness or dysphonia.
(e) Chronic laryngitis, vocal cord palsy, laryngeal polyps and growths.

139. **Eustachian Tube Dysfunction**. Unfit- Obstruction or insufficiency of Eustachian tube function.

140. **Tinnitus**. Unfit

141. **Susceptibility to Motion Sickness**. Specific enquiry must be made for any susceptibility to motion sickness. An endorsement to this effect must be made in AFMSF-2. Such cases will be fully evaluated and, if found susceptible to motion sickness, **they will be rejected for flying duties**. Any evidence of peripheral vestibular dysfunction due to any cause will entail rejection.

142. **Hearing loss**. The following are not acceptable:-
(a) Hearing acuity below 600 cm in CV or FW.
(b) The audiometric loss greater than 20 db, in frequencies between 250 and 8000 Hz on PTA.

143. **External Ear**. The following defects of external ear must be declared unfit:-
(a) Gross deformity of pinna which may hamper wearing of uniform/personal kit/ protective equipment, or which adversely impacts military bearing.
(b) Cases of chronic otitis externa.
(c) Any condition (ear wax, atresia/narrowing of external auditory meatus or neoplasm, exaggerated tortuosity of the canal, bony growth of external auditory canal) preventing a proper visualization of the tympanic membrane.
(d) Granulation or polyp in external auditory canal.

144. **Middle Ear**. The following conditions of middle ear will entail rejection:-
(a) **Otitis Media**. Current Otitis Media of any type will entail rejection. If evidence of healed chronic otitis media (in the form of tympanosclerosis/scarred tympanic membrane affecting only pars tensa part of tympanic membrane) and all operated cases of tympanoplasty/Myringotomy will be assessed by ENT specialist. They will be acceptable if Pure Tone Audiometry (PTA) and Tympanometry are normal**.** On appeal, a trial of decompression chamber may be carried out, if indicated, for aircrew, ATC/FC, submariners/divers.
(b) Any type of TM perforation or healed perforation/retraction in pars flaccida of the tympanic membrane is unfit.
(c) Marked retraction or restriction in TM mobility on pneumatic otoscopy.
(d) Tympanometry showing patterns other than Type 'A' tympanogram.
(e) Any implanted hearing devices eg, cochlear implants, bone-anchored hearing aids etc.
(f) After middle ear surgeries viz, stapedectomy, ossiculoplasty, any type of mastoidectomy.

145. **Miscellaneous Ear Conditions**. The following ear conditions will entail rejection: -
(a) Otosclerosis.
(b) Meniere's disease.
(c) Vestibular dysfunction including nystagmus of vestibular origin.
(d) Bell's palsy following ear infection.

OPHTHALMIC SYSTEM

146. **Clinical Examination findings**.
(a) Candidates, who are wearing spectacles or found to have defective vision, should be properly assessed. All cases of squint are unfit.
(b) **Ptosis**.
(i) Candidates, who meet the following criteria are **Fit**.
(aa) Mild ptosis.
(ab) Clear visual axis.
(ac) Normal visual field.
(ad) No sign of aberrant degeneration/head tilt /Horner's Syndrome.
(ii) Rest all cases - **Unfit**
(iii) On appeal - Candidates who have undergone surgical correction may be considered fit provided one year has elapsed post-surgery with no recurrence, the above-mentioned criteria are met and upper eyelid is not more than 02 mm below the superior limbus.
(c) **Exotropia**. Unfit.

(d) **Anisocoria**. If size difference between the pupils is >01 mm, candidate will be considered unfit.
(e) **Heterochromia irides**. Unfit

(f) **Sphincter tears**. Can be considered fit, if size difference between pupils is <01 mm, pupillary reflexes are brisk with no observed pathology in cornea, lens or retina.

(g) **Pseudophakia**. Unfit

(h) **Blepharitis**. Candidates with blepharitis, particularly with loss of eyelashes, must be rejected.
(j) **Ectropion/Entropion**. These cases are to be made unfit. On appeal, mild ectropion and entropion which in the opinion of ophthalmologist will not hamper day to day functioning in any way, may be made fit.
(k) **Pterygium**. All cases of pterygium are to be made unfit. On appeal, regressive non-vascularisedpterygium occupying ≤ 1.5 mm of the peripheral cornea may be made fit by Eye Specialist after measurement on a slit lamp.
(l) **Nystagmus**. All cases of nystagmus are to be made unfit except for physiological nystagmus.
(m) Naso-lacrymal duct occlusion producing epiphora or a mucocele entails rejection.
(n) Active Uveitis (iritis, cyclitis and choroiditis) will be grounds for rejection. Candidates giving a history of this condition should be made unfit.
(o) **Cornea**.
(i) Unfit
(aa) Corneal scars/opacities
(ab) Any candidate with progressive corneal disorders viz, Corneal dystrophies, Keratoconus, Keratoglobus, any corneal degenerations.
(ac) Any active corneal disorder.
(ii) On appeal corneal scars are acceptable if it does not interfere with vision.
(p) **Lenticular opacities**. – Unfit
On appeal
(i) **Unfit**- Any lenticular opacity that is causing visual deterioration or is in the visual axis or central area of 04 mm around the pupils is unfit. The propensity of the opacities not to increase in size or number should also be a considered.
(ii) **Fit -** Small stationary lenticular opacities in the periphery like congenital blue dot cataract, not affecting the visual axis/visual field (should be less than 10 in number and central area of 04 mm should be clear).

(q) **Optic Nerve Drusen**. Unfit.

(r) **High Cup - Disc ratio**. Unfit, if any of the following conditions exist:-

(i) Inter-Eye asymmetry in cup disc ratio > 0.2.
(ii) Retinal Nerve fibre Layer (RNFL) defect seen by RNFL analysis on Optical Coherence Tomography (OCT).
(iii) Visual Field defect detected by Visual Field Analyser.

(s) Migraine with visual symptoms are not a strictly ocular problem and should be assessed in accordance with para 124.
(t) As tests for night blindness are not routinely performed, a certificate to the effect that the individual does not suffer from night blindness will be obtained in every case. Certificate should be as per Appendix C to this chapter. A proven case of night-blindness is unfit.

(u) Restriction of movements of the eyeball in any direction and undue depression/prominence of the eyeball are unfit.

(v) **Retinal lesions**. A small healed chorio-retinal scar in the retinal periphery not affecting the vision and not associated with any other complications will be considered fit. Similarly, a small lattice in periphery with no other complications will be made fit. **Any lesion in the central fundus will be made unfit.**

(w) **Lattice degeneration**.

(i) The following lattice degeneration will render a candidate unfit:-

(aa) Single circumferential lattice extending more than two clock hours in either or both eyes.
(ab) Two circumferential lattices, each more than one clock hour in extent in either or both eyes.
(ac) Radial lattices.
(ad) Any lattice with atrophic hole/flap tears (Unlasered).
(ae) Lattice degeneration posterior to equator.

(ii) Candidates with lattice degeneration will be considered fit under the following conditions:-

(aa) Single circumferential lattice without holes of less than two clock hours in either or both eyes.
(ab) Two circumferential lattices without holes each being less than one clock hour in extent in either or both eyes.
(ac) Post-laser delimitation, single circumferential lattice, without holes/flap tear, less than two clock hours extent in either or both eyes.
(ad) Post-laser delimitation, two circumferential lattices, without holes/flap tear, each being less than one clock hour extent in either or both eyes.

(x) **Keratoconus**. Keratoconus is unfit.

147. **Visual Acuity/Colour Vision**. The visual acuity and colour vision requirements are detailed in Appendix D to this chapter. Those who do not meet these requirements will be rejected.

148. **Myopia**.

(a) Unfit, if outside the prescribed visual limits.

(b) Unfit even if the corrected visual acuity is within the acceptable limits when:-

(i) There is a strong family history of high myopia, and that the visual defect is recent onset.
(ii) If physical growth is still expected.
(iii) If the fundus appearance is suggestive of progressive myopia.
(iv)

149. **Refractive Surgeries**. The disposal of candidates who have undergone Keratorefractive Surgeries (PRK, LASIK, Femto LASIK, SMILE or equivalent procedures) for commissioning in the Air Force in all branches is as follows :-

(a) **Fit**

(i) Candidates for IAF meeting the visual requirements for the branch as laid down in Appendix D to para **146.** Residual refraction after such procedure should not be more than +/- 1.0 D Sph or Cyl for branches where correctable refractive errors are permitted.
(ii) Keratorefractive Surgery must not have been carried out before the age of 20 years.
(iii) At least 12 months must have elapsed post uncomplicated stable Keratorefractive Surgery with no history or evidence of any complication.
(iv) The axial length of the eye must not be more than 26 mm as measured by IOL master.
(v) The post Keratorefractive Surgery corneal thickness as measured by a corneal Pachymeter must not be less than 450 microns.

(b) **Unfit**

(i) Radial Keratotomy (RK) surgery for correction of refractive errors

(ii) Individuals with high refractive errors (> 6 D) prior to Keratorefractive Surgery.

150. **Cataract Surgeries**. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will be declared unfit.

151. **Other Eye Surgeries**. Candidates having undergone any invasive surgeries viz, Implantable Collamer Lens (ICL), Trabeculectomy, Glaucoma surgeries with or without implants, Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin (C3R), INTACS, any intra ocular injections, retinal surgeries etc, will be declared unfit.

Ocular Muscle Balance

152. Individuals with manifest squint are not acceptable for commissioning.

153. The assessment of latent squint or heterophoria in the case of aircrew will be mainly based on the assessment of the fusion capacity. A strong fusion sense ensures the maintenance of binocular vision in the face of stress and fatigue. Hence, it is the main criterion for acceptability.

(a) **Convergence (as Assessed on RAF rule)**.

(i) **Objective Convergence**.

(aa) Up to 10 cm- Fit.

(ab) More than 10 cm - Unfit.

(ii) **Subjective Convergence (SC)**. This indicates the end point of binocular vision under the stress of convergence. If the subjective convergence is more than 10 cm beyond the limit of objective convergence, the fusion capacity is poor. This is specially so when the objective convergence is 10 cm and above.

(b) **Accommodation**. In the case of myopes, accommodation should be assessed with corrective glasses in position. The acceptable values for accommodation in various age groups are given in Table 1.

Table 1 -Accommodation Values – Age wise

Age in years	**17-20**	**21-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**
Accommodation (in cm)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

154. Ocular muscle balance is dynamic and varies with concentration, anxiety, fatigue, hypoxia, drugs and alcohol. The above tests should be considered together for the final assessment. Standards for assessment of Ocular Muscle Balance are detailed in Appendix E to this chapter.

155. Any clinical findings in the media (cornea, lens, vitreous) or fundus, which is of pathological nature and likely to progress will be a cause for rejection. This examination will be done by slit lamp and ophthalmoscopy under mydriasis.

Appendix C

[Refers to para 146 (t) Ophthalmology standards]

CERTIFICATE REGARDING NIGHT BLINDNESS

Name with initials_____ Batch No. _____ Chest No _____

I hereby certify that to the best of my knowledge, there has not been any case of night blindness in our family, and I do not suffer from it.

Date:

(Signature of the candidate)

Countersigned by

(Name of Medical Officer)

Appendix D
(Refers para 147 of
Ophthalmology standards)

VISUAL STANDARDS FOR CANDIDATES AT INITIAL ENTRY

Sl No.	Med Cat	Branch	Maximum Limits of Refractive Error	Visual Acuity (VA) with limits of maximum correction	Colour Vision
1	A1G1	F (P) including WSOs, Flying Branch Candidates at NDA and AFA	Hypermetropia: + 1.5D Sph Manifest Myopia: Nil Astigmatism: +0.75D Cyl (within +1.5 D Max) Retinoscopic myopia: Nil	6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia	CP-I

Note: -

1. Ocular muscle balance for personnel covered in Ser No. 1 and 2 must conform to Appendix E to this Chapter.

2. The Sph correction factors mentioned above will be inclusive of the specified astigmatic correction factor. A minimum correction factor upto the specified visual acuity standard can be accepted.

Appendix E
(Refer para 154)

STANDARD OF OCULAR MUSCLE BALANCE FOR FLYING DUTIES

Ser. No.	Test	Fit
1	Maddox Rod Test at 06 m	Exo - 06 Prism D Eso - 06 Prism D Hyper - 01 prism D Hypo - 01 prism D
2	Maddox Rod Test at 33 cm	Exo -16 Prism D Eso - 06 Prism D Hyper - 01 Prism D Hypo - 01 Prism D
3	TNO Test or Titmus Fly Test	All of BSV grades
4	Convergence	Up to 10 cm
5	Cover Test for Distance and Near	Latent divergence/convergence recovery rapid and complete

Haemopoietic System

156. All cases of anemia (<13 g/dL in males and <12g/dL in females) will be declared unfit during SMB.

157. All candidates with evidence of hereditary haemolyticanaemias (due to red cell membrane defect or due to red cell enzyme deficiencies) and haemoglobinopathies (Sickle cell disease, Beta-Thalassaemia: Major, Intermedia, Minor, Trait and Alpha Thalassaemiaetc) are to be considered unfit for service.

158. Candidates with history of haemophilia or von Willebrand's disease are to be declared unfit. Candidates with clinical evidence of purpura or evidence of thrombocytopenia are to be considered unfit. Cases of Purpura Simplex (simple easy bruising), a benign disorder seen in otherwise healthy women, may be accepted.

159. **Monocytosis**. Absolute monocyte counts greater than 1000/cumm or more than or equal to 10% of total WBC is to be deemed unfit.

160. **Eosinophilia**. Absolute eosinophil counts greater than or equal to 500/cumm is deemed unfit.

161. Haemoglobin more than 16.5 g/dL in males and more than 16 g/dL in females will be considered as Polycythemia and deemed Unfit.

Dental Fitness Standards

162. **Dental Standards**.

(a) Candidate must have a total minimum of 14 dental points and the following teeth must be present in the upper jaw in good functional opposition with the corresponding teeth in the lower jaw.

(i) Any four of the six anterior.

(ii) Any six of the ten posterior.

(b)The above dental standards are to be followed and candidates who do not conform to the laid down standards will be rejected.

163. **Extra Oral Examination**.

(a) **Gross Facial Examination**. Presence of any gross asymmetry or soft/hard tissue defects/scars or if any incipient pathological condition of the jaw is suspected, it will be a cause of rejection.

(b) **Functional Examination**.

(i) **Temporo-Mandibular Joint (TMJ)**. TMJs will be bilaterally palpated for tenderness and/or clicking. Candidates with symptomatic clicking and/or tenderness or dislocation of the TMJ on wide opening will be rejected.

(ii) **Mouth Opening**. A mouth opening of less than 30 mm measured at the incisal edges will be reason for rejection.

164. **Guidelines for Awarding Dental Points in Special Situations**.

(a) **Dental caries**. Teeth with caries that have not been restored or teeth associated with broken down crowns, pulp exposure, residual root stumps, teeth with abscesses and/or sinuses will not be counted for award of dental points.

(b) **Restorations**. Teeth having restorations that appear to be improper/broken/discolored will not be awarded dental points. Teeth restored by use of inappropriate materials, temporary or fractured restorations with doubtful marginal integrity or peri-apical pathology will not be awarded dental points.

(c) **Loose Teeth**. Loose/mobile teeth with clinically demonstrable mobility will not be awarded dental points. Periodontally splinted teeth will not be counted for award of dental points.

(d) **Retained Deciduous Teeth**. Retained deciduous teeth will not be awarded dental points.

(e) **Morphological Defects**. Teeth with structural defects which compromise efficient mastication will not be awarded dental points.

(f) **Periodontium**.

(i) The condition of the gums, of the teeth included for counting dental points, should be healthy iepink in colour, firm in consistency and firmly resting against the necks of the teeth. Visible calculus should not be present.

(ii) Individual teeth with localized periodontitis (swollen, red or infected gums or those with visible calculus) will not be awarded dental points.

(iii) Candidates with severe periodontal disease (generalized calculus, extensive swollen and red gums, with or without exudates), shall be rejected. If periodontal disease is not severe and the teeth are otherwise sound, the candidate may be accepted if in the opinion of the Dental Officer, he/she can be cured by simple periodontal therapy excluding extraction.

(g) **Malocclusion**. Candidates with malocclusion affecting masticatory efficiency and phonetics shall not be selected. Teeth in open bite will not be awarded dental points as they are not considered to be in functional apposition. Candidates having an open bite, reverse overjet or any visible malocclusion will be rejected. However, if in the opinion of the Dental Officer, the malocclusion of teeth is not hampering efficient mastication, phonetics, maintenance of oral hygiene or general nutrition or performance of duties efficiently, then candidates will be declared fit. The following criteria have to be considered in assessing malocclusion: -

(i) **Edge to Edge Bite**. Edge to edge bite will be considered as functional apposition.

(ii) **Anterior Open Bite**. Anterior open bite is to be taken as lack of functional opposition of involved teeth.

(iii) **Cross Bite**. Teeth in cross bite may still be in functional occlusion and may be awarded points, if so.

(iv) **Traumatic Bite**. Anterior teeth involved in a deep impinging bite which is causing traumatic indentations on the palate will not be counted for award of points.

(h) **Hard and Soft tissues**. Soft tissues of cheek, lips, palate, tongue and sublingual region and maxilla/mandibular bony apparatus must be examined for any swelling, discoloration, ulcers, scars, white patches, sub mucous fibrosis etc. All potentially malignant lesions will be cause for rejection.Clinical diagnosis for sub-mucous fibrosis with or without restriction of mouth opening will be a cause of rejection. Bony lesion (s) will be assessed for their pathological/physiological nature and commented upon accordingly. Any hard or soft tissue lesion will be a cause of rejection.

(j) **Orthodontic Appliances**. Fixed orthodontics lingual retainers will not be considered as periodontal splints and teeth included in these retainers will be awarded points for dental fitness. Candidates wearing fixed or removable orthodontic appliances will be declared unfit.

(k) **Dental Implants**. Implants and Implant Supported Prosthesis will not be awarded any dental points. In the case of ex-serviceman applying for re-enrolment, dental points will be awarded for removal dental prosthesis.

(l) **Fixed Partial Dentures (FPD)/Implant supported FPDs**. FPDs will be assessed clinically and radiologically for firmness, functional apposition to opposing teeth and periodontal health of the abutments. If all parameters are found satisfactory, dental points will be awarded for the natural tooth (abutments).

Note: - Any prosthesis, removable/fixed or implant borne, the natural tooth/teeth in that component will be awarded dental points.

165. The Following will be Criteria for Declaring a Candidate Unfit: -

(a) **Oral Hygiene**. Poor oral health status in the form of gross visible calculus, periodontal pockets and/or bleeding from gums will render candidate unfit.

(b) **Candidates Reporting Post Maxillo-Facial Surgery/Maxillofacial Trauma**. Candidates who undergo cosmetic or post-traumatic maxillofacial surgery/trauma will be UNFIT for at least 24 weeks from the date of surgery/injury whichever is later. After this period, if there is no residual deformity or functional deficit, they will be assessed as per the laid down criteria.

(c) Candidate with dental arches affected by advanced stage of generalized active lesions of pyorrhoea, acute ulcerative gingivitis, and gross abnormality of the teeth or jaws or with numerous caries or septic teeth will be rejected.

1. Please visit www.joinindianarmy.nic.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Army as applicable.

2. Please visit www.joinindiannavy.gov.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Navy as applicable.

3. Please visit www.careerindianairforce.cdac.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Air Force as applicable.

Note: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Commandant Selection Centre will be competent authority for clearing such cases.

APPENDIX-(III)
(Brief particulars of service etc.)
Pay scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

Pay

Rank	Level	(Pay in Rs.)
Lieutenant	Level 10	56,100 -1,77,500
Captain	Level 10 B	61,300- 1,93,900
Major	Level 11	69,400 - 2,07,200
Lieutenant Colonel	Level 12A	1,21,200 - 2,12,400
Colonel	Level 13	1,30,600-2,15,900
Brigadier	Level 13A	1,39,600-2,17,600

Major General	Level 14	1,44,200-2,18,200
Lieutenant General HAG Scale	Level 15	1, 82, 200-2,24,100
HAG+Scale	Level 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/Army Cdr/ Lieutenant General	Level 17	2,25,000/-(fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/-(fixed)

MSP to the officer is as follows

Military Service Pay(MSP) to the officers from the rank of Lieutenant to Brigadier	Rs 15,500 p.m. fixed	

Fixed Stipend for cadet Training

Stipend to Officer Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA.	Rs 56,100/-p.m.* (Starting pay in Level 10)

* On successful commissioning, the pay in the Pay matrix of the Officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

(i) **Other Allowances** Risk and Hardship allowance has been introduced by the 7th CPC under which an individual gets his entitled allowance as per risk and hardship of the area where he/she is serving.

(a)	Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time

(ii) **Dress allowance** *Rs 20,000/- per year.
(iii) **Free Ration in kind.**In Peace and Field areas.

(iv) **Transport Allce (TPTA).**

Pay Level	Higher TPTA Cities (Rs. Per month)	Other Places (Rs. Per month)
10 and above	Rs. 7200+DA thereon	Rs. 3600+DA thereon

Note :-

(a) **Higher Tpt Cities (UA).** Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmadabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(b) The allowance shall not be admissible to those service personnel who have been provided with the facility of Government transport.
(c) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of Rs. 15,750+DA per month.

(d) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(e) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of Rs. 2250 + DA per month.

(vi) **Children Education Allowance**. *Rs 2250/- per month

* The rates of allowance would be enhanced by 25% automatically each time the DA goes up by 50%.

(i) Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

(ii) Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year.

In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances would be enhanced by 25% automatically each time the Dearness Allowance payable on the revised pay band goes up by 50% (GoI letter No. A-27012/02/2017-Estt(AL) dated 16 August 2017).

(iii) Please note that pay and allowances and rules/provisions thereof are subject to revision from time to time

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN:

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy.

(a) He will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administrated to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Officer cadets. Officer cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

4. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be :—

(a) handed over to the cadet on his being granted a commission or
(b) if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessaries purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

5. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Officer Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by HQ ARTRAC. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Officer Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged after paying the cost of Training laid down by the Govt. of India. Service candidates under these circumstances will be reverted back to their parent Unit.

6. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

7. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the army.

8. Training: At the Indian Military Academy, Officer Cadets are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On completion of successful training Officer Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in S1H1A1P1E1.

9. **Army Group Insurance Fund (AGIF).** The Officer Cadets when in receipt of stipend are insured for ₹ 1.25 Cr as applicable to officers of the regular Army. Subscription at the rate of ₹ 12,500/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Officer Cadets to become members under the AGI Scheme as applicable to Regular Army Officers. For those who are invalidated out by IMB on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹ 25 lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹ 5 lakhs for 20 percent disability. However, for less than 20 percent disability, an ex-gratia grant of ₹ 50,000/- only will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Officer Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as an undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia.

10. The following monetary benefits are available to the Cadets (Direct)/NoKs in the event of invalidment on medical grounds/death of a Cadet (Direct) due to causes attributable to or aggravated by military training:

(a) In Case Of Disablement

(i) Monthly Ex-gratia amount of Rs. 9,000/- per month.
(ii) Ex-gratia disability award @ Rs. 16200/- per month shall be payable in addition for 100% of disability during period of disablement subject to prorata reduction in case the degree of disablement is less than 100%. No disability award shall be payable in cases where the degree of disablement is less than 20%.
(iii) Constant Attendant Allowance (CAA) @ Rs 6750/- per month for 100% disabled on the recommendation of Invaliding Medical Board (IMB).

(b) IN CASE OF DEATH

(i) Ex-gratia amount of Rs. 12.5 lakhs to the NoK.
(ii) Ex-gratia amount of Rs. 9000/- per month to the NoK.

(c) The Ex-gratia awards to Cadets (Direct) / NoK, shall be sanctioned purely on ex-gratia basis and the same shall not be treated as pension for any purpose. However, dearness relief at applicable rates shall be granted on monthly ex-gratia as well as ex-gratia disability award. (Authority: GOI/MOD letter No.17(01)/2017(01)D(Pension/ Policy) dated 04 Sep 2017 as amended vide para 11 & 12 of GOI/MOD letter No.17(02)/2016 D(Pen/Pol) dated04 Sep 2017.

11. **Terms and Conditions of Service**

(i) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION
Substantive promotions

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks.

By time scale :

Lt.	On commission
Capt.	On completion of 2 years of reckonable commissioned service
Major	On completion of 6 years of reckonable commissioned service
Lt. Col.	On completion of 13 years of reckonable commissioned service
Col (TS)	On completion of 26 years of reckonable commissioned service

Col. Brigadier Major Gen. Lt. Gen. General	On Selection basis subject to fulfilment of requisite service conditions

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN NAVAL ACADEMY, EZHIMALA, KERALA

(i) Candidates selected for training at the Indian Naval Academy will be appointed as Cadets under the Graduate Cadet Special Entry Scheme (GSES) Course. The Selection of the cadets is based on the candidate qualifying in the Combined Defence Service Examination (CDSE), followed by SSB interview and Medical Examination. Meritorious candidates who are medically fit are appointed to the32vacancies of Executive Branch (General Service/ Hydro) (including 06 for Naval NCC 'C' certificate holding candidates under the NCC Special Entry Scheme).

(ii) Selection of Cadets from the National Cadet Corps. The eligibility, age-limits, educational qualifications for candidates applying under the NCC Special Entry Scheme are the same as the GSES candidates except for the following:-

a) A NCC Cadet must have served for not less than three academic years in the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps, and must be in possession of Certificate"C" (Naval). Those who have appeared or intend to appear for certificate "C" examination are also eligible to apply but their final selection shall depend on producing the Certificate before the commencement of the course.

b) The NCC Cadet must be in possession of a certificate of good conduct and character from his University or Principal of his College.

c) A NCC Cadet shall not be eligible to apply after twelve months of leaving the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps.

d) In order to apply, a cadet must submit his application to his Officer Commanding, N.C.C Unit, Naval Wing, who shall forward it through the Circle Commander concerned to the N.C.C. Directorate, Ministry of Defence, New Delhi. The N.C.C. Directorate will forward the applications to the Chief of the Naval Staff. The applications shall be submitted on the prescribed form. These forms will be available at all N.C.C. Units.

e) Candidates who are considered prima facie suitable shall be required to appear before a Service Selection Board for interview and other tests.

f) Candidates to be finally selected should at least secure the minimum qualifying marks at the Services Selection Board. Subject to this condition and to their being declared medically fit, successful candidates shall be placed in the order of merit based on the total marks secured in the written examination and the Service Selection Board interview. The final selection shall be made in the order of merit up to the number of vacancies available.

(iii) Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. A sum of Rs. 35,000/- should be brought by them and deposited in the bank account, which they would be opening at the State Bank of India, Ezhimala branch, on arrival. Since it is a large amount, it is advised that they carry a demand draft payable to self. The deposit money would be used to meet the following expenditures:—

(a) Pocket/Personal expenses	Rs. 5,000/- @ Rs. 1,000/- per month
(b) Expenses on Laundry, Civilian-bearer, Cinema, hair cutting and other sundry services	Rs. 4,250/- @ Rs. 850/- per month

(c) Expenses on stitching/purchase of Academy Blazer, Academy tie, Academy Mufti, Academy Sportswear, Jogging shoes, Jungle boots, Swimming Trunk/suits and Satchels.	Rs.20,000/-
(d) Travelling expenses for proceeding to next duty station/home station on leave on completion of Naval Orientation Course on return Journey at the end of the term.	Rs. 2,000/-

(e) **Insurance:**The GSES cadets would have to pay Rs. 2303/-one time non-refundable contribution for an Insurance cover of Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lakh only) for a period of six months. Their disability cover and contribution if relegated would be at par with Non-GSES cadets (NGIF letter No. BA/GIS/215 dated 06 Nov 2018).

(iv) Training: Selected candidates may be appointed as cadets on reporting at the Indian Naval Academy.

The candidates shall remain under probation till completion of initial training which is as follows:-

(a)	Naval Orientation Course at INA, Ezhimala	44 weeks
(b)	Officers Sea Training at Training Ship	06 months
(c)	Sub-Lieutenant Afloat training	06 months
(d)	Sub-Lieutenant (Technical course) A float attachment for award of	33 weeks
(e)	Full Naval watch-keeping Certificate	06-09 months

(v) Commissioning & Other Benefits The cadets shall be commissioned in the rank of Sub-Lieutenant after successful completion of approximately 18 months of training. The careers prospects, leave benefits, leave and travel concession, pensionary/retirements benefits and all such perks and privileges provided to officers in the Navy is similar to those being provided by the two services.

(vi) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Indian Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet financial assistance upto Rs.140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Principal Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note: Further information, if desired, may be obtained from the Directorate of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry in F(P) Course viz. CDSE/NCC Special Entry/AFCAT. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards as per type of entry. Common candidate who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) cannot be tested for flying branch in IAF.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Air Force Group Insurance Society would pay Rs 1,25,00,000 for a monthly contribution of Rs 8,600/ pm as insurance cover to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case flight cadet undergoing training is medically invalidated boarded out, he will be paid Rs 62,50,000 as disability insurance cover for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Flight Cadets shall receive a fixed stipend of Rs. 56,100/- per month (starting pay in Level 10) for the period of training. "On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the insurance cover will remain as above for a monthly contribution of Rs 8,600/- pm. The Contribution comprises of Risk Element and Saving Element. The Saving Element of Rs 5120/- out of Rs 8600/- will continue to earn interest and paid as Survival Benefit at the time of Retirement.

4. Career Prospects :

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Flying Officer and will be entitled to the pay and allowances of the rank. Time scale promotions to the rank of Flight Lieutenant, Squadron Leader, Wing Commander and Group Captain are granted on completion of 2 years, 6 years, 13 years and 26 years of successful service respectively. Grant of Group Captain (select) and higher ranks is only by selections. Promising officers have a fair chance of getting higher promotions to air ranks—Air Commodore, Air Vice Marshal and Air Marshal.

5. Leave and Leave Travel Concession:

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel.

Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter every alternate year to any place in India in lieu of home town or selected place of residence without any distance restriction.

In addition officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one-way journey Form 'D' in a calender year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Other Privileges:

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy Chennai.

(a) He/she will be required to sign a certificate to the effect that he/she fully understands that he/she or his/her legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he/she may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him/her for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His/her parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his/her control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he/she will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 49 weeks. Candidates will be enrolled as Officer Cadets. Officer Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

4. **Initial Deposit.** Candidates on arrival will deposit a bank draft for sum of Rs 28,000/- drawn in favour of the Commandant, OTA Chennai and payable at Chennai for the following purposes:-

(a) Army Group Insurance Fund Premium (@Rs 10,000 pm for first two months)	Rs. 20,000/-
(b) Initial pocket expenses incl cost of initial ordnance items	Rs. 8,000/-
Total	**Rs. 28,000/-**

5. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Officer Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by HQ ARTRAC. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

6. On joining OTA, cadets will be allowed to apply and proceed for civil central job interview/SSB in the first term of the training only. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Officer Cadets, who may resign from the Officers Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

7. An Officer Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged after paying cost of training laid down by the Government of India. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

NOTE. Candidates reporting to Indian Military Academy (IMA) and Officer Training Academy (OTA) are required to meet the following Physical Standards:-

Ser No	Activity	Minimum Physical Standards on Arrival	
		Office Cadet (Men)	**Officer Cadet (Women)**
(a)	2.4 Km Run	10 Minutes 30 Second	13 Minutes
(b)	Push Up	40	15
(c)	Pull UP	06	02
(d)	Sit Up	30	25
(e)	Squats	Two Sets of 30 Repetitions	
(f)	Lunges	Two Sets of 10 Repetitions	
(g)	Swimming	Should know fundamentals of swimming	

8. Training :

Selected candidates will be enrolled as Officer Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Officer Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. from the date of successful completion of training. University of Madras will award "Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies" to all cadets who successfully complete Pre-commissioning training at Officers Training Academy, Chennai. Candidates withdrawn from Officers' Training Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply.

9. Terms and conditions of Services:

(a) Period of probation:

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, he/she may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) Liability of Service:

Personnel granted Short Service Commission is liable to serve anywhere in India and abroad on selected appointments as decided by IHQ MOD (Army) from time to time.

(c) Tenure of Appointment:

Short Service Commission will be granted to Male and Female in the regular Army for 14 years i.e. for an initial period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male and Female officers who are willing to continue to serve in the Army after the expiry of period of ten years Short Service Commission may, if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the 10thyear of their Short Service Commission in accordance with the relevant policies as issued from time to time.

Those SSC officers (Male and Female) who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they will be released from the Army.

(d) Special Provision for Release for SSC on completion of 5th Year of Service:

SSC (Non-Tech) Male & Female Officers, other than those who undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialized course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service, may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs, for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval of such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSC (Non-Tech) Male & Female Officers who have undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialized course as prescribed is recovered from them. The Combat Aviation Course which is mandatory for Aviators is specialized course for Short Service Commissioned Officers. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking Degree Engineering Course/Special Course of such nature.

(e) Special Provisions during Extended Tenure:

During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on the following grounds:—

(i) Taking up civil Job.
(ii) Pursuing higher education.
(iii) Starting own business/joining family business.

(f) Substantive Promotion :

SSCOs male and female granted Short Service Commission under these rules will be eligible for substantive promotion as under:—

(i) To the rank of Capt.	on completion of 2 years reckonable commissioned service
(ii)To the rank of Major	on completion of 6 years reckonable commissioned service.
(iii)To the rank of Lt. Col.	on completion of 13 years reckonable commissioned service.

(g) Mandatory Conditions:

Mandatory conditions for grant of above substantive ranks laid down for Permanent Commissioned officers as well as the eligibility, time limit and penalties for promotions exam Part B and D as applicable to permanent commission officers also be similarly applicable to SSCOs male and female.

h) Adjustment of Seniority:
To make adjustment for shorter training of SSC male and female vis-a vis PC officers, the seniority of SSC male and female officers will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of captain. The revised seniority will have no effect on the pay and allowances granted in the rank of Capt. Major and Lt.Col.

(i) Reckonable Commissioned Service:

Subject to provision of Para 10 (h) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(j) Leave: Leave will be admissible in accordance with the Leave Rules for the Service Vol. 1-Army as amended from time to time.

For leave, officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol.I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 ibid.
SSC Women Officers will also be eligible for following kinds of Leave:

- **Maternity Leave**: Women Officers of the Army – Rule 56 of Chapter-IV of Leave Rule for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.

- **Child Care Leave:** Women Officers of the Army – Rule 56A of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition as amended vide GOI MoD letter No.B/33922/AG/PS-2(b)/3080/D(AG-II) dated 19 Nov 2018.

- **Child Adoption Leave:** Women Officers of the Army – Rule 56B of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.

(k) Termination of Commission

The Commission of an officer may be terminated at any time by the Government of India for the following reasons:-

(i) For misconduct or if services are found to be unsatisfactory: or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) if his/her services are no longer required or

(iv) if he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(l) Terminal Gratuity:

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 months emoluments for each completed six monthly period of service.

(m) Reserve Liability:

On being released on the expiry of contractual length of service of Short Service Commission or extension thereof (as the case may be) they will carry a reserve liability for a period of five years plus two years on voluntary basis or upto the age of 40 years in case of Male Officers and 37 years in case of Women Officers which is earlier.

(n) Miscellaneous:

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.07 12:36:52 +05'30'